सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल–1

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड

संगठन की विशिष्ठियां, कृत्य और कर्तव्य।

परिवहन विभाग का इतिहास

सन् 1914 में मोटरयानों से सम्बन्धित प्रथम अधिनियम द्वारा पुलिस विभाग को सवारी एवं माल वाहनों के संचालन को नियंत्रित करने के पूर्ण अधिकार दिये गये थे। बस सेवाओं के परिवहन को विनियमित करने की दृष्टि से तद्पश्चात भारत सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1939 अधिनियमित किया गया। इसके द्वारा सार्वजनिक सेवायानों का प्रशासन एवं नियंत्रण पुलिस विभाग से स्थानान्तरित कर सांविधिक संस्थाओं यथा, प्रान्तीय परिवहन प्राधिकरण और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को दिया गया तथा राजस्व परिषद् को प्रान्तीय परिवहन प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण बनाया गया।

1.2– राज्य में सड़क परिवहन उद्योग को नियमित करने, नियंत्रण व्यवस्था को पुनर्गठित करने और मोटरयान कानूनों का दक्षता पूर्वक प्रशासन करने का कार्य सन् 1945 में किया गया। इसके परिणामस्वरूप फरवरी, 1945 में परिवहन आयुक्त कार्यालय सृजित हुआ। रेल और सड़क परिवहन के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से उसी साल अप्रैल में सचिवालय में अलग से परिवहन विभाग स्थापित हुआ।

1.3– मोटर गाडियों की और उनके स्पेयर पार्टस की बिक्री पर नियंत्रण का कार्य जो लोक निर्माण विभाग द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के समय से किया जा रहा था, परिवहन विभाग द्वारा ले लिया गया। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में मोटरगाडियों का पंजीयन, मोटरगाडियों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, मोटर गाडियों पर करारोपण और वास्तविक रूप से राज्य में मोटर कानूनों का समस्त प्रशासन जैसे मोटरगाडी अधिनियम, 1939 उत्तर प्रदेश मोटरगाडी नियमावली, 1940 संयुक्त प्रान्त मोटरगाडी कराधान अधिनियम, 1935 व संयुक्त प्रान्त मोटरगाडी कराधान नियमावली, 1935 का कार्य परिवहन विभाग में केन्द्रित हो गया। इससे मोटरगाडियों के पंजीयन और मोटर गाडियों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन से सम्बन्धित जिला पुलिस अधिकारी के अधिकार समाप्त हो गये। इस प्रकार पुनर्गठित ढांचे में सदस्य राजस्व परिषद् के स्थान पर परिवहन आयुक्त

प्रान्तीय (बाद में राज्य) परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष हो गये और अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के स्थान पर उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्राधिकरण के सदस्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया गया। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने रहे किन्तु विभाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त या डिप्टी कलेक्टर से सदस्य सचिव का कार्यभार ले लिया गया। इसके अतिरिक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को रजिस्ट्रीकर्ता, अनुज्ञापन और कराधान प्राधिकारियों का दाायित्व भी सौंपा गया। साथ ही साथ मोटर कानूनों के सघन प्रवर्तन हेतु परिवहन विभाग में ही प्रवर्तन शाखा भी स्थापित की गयी और प्रवर्तन का कार्य राज्य के पुलिस विभाग से लिये गये कार्मिको से कराया जाता रहा। वर्ष 1959 में इस शाखा का पुनर्गठन किया गया और पुलिस कार्मिकों के स्थान पर विभागीय कार्मिकों की प्रतिस्थापना की गयी।

1.4– मोटरगाडियों की यांत्रिक दशा पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को प्राविधिक निरीक्षक दिये गये। वर्ष 1954 में मोटर गाडियों विषयक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों के निर्णयों के विरूद्ध अपील निर्णीत करने हेतु अपीलीय संस्था के स्थान पर अधिकरण स्थापित किया गया। इसमें पुनः अग्रतर संशोधन करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा–64 के अधीन समस्त अपील निर्णीत करने हेतु राजस्व परिषद् को राज्य परिवहन अधिकरण (State Transport Tribunal) नियुक्त किया गया।

1.5– सड़क परिवहन के वित्तीय एवं प्रबंधन में निजी संचालको की हिस्सेदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ज्वाइन्ट स्टाक कंपनियाँ भी स्थापित की गयी थी। लेकिन निजी संचालक ऐसी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों में जाने से हिचकते रहे और सरकार द्वारा अन्ततः मई 1947 में राज्य उपक्रम के रूप में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन की स्कीम प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार आरामदायक, सस्ती और दक्ष परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1951 में राज्य सड़क परिवहन अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम को निजी संचालकों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी। अंततः वर्ष 1954 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन स्कीम के समक्ष उत्पन्न हुई इस विधिक कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन सेवा अध्यादेश, 1955 प्रख्यापित किया गया। जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम, 1955 के रूप में अधिनियमित किया गया। पूरे देश में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भी वर्ष 1957 में मोटरयान अधिनियम, 1939 में संशोधन कर इस अधिनियम में अध्याय 4–ए जोड़कर राष्ट्रीयकृत सेवाओं के लिए मार्ग अधिग्रहीत करने की प्रक्रिया विहित की गयी। तब से उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज व बाद में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का विस्तार मोटरयान अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाता रहा है।

2– राज्य में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने का कार्य भी परिवहन विभाग को सौंपा गया था। राज्य में नवम्बर, 1946 में एक फ्लांइग क्लब संगठित किया गया था जिसे 'हिन्द फ्लांइग क्लब लिमिटेड' लखनऊ के नाम से रजिस्ट्रीकृत किया गया था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विषय, मूलतः वर्ष 1956 मे प्लानिंग संगठन में लिया गया था, बाद में अगस्त, 1961 मे उसको परिवहन आयुक्त के प्रभार के अधीन लाया गया। वर्ष 1962 में आपात स्थिति उत्पन्न होने के कारण इस योजना पर गम्भीर प्रतिगामी प्रभाव पडा। तब उस समय इसे लगभग परित्याग कर दिया गया, निर्माण योजना त्याग दी गयी और कई फील्ड आफीसेस बंद कर दिये गये। इस संगठन को बाद में सीमित सीमा तक पुर्नजीवित किया गया। यद्यपि वर्ष 1965 मे एक पूर्ण पर्यटन निदेशालय स्थापित किया गया जिसमें पूर्ण कालिक निदेशक और उसकी सहायता के लिए उपनिदेशक (पर्यटन) नियुक्त किया गया था किन्तु पुरानी स्थिति पुनः स्थापित हो गयी और वर्ष 1967 में पुनः उपनिदेशक के अधीन इसका सीधा प्रभार रखते हुए इसे पुनः परिवहन आयुक्त के नियंत्रणाधीन कर दिया गया। उप निदेशक के इस पद को तदंनतर उप परिवहन आयुक्त (पर्यटन) का पदनाम दिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम और नियमावली, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (मालकर) अधिनियम और नियमावली, 1964 का प्रशासन भी परिवहन आयुक्त संगठन को सौंपा गया कालान्तर में पर्यटन के लिए पृथक विभाग सृजित किया गया और पर्यटन निदेशक इसके विभागाध्यक्ष बनाये गये।

3– परिवहन विभाग (पोर्टफोलियो) परिवहन मंत्री के पास रहा और तत्समय विभाग का सचिवालय का संगठन इस प्रकार रहाः–

3.1– सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव और अधीक्षक। परिवहन विभाग वर्ष 1960 में दो अनुभागों में विभाजित किया गया था। इसके द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य देखे जाते थे :–

3.2– परिवहन (क विभाग)

उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज संगठन और रोडवेज केन्द्रीय कार्यशालायें, रोड़वेज बोर्ड, रेल–सड़क समन्वय, रेलवे यूजर्स सलाहकार समिति, श्रम कानून, राष्ट्रीयकरण और रोडवेज गाडियों से होने वाली दुर्घटनायें।

3.3– परिवहन (ख विभाग)

मोटर गाड़ियों तथा परिवहन अधिनियमों और नियमों का प्रबन्धन, नागरिक उड्डयन, सी पैसेज अथारिटीज, विधानमण्डल की परिवहन स्थायी समिति, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण, यात्रीकर और मालकर, ओटोमोबाइल एसोसिएशन को कर अधिकारी की शक्तियों का प्रतिनिधायन, अखिल भारतीय सड़क परिवहन उपक्रम कान्फ्रेन्स, पर्यटन, सरकारी विभागों हेतु गाडियों का क्रय एवं आवंटन और उनका अनुरक्षण मोटर कार, स्कूटर आदि का आवंटन और वार्षिक सामान्य रिपोर्ट।

जून, 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना से पूर्व

4– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ संगठन के प्रशासकीय एवं कार्यकारी मुखिया थे। वह मोटर व कराधान कानूनों का प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज का प्रशासन और संचालन तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी थे। मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष थे। सडक परिवहन सेवाओं के विस्तार से सम्बन्धित सभी स्कीम और उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से संचालित मार्गो पर निजी संचालकों को उनकी बसे संचालित करने की अनुमति देने विषयक मामलों को राज्य परिवहन उपक्रम या शासन को प्रस्तुत करने से पूर्व परिवहन आयुक्त की सहमति आवश्यक थी। उस समय विभाग की गतिविधियाँ मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित थी :–

4.1– प्रशासकीय या रोडवेज के भिन्न शाखा जो मोटर कानूनों और विभिन्न कराधान कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी थी और दूसरी रोडवेज शाखा जो राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन और प्रवर्तन का कार्य करती थी।

4.2– उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए मुख्यालय पर नौ उप परिवहन आयुक्त थे। जिनमें से चार प्रशासन से सम्बन्धित थे। (1) उप परिवहन

आयुक्त (प्रशासन) जिसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) था, परिवहन आयुक्त कार्यालय मुख्यालय और सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का प्रशासनिक प्रभारी (इन्चार्ज) था। उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) राज्य परिवहन प्राधिकरण का सदस्य सचिव भी था। (2) उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) की सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) थे, उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में प्रवर्तनकार्यो का नियंत्रण और प्रशासन का उत्तरदायी था। (3) उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) रोडवेज को छोड़कर समस्त सरकारी विभागों के लिए मोटरगाडियों की खरीद की व्यवस्था, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा गाडियों का निरीक्षण और अन्य सरकारी विभागों की गाडियों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्यो का नियंत्रण का उत्तरदायी था। (4) उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर और मालकर) इन करों की वसूली का पर्यवेक्षण करता था। उसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (मालकर) था।

4.3– रोडवेज शाखा से सम्बन्धित कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गठन से पूर्व पांच उप परिवहन आयुक्तों द्वारा देखा जाता था। (1) उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज) रोडवेज कार्यशालाओं का संगठन, मोटरगाड़ियों व स्टोर की खरीद से सम्बन्धित समस्त प्रशासकीय माामलों का प्रभारी था। (2) उसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) और स्टोर सत्यापन अधिकारी थे, उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज परिचालन) नान टैक्निकल रोड़वेज कार्मिकों के समस्त स्थापना सम्बन्धी मामलों और रोड़वेज परिचालन पर नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों के प्रभारी थे। (3) उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज–विकास) रोड़वेज सेवाओं का विकास, रोड़वेज संगठन पर श्रम कानूनों को लागू करना, जन सम्पर्क का कार्य देखते थे। वह मोटर कार (वितरण और बिक्री) कन्ट्रोल आर्डर,1959, स्कूटर (वितरण और बिक्री) कन्ट्रोल आर्डर, 1960 और वाणिज्यिक गाडी (वितरण और बिक्री) कन्ट्रोल आर्डर ,1963 के अधीन राज्य (नियंत्रक) भी थे। उनकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (रोड़वेज–सामान्य) था। (4) उप परिवहन आयुक्त (लेखा) वित्तीय मामलों में परिवहन आयुक्त के परामर्शदाता के रूप मे कार्य करता था। वह वाणिज्यिक लेखा नियंत्रित करता था और लाभ और हानि की लेखा की स्क्रूटनी करने व रोड़वेज संगठन की बैलेंस शीट तैयार के लिए उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए मुख्यालय पर मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी और सहायक

लेखाधिकारी, विभाग के मैनुअल्स और नियमों को तैयार करने के लिए उप महाप्रबन्धक स्तर का एक अधिकारी तैनात भी था। (5) उप परिवहन आयुक्त (पर्यटन) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य देखता था, उसकी सहायता के लिए एक जन सम्पर्क अधिकारी था।

4.4– भवन निर्माण से सम्बन्धित कार्य के लिए मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता था जिसकी सहायता के लिए सहायक अभियंता थे।

4.5– परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए सहायक महाप्रबन्धक (रोड़वेज) स्तर का एक वैयक्तिक सहायक भी था।

4.6– तत्समय परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज), उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज परिचालन), उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन),उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर और मालकर), सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) और सहायक परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन ड्राइवर और कन्डक्टर अनुज्ञप्ति का निरीक्षण करने, उस अधिनियम की धारा 87 (1) (क) के अधीन मोटरगाडी को रोकने, धारा–88 और 98 (ख) के अधीन मोटरगाडी के स्वामी, ड्राइवर और कन्डक्टर से पूछताछ करने, धारा 106 (1) के अधीन बीमा प्रमाण–पत्र की जाँच करने, ऐसे व्यक्ति को जो अपने वाहन को खतरनाक हालत में मादक पदार्थो के प्रभाव के अधीन चलाता हो, प्राधिकार के मांगे जाने पर गलत नाम और पता दे या जिसके मांगने की संभावना हो या जो शमन प्राप्त करने में आनाकानी करें को धारा–128 के अधीन बिना वांरट के गिरफ्तार करने, धारा–129 के अधीन चालक अनुज्ञाप्ति और गाड़ी से सम्बन्धित कागजात जब्त करने और अधिनियम के धारा–129 (ए) के अधीन बिना रजिष्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या परमिट के बिना प्रयुक्त होने वाली मोटरगाडी को निरुद्ध करने के अधिकार प्रतिनिधानित थे।

4.7– यद्यपि क्षेत्रीय और उससे नीचे स्तर पर विभाग स्पष्ट रूप से दो शाखाओं में विभाजित था। तथापि मुख्यालय स्तर पर परिवहन कार्यालय में इस तरह का कोई स्पष्ट विभाजन नही था। वर्ष 1969 में वह निम्न अनुभागों में विभाजित था :–

(क) <u>रोड़वेज से भिन्न अनुभाग</u> :– यह अनन्य रूप से मोटरगाडियों और कराधान कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन से सम्बन्धित कार्य करते थे।

4.8— राज्य परिवहन प्राधिकरण अनुभाग :— यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार के अधीन था और मोटरयान अधिनियम, 1939 उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल रूल्स, 1940 और संयुक्त प्रांत मोटर वेहिकिल टैक्सेशन एक्ट और रूल्स 1935 का प्रशासन, परिवहन कानूनों की व्याख्या और कर अपील, राज्य परिवहन प्राधिकरण और अधिकरण के अधीन मामले, किराया और भाडा दरें, पडोसी राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते, राज्य परिवहन आयुक्तों की कान्फ्रेन्स, परिवहन विकास परिषद्, मोटर कानूनों से सम्बन्धित न्यायिक मामलें (कोर्ट केसेज), सडक दुर्घटना में प्रतिकर का भुगतान, रेल सड़क समन्वय और नागरिक उड्डयन के विकास हेतु अनुदान से सम्बन्धित नियमों को देखता था।

4.9— प्रवर्तन अनुभाग :— यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के प्रभार के अधीन था। मोटरगाड़ियों और कराधान कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित मामलें, प्रवर्तन अधिकारियों यथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक लोक अभियोजक और अन्य प्रवर्तन दल स्टाफ से सम्बन्धित स्थापना के मामलें देखता था, इसके साथ ही वह मुख्य रूप से प्रवर्तन दलों के कार्य कलापों का मुल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी था।

4.10— यात्री और मालकर अनुभाग :— यह उत्तर प्रदेश मोटरगाडी यात्रीकर अधिनियम, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी मालकर अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रशासन एवं प्रवर्तन का कार्य करता था। यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर और मालकर) के प्रभार के अधीन था। फील्ड स्तर पर यह कार्य यात्रीकर अधिकारी, यात्रीकर अधीक्षक द्वारा किया जाता था।

(ख)— <u>रोड़वेज शाखा के अनुभाग</u> :— यह केवल उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज के प्रशासन और परिचालन से सम्बन्धित कार्य देखते थे।

4.11— रोड़वेज अनुभाग :— यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज विकास) के प्रभार के अधीन था। यह रोड़वेज परिचालन हेतु नये मार्गो का अधिग्रहण (राष्ट्रीयकरण) करना और उससे सम्बन्धित कोर्ट कैसेज, रोडवेज के विरूद्ध शिकायतें, ड्राइवर और प्राविधिक स्टाफ को पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनायें, रोड़वेज गाडियों से होने वाली दुर्घटनांए और प्रतिकर, क्लेम सेटलमेन्ट, रेलवे आउट ऐजन्सी, डाक भेजने हेतु ठेके, स्टाफ वैल फेयर स्कीम रोड़वेज बोर्ड के साथ बैठके, सम्भागीय परामर्शी समितियां, रोड़वेज

महाप्रबन्धकों की बैठक, सडक परिवहन उपक्रमों की अन्तर्राज्यीय कान्फ्रेन्स, वी0आई0पी0 अन्य महानुभावों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कार्य करता था।

4.12– रोड़वेज अधिष्ठान अनुभाग और रोड़वेज अनुशासनिक अनुभाग :– उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज) को तकनीकी स्टाफ और उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज परिचालन) को तकनीकी स्टाफ से भिन्न स्टाफ का कार्य आंवटित था।

रोड़वेज अधिष्ठान अनुभाग ऐसे समस्त राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों जिसकी नियुक्ति एवं अपील प्राधिकारी के अधिकार उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज), उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज परिचालन) या परिवहन आयुक्त को थे, के अधिष्ठान से सम्बन्धित मामलों को देखता था।

रोड़वेज अनुशासनिक अनुभाग कर्मियों के समस्त अनुशासनिक मामलों को देखता था।

4.13– रोड़वेज वाणिज्यिक लेखा अनुभाग और लेखा अनुभाग :– यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त लेखा के प्रभार के अधीन था रोड़वेज संगठन सरकारी विभाग की तरह था। इसके कार्य वाणिज्यिक प्रकृति के थे, रोड़वेज का लेखा सरकारी कम वाणिज्यिक लेखा सिस्टम पर आधारित था। रोड़वेज वाणिज्यिक लेखा अनुभाग लेखा को डबल इन्ट्री सिस्टम में रखता था और बैंलेंसशीट तैयार करता था। इसका कार्य रोड़वेज के परिचालन में हानि और लाभ के कारकों पर सतर्क नजर रखना था।

रोड़वेज लेखा अनुभाग बजट से सम्बन्धित मामले, रोड़वेज अनुभागों में लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों और गैर वाणिज्यिक लेखाकारों का अधिष्ठान, और रोड़वेज के अधिकारियों और कर्मियों का यात्रा भत्ता, फन्ड अलाटमैन्ट और रोड़वेज संगठन के ऊपर वित्तीय नियंत्रण रखने का कार्य करता था। सरकारी और वाणिज्यिक लेखा के बीच समन्वय करना इसका एक प्रमुख कार्य था।

4.14– भवन अनुभाग :– यह अनुभाग अधिशासी अभियंता के प्रभार के अधीन रोड़वेज भवनों का निर्माण और अनुरक्षण से सम्बन्धित मामलों को देखता था स्थानीय स्तर पर कार्यो का पर्यवेक्षण करने हेतु चार सहायक अभियंता कतिपय सम्भागीय मुख्यालयों पर तैनात थे।

(ग) <u>मिलेजुले अनुभाग</u> :– ये अनुभाग मुख्यालय पर रोड़वेज और रोड़वेज से भिन्न शाखाओं दोनों से सम्बन्धित कार्य देखते थे।

4.15– अधिष्ठान अनुभाग और लेखा अनुभाग :– यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार के अधीन था जिन्हें व्यैक्तिक सहायक परिवहन आयुक्त द्वारा भी सहायता दी जाती थी, जिनके पास आहरण और वितरण अधिकार था। अधिष्ठान अनुभाग परिवहन आयुक्त मुख्यालय और सम्भागीय परिवहन शाखाओं के कार्यालयों से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक मामलों को देखता था। लेखा अनुभाग परिवहन आयुक्त मुख्यालय और सम्भागीय परिवहन शाखाओं (प्रवर्तन शाखा के सिवाय) के सभी लेखा मामलों को देखता था।

4.16– प्राविधिक अनुभाग :– इस अनुभाग में चार उप अनुभाग यथा (क) गाड़ियाँ (ख) प्राविधिक (ग) मोटर यातायात और (घ) वेहिकिल कन्ट्रोल आर्ड़र उप अनुभाग थे। गाडियाँ उप अनुभाग को रोड़वेज और अन्य सरकारी विभागों के लिए मोटर गाडियों की खरीद व स्टोर, सरेन्डर्ड पूल की गाड़ियों का आवंटन, मरम्मत और ट्रान्सफर, सभी सरकारी गाड़ियों की मरम्मत और बाडी बनाना तथा राहत कार्यो के लिए गाडियों की आपूर्ति विषयक कार्य आवंटित था।

प्राविधिक उप अनुभाग को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के निरीक्षण कार्यक्रमों और उनकी निरीक्षण आख्यानों का कार्य आवंटित था। यह दोनों उप अनुभाग, उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) के प्रभार के अधीन थे।

मोटर यातायात उप अनुभाग को उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज के लिए गाड़ियों की खरीद स्पेयर्स पार्ट्स ऐसेम्बली और स्पेयर्स पार्ट्स स्टोर, कार्यशालाओं का सत्यापन वर्क मेन्स कम्पनसेंशन एक्ट के अधीन औद्योगिक दुर्घटना कवर, रोड़वेज गाडियों का टैक्निकल ड्रावैक्स (Drawbacks) और उनकी कार्यशीलता आदि के कार्य आवंटित थे। यह उप परिवहन आयुक्त रोड़वेज के प्रभार के अधीन था। जिसकी सहायता के लिए सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) और स्टोर सत्यापन अधिकारी थे। वेहिकिल कन्ट्रोल आर्डर उप अनुभाग को सरकारी कोटे में से कार, स्कूटर आदि के आवंटन से सम्बन्धित कार्य आवंटित था। यह उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज विकास) के प्रभार के अधीन था।

4.17– विविध अनुभाग :– इस अनुभाग को टेलीफोन, सभी विविध मदों जैसे फर्नीचर, टाइपराइटर, यूनीफार्मस, स्टेशनरी की स्वीकृति और खरीद आदि, रोड़वेज के लिए भवन किराये पर लेना, सरकारी गाडियों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए गैराजों की स्वीकृति और विभागीय गाडियों का निरीक्षण, मरम्मत और निष्प्रयोज्य घोषित करने का कार्य

आवंटित था। यह अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (रोड़वेज विकास) के प्रभार के अधीन था। इन कार्यो में उनकी सहायता प्राविधिक निरीक्षक द्वारा की जाती थी।

4.18– सांख्यिकी अनुभाग :– यह अनुभाग निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में सडक परिवहन सहित परिवहन आयुक्त संगठन की समस्त शाखाओं का सांख्यिकीय डाटा का कलेक्शन, कम्पाइलेशन और इन्टरप्रीटेशन का कार्य देखता था। जिससे प्राइवेट सेक्टर में सड़क परिवहन सुविधा विकसित करने हेतु उचित नियोजन और कार्यो को तैयार करने में सहायता मिलती थी, प्रकाशन हेतु रिपोर्ट और सामग्री तैयार करना, वार्षिक प्रशासनिक और प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और विज्ञापन का कार्य भी इसे आवंटित था। यह सहायक परिवहन आयुक्त (रोड़वेज सामान्य) के प्रभार के अधीन था।

4.19– केन्द्रीय प्राप्तियाँ, निर्गमन, अभिलेख, लाइब्रेरी रिसेप्शन आदि :– यह उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार के अधीन था, तथा सम्पूर्ण कार्यालय के लिए प्रधान सहायक था।

4.20– (घ) <u>पर्यटन</u> :– पर्यटन का विकास, परिवहन सुविधाओं के साथ पूर्णतः जुडा समझा गया और तदनुसार इसे राजकीय रोडवेज के साथ रखा गया। तत्समय जिलों में पर्यटन का कार्य विभिन्न परिक्षेत्रों के जनरल मैनेजर उत्तर प्रदेश सरकारी रोड़वेज के प्रभार मे था। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, पौड़ी, नैनीताल, और हरिद्वार में 6 सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्थापित थे। पर्यटक विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य पांच प्रमुख सेक्टरों यथा आमोद प्रमोद वाला पर्वतीय क्षेत्र, ऐतिहासिक महत्व के स्मारक और स्थान, धार्मिक महत्व के स्थान, बौद्धमठ और वाइल्ड लाइफ में विभाजित किया हुआ था। पर्यटन अनुभाग उप परिवहन आयुक्त (पर्यटन) के प्रभार के अधीन था। इसमें प्रचार अधिकारी थे जो पर्यटकों को उनकी रूचि से सम्बन्धित स्थानो के बारे में सूचना देता था और मार्गदर्शन करता था। इनके लिए परिवहन और ठहरनें की व्यवस्था करता था, टूरिस्ट बंगलों के रूप में निम्न आय होटल्स आगरा, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, इलाहाबाद और लखनऊ में बनाये गये थे। हिमालय धार्मिक मार्ग और दर्शनीय स्थलों पर लकड़ी के कैबिन बनाये गये थे। पाण्डुकेशर, घंधरिया, गौना, बिरही, पौड़ी (कन्डोलियाँ) ग्वालदम, लोकपाल, फुरकिया, ओंसला, अगोरा, माला, सुखी, भैंरोघाटी, गंगोत्री, हनुमानगंगा, यमनोत्री, कपकोट, चीना पीक (नैनीताल), सहस्त्रधारा (देहरादून), ताड़ीखेत (अल्मोड़ा), काम्पील (फारूखाबाद), भीमताल, काठगोदाम, लैन्सडौन, वयनधाम (मिर्जापुर),

टांडा (मिर्जापुर), अष्टभुजा, शीतलाखेत और चिनहट (लखनऊ) में रेस्ट हाउस बनाये गये थे। गर्मी के मौसम में लंघम हाउस नैनीताल में एक ट्रांजिट कैम्प भी चलाया जाता था।

4.21– परिवहन विभाग के सतर्कता और विकास कोष्ठ (इन्टेलीजेन्स एण्ड इवैल्युएशन सैल) द्वारा उच्च दक्षता, उत्पादकता और कार्यो का त्वरित निस्तारण की दृष्टि से परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित और तर्क संगत बनाये जाने के लिए कतिपय प्रस्ताव किये गये थे। इन प्रस्तावो और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शासन (परिवहन (क) विभाग) द्वारा जून 1967 में कमेटी नियुक्त की गयी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 1969 में प्रस्तुत की थी। उसने परिवहन आयुक्त कार्यालय को रोड़वेज और नान रोड़वेज शाखाओं में विभाजित करने के प्रश्न सहित मामले के समस्त पहलुओं पर विचार किया था। इससे पूर्व सड़क परिवहन के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित मसानी कमेटी द्वारा भी राज्य सड़क परिवहन उपक्रम का संचालन और मोटर गाडी कानून का प्रवर्तन/प्रशासन को एक दूसरे से अलग–अलग स्वतंत्र करने की संस्तुति की गयी थी। परिवहन संगठन की दोनों शाखाओं की संयुक्त कार्य प्रणाली की प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के साथ–साथ विधिक आधार पर भी आलोचनायें होती थी। परिवहन आयुक्त का पूरा संगठन उल्लेखनीय रूप से विस्तृत होने और उसकी संयुक्त कार्यप्रणाली के कारण कार्य के निस्तारण में सामान्यतया विलम्ब और कार्य दक्षता का ह्रास होता समझा गया। ऐसी कार्यप्रणाली द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी रोड़वेज, जो व्यवसायिक व्यवहार व सिद्धान्त से चलनी चाहिए थी के कार्य को विपरीत रूप से प्रभावित किया गया। उक्त स्थिति में प्रश्नगत समिति द्वारा परिवहन आयुक्त मुख्यालय कार्यालय को दो अलग–अलग विभागों यथा रोड़वेज और नान रोड़वेज विभागों के रूप में विभाजित करने की संस्तुति की गयी थी। नान रोड़वेज नकारात्मक नामकरण होने से इसे परिवहन विभाग या ट्रान्सपोर्ट विभाग कहे जाने की संस्तुति भी समिति द्वारा की गयी थी। परिवहन विभाग का कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, यात्रीकर और मालकर, मोटरगाडी कानूनों का प्रशासन, प्रवर्तन शाखा और प्राइवेट सेक्टर ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित रखे जाने की संस्तुति की गयी थी। इसी प्रकार समिति द्वारा रोड़वेज डिपार्टमेन्ट उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज रखे जाने की संस्तुति की गयी थी। समिति ने इसके अतिरिक्त अन्य संस्तुतियां भी की थी, जिसमें अन्य के अतिरिक्त रोडवेज

में नान रोडवेज स्टाफ की आंतरिक अदला–बदली को समाप्त करते हुए मुख्यालय कार्यालय पर उपर्युक्त दो विभागों में उसके स्पष्ट विभाजन की संस्तुति भी थी।

प्रस्तावित परिवहन विभाग के लिए परिवहन नियंत्रण (सांख्यिकी) कोष्ठ सहित, कर, स्थापना, लेखा और प्राविधिक अनुभाग और सामान्य प्रशासन अनुभाग व प्रवर्तन कार्य संस्तुत थे।

प्रस्तावित रोड़वेज डिपार्टमेन्ट में विभिन्न शाखायें और अनुभाग यथा समान्य प्रशासन अनुभाग, स्थापना और परिचालन शाखा स्थापना सहित, अनुशासनिक जांच, यातायात (ट्रैफिक) और परिचालन, श्रमिक मामलें और जन सम्पर्क अनुभाग एवं इन्जीनियरिंग एवं स्टोर अनुभाग, नियोजन और विकास अनुभाग, वित्त आडिट और लेखा शाखा जिसमें लेखा और वाणिज्यिक लेखा अनुभाग, सांख्यिकी और ऑपरेशनल रिसर्च सेक्शन प्रबन्धक, आडिट इवैल्युएशन एण्ड ओ एण्ड एम ब्रांच, विधिक मामले और मुकदमा शाखा और भवन अनुभाग सस्तुत थे।

सम्भागीय परिवहन संगठन

5– वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश में दस सम्भाग लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, देहरादून, और नैनीताल में थे। प्रत्येक सम्भाग सम्भागीय परिवहन अधिकारी के अधीन रखा गया था। जिसकी सहायता के लिए सम्भाग मुख्यालय पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की तैनाती की गयी थी। लखनऊ सम्भाग के लिए फैजाबाद मे तथा कानपुर सम्भाग के लिए झांसी में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्थापित किये गये थे। प्रत्येक उप सम्भागीय कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा गया था। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सदस्य सचिव था। उसे और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को तत्समय प्रवृत्त मोटरयान अधिनियम, 1939 उत्तर प्रदेश मोटर्स वेहिकिल्स रूल्स 1940 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी, के अधिकार प्रतिनिधानित किये गये। उन्हें यू0पी0 मोटर गाडी कराधान अधिनियम और नियमावली 1935 के अधीन कर अधिकारी के अधिकार भी दिये गये थे। वह अस्थाई परमिट जारी करने के लिए भी प्राधिकृत था। सम्भागीय और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा सम्भागीय व सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अग्रिम रूप से प्रसारित प्रोग्राम के अनुरूप दौरा करते और इन दौरो के दौरान वे

शिकायतों और यातायात समस्याओं के बारे में पूछताछ करते थे। यह दौरे जनता को सम्भागीय मुख्यालय गये बिना मार्ग कर भुगतान करने, अपनी गाडियों का निरीक्षण कराने और ड्राइविंग लाइसेंस पाने की सुविधा प्रदान करते रहे।

5.1– सम्भागीय परिवहन संगठन की गतिविधियां मुख्यतः तीन शाखाओं यथा प्रशासनिक शाखा, प्राविधिक शाखा और प्रवर्तन शाखा में विभाजित रही। प्रत्येक शाखा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के प्रभार के अधीन रखी गयी।

5.2– <u>प्रशासनिक शाखा</u> :– प्रशासनिक शाखा को ड्राइवर और कन्डक्टर अनुज्ञप्तियों को जारी और नवीकृत करने, गाडियों का रजिस्ट्रीकरण करने, गाडी संचालन हेतु परमिट जारी और नवीकृत करने, मार्गो का वर्गीकरण और अधिसूचित करने और सम्भागीय परिवहन कार्यालय का लेखा और सामान्य प्रशासन का कार्य सौंपा गया था।

5.3–<u>प्राविधिक शाखा</u> :– सम्भागीय प्राविधिक निरीक्षक द्वारा सरकारी गाडियों और सम्भागीय व सहायक सम्भागीय निरीक्षक द्वारा निजी गाडियों और सरकारी रोड़वेज की गाडियों व सार्वजनिक सेवायानों का निरीक्षण करने, ठीक हालत मे होने का प्रमाण पत्र देने और डाइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु अभ्यर्थी का ड्राइविंग टेस्ट लेने का कार्य सौंपा गया था।

5.4– <u>प्रवर्तन शाखा</u> :– सम्भागीय परिवहन संगठन में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के प्रभार के अधीन मोटरयान अधिनियम, 1939, उत्तर प्रदेश मोटर्स वेहिकिल्स रूल्स 1940, संयुक्त प्रांत वेहिकिल्स टेक्सेशन एक्ट और रूल्स 1935, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (यात्रीकर) अधिनियम और नियमावली, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (मालकर) अधिनियम और नियमावली, 1964 के प्राविधानों को प्रभावी और नियत्रंण करने का कार्य प्रवर्तन शाखा को सौंपा गया। इस कार्य के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन दल गठित किये गये थे। राज्य में 1969 में ऐसे 21 दल कार्यशील थे।सम्भाग स्तर पर 10 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के अतिरिक्त लखनऊ सम्भाग में सीतापुर, कानपुर सम्भाग में झांसी, बरेली सम्भाग में मुरादाबाद और नजीबाबाद, और आगरा सम्भाग में अलीगढ़ में एक–एक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) थे। प्रत्येक सम्भागीय मुख्यालय पर यात्रीकर अधिकारी और मालकर अधिकारी तैनात किये गये थे। जिनका कार्य कर अधीक्षकों की सहायता से अनन्य रूप से सम्बन्धित कराधान अधिनियम और नियम का कार्य देखना रहा। मोटरयान अधिनियम,

1939 के अधीन परिवहन आयुक्त और उप और सहायक परिवहन आयुक्त को प्रतिनिधानित शक्तियों की भाँति सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को भी अधिकार प्रतिनिधानित किये गये।

6– तत्समय राज्य में 6 सम्भागीय परिवहन मजिस्ट्रेट थे। जिनका मुख्यालय लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, आगरा और मेरठ में था, जो परिवहन गाडियों के अपराधो से सम्बन्धित अभियोगो का निस्तारण करते थे। प्रत्येक मजिस्ट्रेट के साथ एक सहायक लोक अभियोक्ता था जो सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी के नियत्रंणाधीन कार्य करते थे। सम्भागीय परिवहन मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम रूप से सूचित प्रोग्राम के अनुसार निम्न स्थानों पर न्यायालय लगाते थे।

मुख्यालय	**न्यायिक प्राधिकार के जिले**
वाराणसी	वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, और आजमगढ़
इलाहाबाद	इलाहाबाद, मिर्जापुर, प्रतापगढ़
गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा और बहराईच
आगरा	आगरा, मथुरा और मैनपुरी
अलीगढ़	अलीगढ़, बुलन्दशहर और एटा
कानपुर	कानपुर, फारूखाबाद, फतेहपुर और इटावा
झांसी	झांसी और जालोन
महोवा	हमीरपुर ,बाँदा
मेरठ	मेरठ
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
सहारनपुर	सहारनपुर
देहरादून	देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल
बरेली	बरेली, बदायुँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर
हल्द्वानी	नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ

मुरादाबाद	मुरादाबाद और रामपुर
नजीबाबाद	पौडी गढवाल और बिजनौर
लखनऊ	राय बरेली, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी
फैजाबाद	फैजाबाद और सुल्तानपुर
सीतापुर	लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई

उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज

7– उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज ग्रामीण व नगर बस दोनों सेवायें परिचालित करती थी। वह विशेष अवसरों के लिए बस उपलब्ध कराती थी। ट्रेन टाइमिंग को दृष्टिगत रखते हुए और आउट एजेन्सी स्थापित करते हुए आर्थिक रूप से उपयोगी मार्गो को परिचालन हेतु अधिग्रहित करते हुए रेल सडक समन्वय स्थापित करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। आउट एजेन्सी आंशिक रूप से रोड़वेज बसों और आंशिक रूप से रेल गाडियों से यात्रा करने के लिए टिकटों की खरीद की सुविधा उपलब्ध कराती थी। निजी संचालको द्वारा जिन मार्गो पर सेवा उपलब्ध करायी जाती उन पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण की सहमति से मार्गो का वर्गीकरण करते हुए उसका प्रभावी प्रवर्तन कर रेल–रोड समन्वय स्थापित किया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार रोड़वेज के संगठन में 12 परिक्षेत्र थे जिनके मुख्यालय लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, नैनीताल, गोरखपुर, देहरादून, और टनकपुर थे। प्रत्येक परिक्षेत्र जनरल मैनेजर के प्रभार के अधीन था। कानपुर में चीफ मैकनिकल इन्जीनियर के प्रभार के अधीन रोड़वेज केन्द्रीय कार्यशाला बनायी गयी।

7.1– जनरल मैनेजर के पूर्ण नियत्रंणाधीन रोड़वेज परिक्षेत्र के कार्यकलाप चार शाखाओं में विभाजित थे यथा :–

(i) सामान्य प्रशासन–अधिष्ठान मामलों और अन्य आन्तरिक कार्यो हेतु;

(ii) यातायात और परिचालन–श्रम मामले, नियोजन और विकास, सांख्यिकी हेतु;

(iii) कैश, आडिट और लेखा; तथा

(iv) इन्जीनियरिंग और स्टोर।

7.2– प्रथम दो शाखायें जनरल मैनेजर के सीधे पर्यवेक्षण और नियत्रंण मे थी। जबकि कैश, आडिट और लेखा शाखा लेखाधिकारी के पर्यवेक्षण में थी जिसकी सहायता के लिए

कुछ परिक्षेत्रों में सहायक लेखाधिकारी थे। इन्जीनियरिंग और स्टोर शाखा सर्विस मैनेजर के पर्यवेक्षण में रही। ये दोनों अधिकारी वास्तव में जनरल मैनेजर के अधीन शाखा प्रभारी थे। पर्यटन से सम्बन्धित मामलें भी जनरल मैनेजर द्वारा देखे जाते थे जिसकी सहायता के लिए कुछ स्थानों पर परिक्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी थे।

रोड़वेज परिक्षेत्र सेवाओं के परिचालन हेतु उप परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक उप परिक्षेत्र असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर (ट्रैफिक) के प्रभार के अधीन था जो परिचालन सेवाओं को दक्षता से चलाने, जनता की शिकायतों की छानबीन कर उन्हें दूर करने और ट्रैफिक सर्वे आदि के लिए उत्तरदायी था। असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर (ट्रैफिक) की सहायता के लिए ट्रैफिक सुपरटेन्डेन्ट था जो असिस्टेन्ट ट्रैफिक इन्सपेक्टर के कार्यो के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त सेवाओं के परिचालन और यातायात से सम्बन्धित समस्त समस्याओं को देखता था ।

7.3– रोड़वेज के उप परिक्षेत्र मे एक या अधिक डिपो रखे गये थे। डिपो प्रशासनिक प्रचालन इकाई थी जो प्रशासन, लेखा, परिचालन में मितव्यता, गाडियों का अनुरक्षण और डिपों प्रचालन लेखा तैयार करने का कार्य करता था। डिपो समय–समय पर विविध गाडियों की संख्या का परिचालन नियंत्रित करता था। डिपो इन्चार्ज, डिपो की परिचालन सीमा और आकार के आधार पर या तो स्टेशन सुपरटेन्डेन्ट या सीनियर स्टेशन इन्चार्ज हो सकता था। वह डिपो का प्रधान था और उसे सेवाओं के सुगम, दक्ष और मितव्ययी प्रचालन के लिये उत्तरदायी बनाया गया। डिपों का कार्यकारी संगठन, परिक्षेत्र की भांति था। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक एण्ड आपरेशनल कैश, एकाउण्टस एण्ड आडिट (व्यवसायिक लेखा और सांख्यिकी सहित), वर्कशाप, और स्टोर थे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिवाय डिपों की अन्य शाखायें बस संचालन की आवश्यकता के अनुरूप सिफ्ट वाइज कार्य करती रही थी। डिपो इन्चार्ज की सहायता के लिए उतनी संख्या मे सीनियर स्टेशन इन्चार्ज, जूनियर स्टेशन इन्चार्ज जिनकी डिपो में परिचालन की सीमा और आकार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझी गयी रखे गये थे। इसकें अतिरिक्त एक वरिष्ठ/कनिष्ट फोरमैन को डिपो कार्यशाला का इन्चार्ज बनाया गया था। डिपो के स्टोर, सेक्शन का इन्चार्ज स्टोर कीपर और कैश एकाउण्ट और आडिट का इन्चार्ज वाणिज्यिक लेखाकार था। डिपो स्टेशन, सब–डिपो स्टेशन और बस स्टेशन पर आवश्यकतानुसार और उससे परिचालित होने वाले मार्गो को ध्यान में रखते हुए, बुकिंग

कार्यालय खोले गय थे। ये बुकिंग कार्यालय डिपो इन्चार्ज, सब डिपो इन्चार्ज या बस स्टेशन इन्चार्ज के पर्यवेक्षण में कार्य करते थे। इसके अलावा जुनियर स्टेशन इन्चार्ज या बुकिंग क्लर्क के अधीन डिपों स्टेशन के नियंत्रणाधीन अन्य बाह्य स्टेशनों पर बुंकिग आफीसेज खोले गये थे जिसमें समान्यतया बुकिंग क्लर्क, कार्यालय सहायक, लेजर क्लर्क, सहायक कैशियर और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ आवश्यकतानुसार रखें गये थे।

परिक्षेत्रीय कार्यशालायें और अनुरक्षण डिपों

7.4– गाड़ियों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिये प्रत्येक परिक्षेत्र में एक परिक्षेत्रीय कार्यशाला और कई अनुरक्षण डिपो बनाये गये थे। एक लाख किमी तक चल चुकी गाडियों की भारी मरम्मत, अनुरक्षण और पुनरोद्वार करने का कार्य परिक्षेत्रीय कार्यशाला द्वारा किया जाता था। दुर्घटनाग्रस्त गाडियों की मरम्मत भी क्षेत्रीय कार्यशाला द्वारा किया जाता था। अग्रिम रूप से तैयार किये गये अनुरक्षण शेडयुल के अनुसार अनुरक्षण डिपो, सामान्य अनुरक्षण कार्य करते थे। श्रम नियंत्रण, लूब्रीकेंन्ट व ईधन के मितव्ययी उपयोग को दृष्टिगत रखते हुये परिक्षेत्र की कार्यशालाओं और स्टोर की दक्ष कार्यप्रणाली के लिये सर्विस मैनेजर, जिसकी सहायता के लिये एक सहायक परिवहन इंजीनियर व कहीं–कहीं पर सहायक सर्विस मैनेजर उत्तरदायी थे। परिक्षेत्रीय कार्यशाला में उसके नियंत्रण में एक सीनियर फोरमैन ग्रेड I, एक स्टोर अधीक्षक तथा प्रत्येक डिपो में सीनियर या जूनियर फोरमैन रखे गये थे।

कानपुर में रोड़वेज केन्द्रीय कार्यशाला और केन्द्रीय भण्डार

7.5– बस बाडी का निर्माण करना, इंजन की रीकन्डीशनिंग करना, व अन्य एसेम्बलीज, स्पेयर पार्टस की व्यवस्था करना, टायरों की रीट्रीडिंग करना और गाडियों को रिनोवेट करने के लिए चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के प्रभार के अधीन कानपुर में रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला और केन्द्रीय स्टोर संगठन स्थापित किया गया था। केन्द्रीय कार्यशाला की प्रोडक्शन ब्रांच में दो ग्रुप इंजीनियर, सहायक परिवहन इंजीनियर, एक प्रोडक्शन इंजीनियर और कई फोरमैन और अन्य कार्यशाला स्टाफ रखा गया था। कार्यशाला में एक टाइम कार्यालय, डिस्पेंसरी, एक लैबरोट्री, एक ड्राइंग ऑफिस और सुरक्षा स्टाफ रखा गया था। अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 के अधीन अप्रेन्टिस ट्रेंनिग की व्यवस्था सर्विस मैनेजर स्तर के अधिकारी के अधीन अवस्थित की गयी थी। कार्यशाला की लेखा शाखा लेखा अधिकारी के अधीन थी जो स्टोर सहित कार्यशाला का लेखा के पर्यवेक्षण करता

था। उसकी सहायता के लिये दो सहायक लेखाधिकारी थे। स्टोर की उपलब्धता, प्रबन्धन और कन्ज्यूमिंग यूनिट को उसका वितरण, उत्पादित सामग्री का क्वालिटी कन्ट्रोल और स्पेयर पार्ट्स के उपयोग और विभिन्न मुख्य एसेम्बलीज की लाइफ इक्सपेन्टसी नियंत्रण का कार्य स्टोर आफीसर, स्पेयर पार्ट्स कन्ट्रोल ऑफीसर, स्टोर वेरीफिकेशन ऑफीसर, स्टोर सुपरटेन्डेन्ट, के अधीन था।

7.6– सुपरवाइजरी व प्रशासनिक स्टाफ के सिवाय रोडवेज की प्राविधिक और परिचालन शाखाओं में कार्य करने वाला समस्त स्टाफ, कार्यकरण के घन्टे, साप्ताहिक रेस्ट, अवकाश, छुट्टी, ओवर टाइम का भुगतान आदि मामलों में कारखाना अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों से शासित थे।

8– जैसा कि पूर्व मे अवगत कराया गया है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय को रोडवेज और नान रोडवेज शाखाओं में विभाजित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1967 में एक समिति गठित की गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1969 में दे दी थी। जिस पर व अन्य समस्त स्थितियों पर विचारोपरान्त परिवहन संगठन दो भागों में विभाजित हो गया है– (1) परिवहन विंग और (2) रोडवेज विंग। कालान्तर में रोडवेज विंग दिनांक 1 जून, 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के रूप में स्थापित हो गया। परिवहन विंग परिवहन आयुक्त के प्रभार के अधीन बना रहा। जिसकी सहायता के लिये मुख्यालय पर तीन अपर परिवहन आयुक्त और कई उप परिवहन आयुक्त व अन्य राजपत्रित अधिकारी थे। राज्य कई परिक्षेत्रों में बंटा था। प्रत्येक परिक्षेत्र उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्रीय (परिक्षेत्र) के प्रभार के अधीन था। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में 13 उप परिवहन आयुक्त और उनके अधीन कई उप सम्भागीय अधिकारी थे।

8.1– भारत सरकार की कतिपय महत्वपूर्ण परिषद् और समितियां जिनसे परिवहन विभाग सम्बन्धित है इस प्रकार है :–

परिवहन विकास परिषद् राज्य के परिवहन मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं।

8.2– राज्य की महत्वपूर्ण परिवहन प्राधिकरण, समितियां आदि इस प्रकार है–

(1) <u>राज्य परिवहन प्राधिकरण</u> :– मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन विहित कृत्यों का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 68 के अधीन परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता मे राज्य परिवहन अधिकरण का गठन किया गया है। इसमें वर्तमान में इसमें अपर सचिव/अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग,

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं दिनांक 20.11.2017 से श्री रकित वालिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वालिया ग्रम जगजीतपुर, पोस्ट कनखल जनपद हरिद्वार एवं श्री सुन्दर सिंह रावत वी–9/7 डी वौराडी, नई टिहरी इसके गैर सरकारी सदस्य है। तथा अपर परिवहन आयुक्त इसके सचिव है।

(2) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण :– मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अधीन प्रत्येक सम्भाग में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण गठित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी पदेन सचिव हैं। इसमें दो अन्य सदस्य हैं। उत्तराखण्ड में चार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया है । सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मोटरयान अधिनियम, 1988 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अधीन प्रदत्त अधिकार एवं कृत्यों का निर्वहन करती है।

(3) राज्य परिवहन अपील अधिकरण :– राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों के आदेशों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अधीन राज्य परिवहन अपील अधिकरण द्वारा सुनी जाती है।

(4) उत्तराखण्ड़, सड़क सुरक्षा परिषद :– राज्य स्तर पर सडक यातायात के योजनाबद्ध रूप से विकास तथा सडक यातायात की समस्याओं पर विचार कर शासन को सलाह देने हेतु माननीय परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया है।

9– सड़क परिवहन टैक्नोलॉजी में विकास, यात्री एवं माल परिवहन की रीति में परिवर्तन, देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार व विकास और मोटर गाडी प्रबन्धन में विकसित तकनीकी को देखते हुए इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि मोटरयान अधिनियम, 1939 के स्थान पर नया कानून बनाया जाय।

9.1– सड़क परिवहन के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न समितियों जैसे राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, सड़क सुरक्षा समिति, द्वारा भी विचार किया गया और उनके द्वारा इस कानून को सरल, तर्कसंगत और अध्यावधिक करने की संस्तुतियां की गयी। तद्नुसार मोटर यान अधिनियम, 1939 के समस्त उपबन्धों का पुनरावलोकन करके वर्तमान अधिनियम के स्थान पर नया विधायन तैयार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1984 में एक कार्यकारी दल गठित किया गया। कार्यकारी दल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 तैयार किया गया। यह अधिनियम मोटरयान अधिनियम, 1939 को

निरसित करते हुये दिनांक 01–07–1989 से प्रवृत्त हुआ। इसके अधीन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 बनायी गयी, जिसकी व्यवस्थायें सम्पूर्ण देश मे समान रूप से लागू हैं।

9.2– मोटर गाड़ियों पर मार्गकर संयुक्त प्रांत मोटरगाडी कराधान अधिनियम, 1935 सवारी गाडियों पर यात्रीकर, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 एवं माल वाहनों पर मालकर, उत्तर प्रदेश मोटरगाडी (मालकर) अधिनियम, 1964 के अधीन लिया जाता रहा। कर अधिनियमों की विविधता के कारण उनके प्रशासन मे होने वाली कठिनाई, समस्त वाहन चालकों को एक ही खिड़की पर कर जमा करने की सुविधा प्रदान करने एवं मोटरवाहनों पर कर लगाये जाने व उसके उदग्रहण को तर्क संगत बनाये जाने के उद्देश्य से उक्त तीनों अधिनियमों को निरसित करते हुए उनके स्थान पर एक ही अधिनियम, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 बनाया गया। जिसमें मार्गकर के स्थान पर कर एवं यात्रीकर व मालकर के स्थान पर अतिरिक्त कर की व्यवस्था की गयी। उक्त अधिनियमों के अधीन उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1997 बनायी गयी। उक्त अधिनियम व नियमावली, 31–07–2003 तक उत्तराखण्ड में लागू रही।

9.3– उत्तराखण्ड़ राज्य बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 को निरसित करते हुए उसके स्थान पर उत्तराखण्ड़ राज्य के लिए उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 बनाया जो दिनांक 01–08–2003 से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम के अधीन उत्तराखण्ड मोटरगाडी कराधान सुधार नियमावली, 2003 बनायी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में किसी सार्वजनिक सेवा यान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ ''उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 बनायी गयी है।''

9.4– परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड में इस समय निम्नलिखित अधिनियम एवं नियमावलियां प्रभावी है–

(1) मोटरयान अधिनियम,1988 (1988 का 59)(01–07–1989 से)

(2) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1989 (01–07–1989 से)

(3) उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली,2011 (14–12–2011 से)

(4) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम,2003 (01–08–2003 से) (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003)

(5) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली,2003 (01–08–2003 से)

(6) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम,2012 (15–10–2012 से) (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2013)

(7) उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली,2008 (30–12–2008 से)

(8) उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्यौगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रानिक रिकार्ड दाखिल,सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली,2011 (04–05–2011 से)

(9) उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली,2017 (20–11–2017 से)

परिवहन आयुक्त का संगठन

उत्तरांखण्ड़ राज्य में परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष स्तर पर परिवहन आयुक्त कार्यालय, सम्भाग स्तर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय देहरादून, सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, पौड़ी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, हल्द्वानी एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा हैं। इनके अतिरिक्त उप सम्भाग स्तर पर ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, विकासनगर, रूडकी, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कोटद्वार, उधमसिंहनगर, रामनगर, काशीपुर, चम्पावत, बागेश्वर, रानीखेत एवं पिथौरागढ कुल 16 उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय हैं। राज्य से बाहर किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार के अधीन उत्तरांखण्ड़ राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों से सीमा पर कर एवं शुल्क वसूली करने हेतु कुल 19 चैक पोस्ट स्वीकृत हैं। जिसमें से आशारोड़ी, कुल्हाल, नारसन, भगवानपुर, चिड़ियापुर, कौड़िया, रुद्रपुर, काशीपुर, पुलभट्टा, दौराहा, बनबसा, मझौला एवं तिमली कुल 13 चेक पोस्ट अभी कियाशील है।

उत्तराखण्ड़ राज्य में परिवहन विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

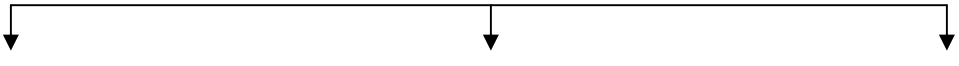

परिवहन आयुक्त | उत्तराखण्ड़ परिवहन निगम | राज्य परिवहन अपील अधिकरण

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड़ ।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड़ के संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य निम्नवत् हैः–

परिवहन विभाग का उद्देश्य :–

किसी भी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक प्रगति हेतु सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नव सृजित उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन विभाग, परिवहन क्षेत्र को अधिकाधिक नियमित, जनोपयोगी एवं सुरक्षित बनाने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। विभाग के मुख्य उद्देश्यः–

- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का पंजीयन सुनिश्चित कराना।
- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार चालकों/परिचालकों को लाईसेन्स जारी करने की व्यवस्थाएं करना।
- वाहनों से करों की वसूली द्वारा राजस्व अर्जित करना।
- अधिकाधिक जनता को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु परमिट सम्बन्धी व्यवस्थाएं करना।
- अनाधिकृत संचालन पर नियन्त्रण रखना।
- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्रवर्तन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण।
- वाहन जनित प्रदूषण को नियन्त्रण में रखना।

संगठन की स्थापना :–

परिवहन विभाग की स्थापना पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1945 में मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 133ए के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी। इस अधिनियम के स्थान पर मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) दिनांक 01–07–89 से प्रवृत्त हो गया है जिसकी धारा 213 में परिवहन विभाग की स्थापना उपबन्धित है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन उत्तराखण्ड़ राज्य की स्थापना दिनांक 09–11–2000 को हुयी। उत्तराखण्ड़ राज्य की स्थापना के उपरान्त मोटरयान अधिनियम

की उक्त व्यवस्थाओं के अधीन वर्तमान में उत्तराखण्ड़ राज्य में परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड़, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में स्थापित है।

<u>संगठन का ढांचा</u> :– परिवहन आयुक्त कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है–

परिवहन आयुक्त

अपर परिवहन आयुक्त

उपपरिवहन आयुक्त (कर) | उपपरिवहन आयुक्त (विधि एंव न्यायाधिकरण) | सचिव (राज्य परिवहन प्राधिकरण) | वित्तनियंत्रक व0लेखाधिकारी

सहायक परिवहन आयुक्त

(प्रशासन)

सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) | सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी (मुख्यालय) | सहा0लेखाधिकारी (लेखा)

कर/रूल्स अनुभाग | प्रर्वतन अनुभाग | विधि एंव न्याधिकरण अनुभाग | एस0टी0ए0 अनुभाग | एम0आई0एस0 अनुभाग | प्राविधिक अनुभाग

आर.टी.आई अनुभाग | सामान्य प्रशासन/ अधिष्ठान एंव सर्तकता अनुभाग | लेखा अनुभाग | आडिट अनुभाग | कम्प्यूटर अनुभाग | नियोजन अनुभाग

उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 25 जून, 2001 के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त संगठन के ढांचे का गठन करते हुये कुल 459 पदों का सृजन किया गया था। इनमें से परिवहन आयुक्त कार्यालय के लिए 79 पद स्वीकृत किये गये थे। प्रदेश में वाहनों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विभाग के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि होने, प्रभावी चैकिंग सुनिश्चित कर अनाधिकृत संचालन प्रभावी अंकुश रखने एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या–113/परि0/545(परि)/2003 दिनांक 26, फरवरी, 2004 द्वारा परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित करते हुए परिवहन आयुक्त संगठन में कुल 816 पदों का सृजन किया गया है। तदनन्तर शासनादेश संख्या 02/ix/58/2013 दिनांक 01 जनवरी,2013 द्वारा

33 पद उपसंभागीय परिवहन कार्यालय हेतु एवं शासनादेश संख्या 1330/ix-1/2016/83/2016 दिनांक 25 नवम्बर,2016 द्वारा 24 पद 2 उपसंभागीय कार्यालयों हेतु सृजित किये गये। इस प्रकार वर्तमान मे कुल 873 पद सृजित है–

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड़,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
फोन नं0– 0135–2608105,2608108

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड़, के कार्यालय के लिए पूर्व में स्वीकृत 79 पदों के स्थान पर दिनांक 26–02–2004 के शासनादेश द्वारा कुल 88 पद स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में दिनांक 20–02–2004 के उक्त शासनादेश के साथ पठित शासनादेश संख्या 213/ix/543/2008 दिनांक 05–08–2008 एवं शासनादेश संख्या 358/ix/543/08 दिनांक 01–12–2008 सपठित शासनादेश संख्या 232/ix-1/543(2010)/2016 दिनांक 07–04–2016 एवं शासनादेश संख्या 560/2016/ix-543/2015 दिनांक 22–08–2016 के अनुसार अब परिवहन आयुक्त कार्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 101 है। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	पद नाम	कुल स्वीकृत पद	वेतनमान 01.01.2006 से पूर्व	वेतन बैंड के अनुसार वेतनमान व ग्रेड वेतन 01.01.2006 से	वेतन मैट्रिक्स 01.01.2016 से
1	परिवहन आयुक्त	01	संवर्गानुसार	आई0ए0एस0 संवर्गानुसार	संवर्गानुसार
2	अपर परिवहन आयुक्त	01	14,300–18,300	37400–67000 8700	1,18,500–214,100
3	उप परिवहन आयुक्त	03	12,000–16,500	15600–39100 7600	78,800–2,09,200
4	सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	01	10,000–15,200	15600–39100 6600	67,700–2,08,700
5	वित्त नियन्त्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	संवर्गानुसार	संवर्गानुसार	संवर्गानुसार
6	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	02	8,000–13,500	15600–39,100 5400	56,100–1,77,500
7	सहायक लेखाधिकारी	01	7450–11,500	9300–34,800 4600	44,900–1,42,400
8	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	03	8000–13,500	15000–39,500 5400	56,100–1,77,500
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	03	7450–11,500	9300–34,800 4800	47,600–1,51,100
10	प्रशासनिक अधिकारी	04	5,500–9,000	9300–34,800 4600	44,900–1,42,400

11	वैयक्तिक अधिकारी	01	—	9300—34,800 4600	44,900—1,42,400
12	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	03	—	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
13	वैयक्तिक सहायक	04	—	5200—20,200 2800	29,200—93,300
14	संख्या सहायक	01	5,000—8,000	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
15	सम्परीक्षक / ज्येष्ठ लेखापरीक्षक	02	5,500—9,000	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
16	लेखा परीक्षक	01	4,500—7,000	5200—20,200 2800	29,200—92,300
17	संकलनकर्ता	01	4,000—6,000	5200—20,200 2400	25,500—81,100
18	मुख्य सहायक	08	4,500—7,000	5200—20,200 4200	35,400—1,12,400
19	वरिष्ठ सहायक	12	4,000—6,000	5200—20,200 2800	29,200—92,300
20	कनिष्ट सहायक	14	3,050—4,590	5200—20,200 2000	21700—69,100
21	लेखाकार	03	5,500—9,000	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
22	प्रर्वतन चालक	09	3,050—4,590	5200 20200 1900	19,900—63,200
23	प्रर्वतन पर्यवेक्षक	01	3,050—4,590	5200—20,200 2400	25,500—81,100
24	प्रर्वतन सिपाही	09	2,750—4,400	5200—20,200 2000	21,700—69,100
25	अनुसेवक / चौकीदार / सफाईकार	12	2550—3200	4440—7440 1800	18,000—56,900
	योग	**101**			

संभागीय / उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों एवं चैकपोस्टों हेतु सृजित पदों का विवरण निम्नवत् हैः—

क्र0 सं0	**पद नाम**	**कुल स्वीकृत पद**	**वेतनमान 01.01.2006 से पूर्व**	**वेतन बैंड के अनुसार वेतन व ग्रेड वेतन 01.01.2006 से**	**वेतन मैट्रिक्स 01.01.2016 से**
1	संभागीय परिवहन अधिकारी	04	10,000—15,200	15,600—39,100 6600	67,700—2,08,700
2	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	26	8,000—13,500	15,600—39,100 5400	56,100—1,77,500

3	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	16	—	15,600—39,100 5400	56,100—1,77,500
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	22	7,450—11,500	9,300—34,800 4800	47,600—1,51,100
5	प्रशासनिक अधिकारी	22	5,500—9,000	9300—34,800 4600	44,900—1,42,400
6	परिवहन कर अधिकारी—1	24	7,450—11,500	9300—34,800 4600	44,900—1,42,400
7	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	24	6,500—10,500	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
8	सहायक अभियोक्ता	02	5500—9000	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
9	परिवहन कर अधिकारी—2	78	5,000—8,000	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
10	वैयक्तिक अधिकारी	01	—	9300—34,800 4600	44,900—1,42,400
11	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	—	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
12	वैयक्तिक सहायक	02	—	5200—20,200 2800	29,200—92,300
13	मुख्य सहायक	49	4500—7000	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
14	वरिष्ठ सहायक	79	4000—6000	5200—20,200 2800	29,200—92,300
15	कनिष्ट सहायक	89	3050—4590	5200—20,200 2000	21,700—69,100
16	लेखाकार	15	5500—9000	9300—34,800 4200	35,400—1,12,400
17	सहायक लेखाकार	09	4500—7000	5200—20,200 2800	29,200—92,300
18	चालक/प्रर्वतन चालक	24	3050—4590	5200—20,200 1900	19,900—63,200
19	प्रर्वतन पर्यवेक्षक	20	3050—4590	5200—20,200 2400	25,500—81,100
20	प्रर्वतन सिपाही	196	2750—4400	5200—20,200 2000	21,700—69,100
21	चतुर्थ श्रेणी	67	2550—3200	4440—7440 1800	1800—56,900
22	दफ्तरी	03	2610—3540	4440—7440 1800	1800—56,900
	योग	**773**	**टिप्पणी—** चालक के 03 पद आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे। अनुसेवक के 03 पद आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे।		

टिप्पणी— परिवहन कर अधिकारी—1 के 4 पद चैकपोस्ट हेतु स्वीकृत।

परिवहन आयुक्त संगठन/कार्यालय के कार्य :–

परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा निम्न कार्य निष्पादित किये जाते हैः–

1– केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रदत्त कार्य।

2– केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अधीन प्रदत्त कार्य।

3– उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के अधीन प्रदत्त कार्य।

4– उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 यथा संशोधित के अधीन प्रदत्त कार्य।

5– उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 यथा संशोधित के अधीन प्रदत्त कार्य।

6– उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012।

7– उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली,2008 ।

8– उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रानिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज नियमावली,2011) ।

9– उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 ।

10– राज्य की परिवहन नीति, मोटरयान कर नीति, करों में संशोधन व मोटरयान नियमावली बनाये जाने एवं संशोधन सम्बन्धी कार्य।

11– राज्य परिवहन प्राधिकरण सम्बन्धी कार्य।

12– परिवहन सुविधाओं के लिए जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना।

13– सरकारी गाड़ियों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं निस्तारण हेतु स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।

14– अनाधिकृत संचालन की रोकथाम।

15– मा0 न्यायालय में दायर याचिकाओं में पैरवी करना।

16– परिवहन विभाग का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य। यथा–कार्मिकों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाही आदि।

17– सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों एवं चैकपोस्टों पर नियंत्रण।

18– परिवहन विभाग के संगठन की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार करना एवं इससे सम्बन्धित कार्य।

19– परिवहन विभाग का बजट सम्बन्धी कार्य।

20— अधीनस्थ कार्यालयों के राजस्व वसूली, बकाया करों की वसूली एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करना।

21— महालेखाकार की आडिट आपत्तियों की समीक्षा/निस्तारण हेतु कार्यवाही करना।

22— अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक आडिट करना।

23— परिवहन विभाग की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट तैयार करना।

24— दुर्घटना राहत एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धित कार्य।

25— राज्य स्तर पर विभागीय ऑकड़ों का संकलन करना।

26— विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

27— चार धाम यात्रा अवधि में परिवहन सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर नियन्त्रण।

28— परिवहन विभाग के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का कम्प्यूट्रीकरण करना।

29— मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु मशीनों, उपकरणों, उपस्करों की खरीद करना।

30— कार्यालयों हेतु किराये पर लिये गये भवनों के किराये की स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।

31— निर्वाचन में मतदान व्यवस्थाओं हेतु वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

32— सड़क सुरक्षा हेतु गठित लीड एजेन्सी से सम्बन्धित सम्वन्वय का कार्य।

कार्य का संचालन :—कार्य विषय के आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय मे कार्य संचालन हेतु परिवहन आयुक्त के कार्यालय ज्ञाप सं0—38/अधि0/6—2/2010 दिनांक 26.03.2010 द्वारा निम्न अनुभागो के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः—

क्रम सं0	अनुभाग का नाम	आवंटित मुख्य कार्य
1	अधिष्ठान/ सामान्य प्रशासन	1— प्रवर्तन कर्मी को छोडकर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य। 2— प्रवर्तन कर्मियों के अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3— अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य। 4— उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 5— शासन एवं विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण। 6— कार्यालय के सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य। 7— चार धाम यात्रा सम्बन्धी कार्य।

		8– लोक सभा/विधानसभा/पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य। 9– विभिन्न मेलों सम्बन्धी कार्य। 10– डाक निष्काषन सम्बन्धी कार्यं 11– फर्नीचर/स्टेशनरी आदि का क्रय एवं अनुरक्षण। 12– भवनों की मरम्मत, पानी/बिजली/उपस्कर की खरीद फरोख्त सम्बन्धी कार्य।
2	एस0टी0ए0	1– विभिन्न प्रकार के परमिट जारी/नवीनीकरण सम्बन्धित कार्य। 2– अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार। 3– मार्गों का निर्धारण/राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्य। 4– बस अडडों का निर्माण/स्थापना सम्बन्धी कार्य। 5– नगर बस सेवा सम्बन्धी कार्य। 6– परमिट सम्बन्धी रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य। 7– विभिन्न नगरों में यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। 8– परिवहन निगम से पत्र व्यवहार। 9– यात्री/माल भाडे की दरों का निर्धारण। 10– परमिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 11– विधानसभा से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों का प्रेषण एवं संकलन।
3 एवं 4	लेखा/ऑडिट	1– ऑडिट सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– बजट एवं आय व्ययक सम्बन्धी कार्य। 3– पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी कार्य। 5– विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूली सम्बन्धी कार्य। 6– जीपीएफ/सेवा पुस्तिका सम्बन्धी कार्य। 7– अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन आदि सम्बन्धी कार्य। 8– दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण सम्बन्धी कार्य। 9– लेखा/बजट/आडिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
5	टी0आर0 (कर/रूल्स एवं पंजीयन)	1– मोटर यान अधिनियम/केन्द्रीय मोटरयान नियमावली विषयक निर्देशों का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी कार्य। 2– कर पंजीयन सम्बन्धी अपीलें। 3– राज्य मोटरयान नियमावली का प्रख्यापन, समय–समय पर संशोधन के प्रस्ताव आदि तैयार कराया जाना। 4– राज्य कराधान अधिनियम/नियमावली में संशोधन सम्बन्धी कार्य। 5– कर परिहार सम्बन्धी मामलें। 6– मोटरयान दुर्घटनाओं सम्बन्धी बैठकों की तैयारी, दुर्घटनाओं में प्रदान की जाने वाली राहत राशि सम्बन्धी कार्य। 7– अनुभाग सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
6	प्राविधिक	1– नई लॉच होने वाली वाहनों के पंजीयन अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 2– एलपीजी/सीएनजी किट अनुमोदन सम्बन्धी कार्य।

		3– मोटर गैराज/प्रदूषण जॉच केन्द्र/चालक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य। 4– अन्य विभागों की सरकारी वाहनों के निष्प्रयोज्य एवं मरम्मत स्वीकृति सम्बन्धी कार्य। 5– चालक लाईसेन्स सम्बन्धी अपीलें। 6– लाईसेन्स/फिटनेस/गैराज/प्रशिक्षण संस्थान आदि कार्य सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
7	प्रवर्तन	1– प्रवर्तन दलों के कार्यों की समीक्षा। 2– प्रवर्तन कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्य एवं प्रवर्तन कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3– प्रवर्तन कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 4– स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों सम्बन्धी कार्य। 5– राष्ट्रीय/राज्य सडक सुरक्षा परिषद सम्बन्धी बैठकों से सम्बन्धित कार्य। 6– राज्य में चलाये जाने वाले विशेष चैकिंग अभियानों सम्बन्धी कार्य एवं प्रस्ताव। 7– चैकिंग से सम्बन्धित मासिक विवरण/विश्लेषण। 8– पुलिस, प्रशासन एवं टास्क फोर्स से प्राप्त सूचनाओं का संकलन। 9– राज्य स्तर पर प्रवर्तन के आधार पर की गयी अनुशंसाओं का ब्यौरा। 10– समाचार पत्रों में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समाचारों का संकलन। 11– प्रवर्तन सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 12– अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्दी का क्रय। 13– विभागीय वाहनों का क्रय एवं रख रखाव। 14– प्रवर्तन दलों हेतु आवश्यक संयंत्रों का क्रय एवं रख रखाव।
8	विधि एवं न्यायाधिकरण	1– मा0 न्यायालयों में विभाग के विरूद्ध दायर मामलों में विभागीय पक्ष रखे जाने विषयक कार्य। 2– मा0 न्यायालय सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
9	एमआईएस	1– विभिन्न अनुभागों से संकलित विवरण प्राप्त कर उन्हें एकरूप में संकलन एवं शासन/उच्चाधिकारियों को प्रेषण। 2– मासिक समीक्षा बैठकों का एजेण्डा तैयार करना। 3– परिवहन विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं को अध्यावधिक करना।
10	आरटीआई	1– सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2– सूचना के अधिकारी सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
11	कम्प्यूटर	1– विभाग में कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य एवं एनआईसी के साथ समन्वय।

		2– कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव।
12	नियोजन	1– नये भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य। 2– विभाग में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनायें। 3– योजना सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।

उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को अवक्रमित करते हुये अधिसूचना संख्या 251/पग.1/901/2016/2018 दिनांक 26 अप्रैल,2018 द्वारा लीड एजेंसी का गठन निम्नानुसार किया गया है–

''क्र0 सं0	पदनाम	प्रास्थिति	भर्ती का स्त्रोत
(1)	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष	पदेन
(2)	अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य	पदेन
(3)	वित्त नियंत्रक, परिवहन मुख्यालय	सदस्य	पदेन
(4)	सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
(5)	सहायक निदेशक, आधुनिकीकरण	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
(6)	लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता, जो ग्रेड वेतन 5400 से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
(7)	पुलिस विभाग के उप अधीक्षक/सीओ, जो ग्रेड वेतन 5400 से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
(8)	शहरी विकास विभाग के अधिकारी, जो ग्रेड वेतन 5400 से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
(9)	शिक्षा विभाग के अधिकारी, जो ग्रेड वेतन 5400 से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर

2. उक्त सड़क सुरक्षा हेतु गठित लीड एजेंसी के कार्यो के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार स्टॉफ के पदों की भी परिवहन विभाग के सृजित ढॉचे के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यरत मिनिस्ट्रीय संवर्ग के कार्मिकों से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हे पृथक से कोई अतिरिक्त भत्ता/वेतन प्रदान नहीं किया जायेगा–

(1) प्रशासनिक अधिकारी	01 पद
(2) प्रधान सहायक	01 पद
(3) कनिष्ठ सहायक सह टंकण	02 पद
(4) अनुसेवक	01 पद

3. उक्त लीड एजेंसी द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य–

(1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करना, परिषद की बैठकों का प्रबन्धन करना, बैठक के कार्यवृत्त जारी करना एवं बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन कराना।

(2) मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय बनाना, आदेशों का क्रियान्वयन कराना और उसकी रिपोर्ट समिति को प्रेषित करना।

(3) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराना।

(4) सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली जनहानि को कम करने हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना, वार्षिक कार्य–योजना बनाना तथा उसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

(5) राज्य मे घटित सड़क दुर्घटनाओं का निरन्तर डाटा एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए, आवश्यक कार्यवाही कराना।
(6) राज्य सड़क सुरक्षा कोष का प्रबन्धन करना।
(7) जिला सड़क सुरक्षा समितियों के कार्यो का अनुश्रवण करना।
(8) राज्य सड़क सुरक्षा नीति के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराया जाना।
(9) सड़क सुरक्षा सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यो का सम्पादन करना।

उपरोक्तानुसार अनुभागों को आवंटित कार्य का सम्पादन करने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की तैनाती की गयी हैः—

क्र0 सं0	अनुभाग का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पदनाम
1	सा0प्र0/अधिष्ठान/नियोजन/कम्प्यूटर	श्री नवीन चन्द मैठाणी	वरि0प्रशासनिक अधिकारी
		श्री शान्ति प्रसाद मैठाणी	मुख्य सहायक
		श्रीमती बीना	वरिष्ठ सहायक
		श्रीमती तनुजा जोशी	कनिष्ठ सहायक
		श्रीमती स्वाती वधानी	कनिष्ठ सहायक
		भीम सिंह वर्तवाल	कनिष्ठ सहायक
		श्री सुनील सिंह बुटोला	कनिष्ठ सहायक
		पाकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यू0)
2	टी0आर0 /प्राविधिक/विधि	श्री प्रमोद नौड़ियाल	वरि0प्रशासनिक अधिकारी (टीआर)
		श्री हर्षमणि सेमवाल	प्रशासनिक अधिकारी (विधि)
		श्री संदीप भण्डारी	कनिष्ठ सहायक
3	एस0टी0ए0	विपिन चन्द्र रमोला	प्रशासनिक अधिकारी
		श्री विनोद पाठक	मुख्य सहायक (नियोजन)
		श्री मनीष चन्द्रा	वरिष्ठ सहायक
		श्री महेश कुमार	कनिष्ट सहायक
		श्री नरेन्द्र रावत	अनुसेवक
4	एम0आई0एस0/नजारत /प्रवर्तन	श्री धर्मपाल	वरि0प्रशासनिक अधिकारी (नजारत)
		श्री उमेश चन्द्र	प्रशासनिक अधिकारी
		गिरीश चन्द्र	मुख्य सहायक (प्रवर्तन)
		श्रीमती नीता भण्डारी	मुख्य सहायक
		श्री आशीष सकलानी	कनिष्ठ सहायक
5	आरटीआई	श्री कमलकान्त सेमावाल	मुख्य सहायक
		श्री प्रवीन उनियाल	कनिष्ठ सहायक
6	लेखा/आडिट	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	लेखाकार
		नीरा लोहनी	मुख्य सहायक
		विजेन्द्र कुमार	सहायक लेखाकार
		कु. आशा	सहायक लेखाकार
		अमित कुमार	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक
		सुधीर कुमार राणा	वरिष्ठ सहायक

7	लीड एजेंसी	विपिन कुमार	कनिष्ठ सहायक
8	परामर्शी	रवि कुमार–2	कनिष्ठ सहायक
1	निजी सहायक, परिवहन आयुक्त	श्री कृष्ण चन्द्र जोशी,	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक
2	निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त	श्री पवन कुमार	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक
3	निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, मुख्यालय	श्रीमती अम्बिका कुकरेती	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक
4	निजी सहायक, सहायक परिवहन आयुक्त	श्रीमती मीनाक्षी नैथानी	वैयक्ति सहायक
5	एस0टी0ए0 / नियोजन / कम्प्यू0 अनुभाग से सम्बद्ध	कु0 अन्जना	वैयक्ति सहायक

क्षेत्रीय कार्यालय

परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष है और उनके अधीन मुख्यालय पर तैनात स्टाफ के अतिरिक्त निम्नलिखित संभागीय / उप संभागीय कार्यालय एंव चैकपोस्ट स्थापित है :–

क्र0सं0	संभागीय परिवहन कार्यालय	दूरभाष संख्या	सम्बन्धित जनपद
1	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, 105 राजपुर रोड़, देहरादून।	0135–2743432	देहरादून, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार
2	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, निकट मुख्य कोषागार, पौडी।	01368–223003	पौडी गढवाल, चमोली एवं रूद्रप्रयाग
3	सम्भागीय परिवहन कार्यालय कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।	05946–260207	नैनीताल, उधमसिंहनगर एवं चम्पावत
4–	सम्भागीय परिवहन कार्यालय मटेला, पो0ओ0 कोसी, अल्मोड़ा।	05943–224033	अल्मोड़ा, बागेश्वर, एवं पिथौरागढ़

उप संभाग स्तरीय कार्यालय – जनता की सुविधा हेतु उक्त संभागीय परिवहन कार्यालयो के अतिरिक्त निम्न उप संभागीय परिवहन कार्यालय स्वीकृत है :–

क्र0सं0	उप संभागीय परिवहन कार्यालय	दूरभाष संख्या
1–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कचहरी परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार।	01334–260221
2–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश (देहरादून)	0135–2430623
3–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बौराडी बस अड्डे के पास, नई टिहरी।	01376–233623
4–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बड़ेथी चुंगी, मातली, उत्तरकाशी।	01374–223860
5–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, गुलाबराय, बद्रीनाथ रोड, रूद्रप्रयाग।	01364–233914
6–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कालेश्वर बद्रीनाथ रोड, कर्णप्रयाग (चमोली)	01363–241568

7–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कचहरी परिसर, ऊधमसिंहनगर।	05944–247620
8–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रायसिलपट्टा, पिथौरागढ़।	05964–228222
9–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत रोड, टनकपुर (चम्पावत)	05943–266498
10–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कांडा रोड़, बागेश्वर।	05963–220099
11–	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, सिम्मल चौड, कोटद्वार (पौड़ी)	01382–229412
12–	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	01360–224004
13–	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मोहनपुरा, रूड़की, हरिद्वार।	01332–276767
14–	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।	05943–224033
15–	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर (नैनिताल)	
16–	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)	

परिवहन चैक पोस्ट – उत्तराखण्ड राज्य से बाहर किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन से सीमा पर कर एवं शुल्क वसूल करने हेतु निम्न चैकपोस्टे स्वीकृत हैः–

क्र0 सं0	चैक पोस्ट का नाम	जनपद	चैक पोस्ट स्थित है	
			मार्ग का नाम	राज्य
1	आशारोडी	देहरादून	देहरादून–सहारनपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
2	कुल्हाल	देहरादून	देहरादून–पौंटा	हिमाचल प्रदेश(क्रियाशील)
3	तिमली	देहरादून	सहारनपुर–विकासनगर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
4	त्यूनी	देहरादून	त्यूनी–पौंटा साहिब	हिमाचल प्रदेश (–)
5	भगवानपुर	हरिद्वार	रूडकी–सहारनपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
6	मंगलौर (नारसन)	हरिद्वार	रूडकी–दिल्ली	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
7	चिड़ियापुर	हरिद्वार	हरिद्वार–नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
8	कौडिया	पौडी	कोटद्वार–नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
9	रूद्रपुर	उधमसिंहनगर	उधमसिंहनगर–रामपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
10	काशीपुर	उधमसिंहनगर	काशीपुर–मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
11	बाजपुर	उधमसिंहनगर	बाजपुर–स्वार–रामपुर	उत्तर प्रदेश (–)
12	जसपुर	उधमसिंहनगर	धामपुर–अफजलगढ़–काशीपुर	उत्तर प्रदेश (–)
13	पुलभट्टा	उधमसिंहनगर	हल्द्वानी–बरेली	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
14	दौराहा	उधमसिंहनगर	काशीपुर–रामपुर	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
15	मंजौला	उधमसिंहनगर	खटीमा–पीलीभीत	उत्तर प्रदेश (क्रियाशील)
16	नादेही	उधमसिंहनगर	धामपुर–काशीपुर	उत्तर प्रदेश (–)
17	सितारगंज	उधमसिंहनगर	सितारगंज–पीलीभीत	उत्तर प्रदेश (–)
18	मेलाघाट	उधमसिंहनगर	खटीमा–मेलाघाट–पुरनपुर	उत्तर प्रदेश (–)
19	बनबसा	चम्पावत	बनबसा–नेपाल बॉर्डर	नेपाल (क्रियाशील)

अस्थायी यात्रा चैकपोस्ट

(समान्यतः यात्राकाल में अप्रैल से अक्टूबर के मध्य क्रियाशील)

क्रम सं0	चैक पोस्ट का नाम	जनपद	मार्ग जिस पर चैक पोस्ट स्थित है
1	2	3	4
1	भद्रकाली	टिहरी गढ़वाल	ऋषिकेश–गंगोत्री
2	तपोवन	टिहरी गढ़वाल	ऋषिकेश–बद्रीनाथ
3	सोनप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग –केदारनाथ
4	कुठालगेट	देहरादून	देहरादून–मंसूरी
5	डामटा	देहरादून	विकासनगर–उत्तरकाशी
6	जोशीमठ	चमोली	कर्णप्रयाग–जोशीमठ–बद्रीनाथ

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन :–

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण गठित किये गये हैं:–

क्रं0 सं0	परिवहन प्राधिकरण का नाम	प्राधिकरण का विनिर्दिष्ट क्षेत्र
1–	राज्य परिवहन प्राधिकरण, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
2–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपद
3–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी	पौडी गढवाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली जनपद
4–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी	नैनीताल, उधमसिंहनगर एवं चम्पावत जनपद
5–	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपद

यात्री वाहनों को सम्पूर्ण भारतवर्ष/राज्य/अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा अपने विनिर्दिष्ट क्षेत्रान्तर्गत् मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय देहरादून

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग के संगठनात्मक स्वरूप, विशेषताएं और कर्त्तव्य निम्न प्रकार हैं :–

संगठन की स्थापना :– देहरादून सम्भाग का सम्भागीय परिवहन कार्यालय, 105, राजपुर रोड, देहरादून में स्थापित है।

<u>संगठन का ढांचा</u> :– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग के अंतर्गत देहरादून, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपद सम्मिलित है।

देहरादून सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, का कार्यालय कचहरी परिसर, रोशनाबाद, हरिद्वार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश का कार्यालय, बाईपास रोड, ऋषिकेश क्षेत्र में, सहायक सम्भागीय परिवहन उत्तरकाशी का कार्यालय, बडेथी, उत्तरकाशी में, एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टिहरी का कार्यालय, बोराड़ी, नई टिहरी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की में स्थापित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत वेतमान/वेतन बैंड/ग्रैड वेतन/ वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पद						
		देहरादून	हरिद्वार	ऋषिकेश	टिहरी	उत्तरकाशी	विकासनगर	रूड़की
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000–15,200	01	–	–	–	–	–	–
	15600–39100							
	6600							
	67,700–2,08,700							
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000–13,500	02	02	01	01	01	01	01
	15600–39100							
	5400							
	56100–1,77,500							
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	8,000–13,500	02	01	01	01	01	–	–
	15600–39100							
	5400							
	56100–1,77,500							
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7,450–11,500	03	01	01	01	01	–	–
	9,300–34,800							
	4800							
	47600–1,51,600							
परिवहन कर अधिकारी–1	6,500–10,500	01	01	01	01	01	01	01
	9300–34800							
	4600							
	44900–1,42,400							
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500–10,500	02	01	01	01	01	01	01
	9300–34800							
	4200							
	35400–1,12,400							

प्रशासनिक अधिकारी	5500—9000 9300—34800 4600 44900—1,42,400	03	01	01	01	01	—	—
सहायक अभियोक्ता	5000—9,000 9300—34800 4200 35400—1,12,400	01	—	—	—	—	—	—
परिवहन कर अधिकारी—2	5000—8,000 9300—34800 4200 35400—1,12,400	02	02	01	01	01	—	—
लेखाकार	5,500—9,000 9300—34800 4200 35400—1,12,400	01	01	01	01	01	—	—
सहायक लेखाकार	4,500—7,000 5200—20,200 2800 29200—92,300	01	—	—	—	—	01	01
वैयक्तिक सहायक	4,000—6,000 5200—20,200 2400 29200—92,300	01	—	—	—	—	—	—
मुख्य सहायक	4,500—7,000 5200—20,200 4200 35400—1,12,400	06	02	02	02	02	—	—
वरिष्ठ सहायक	4,000—6,000 5200—20,200 2800 29200—92,300	09	03	02	02	02	01	01
कनिष्ठ सहायक	3,050—4,590 5200—20,200 2000 21,700—69,100	11	04	03	03	03	01	01
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050—4,590 5200—20,200 2400 25500—81,100	01	01	01	01	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3,050—4,590 5200—20,200 1900 19900—63,200	02	01	01	01	01	01	01

प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400 5200–20,200 2000 21,700–69,100	06	05	04	04	04	02	02
दफ्तरी	2,550–3,200 4440–7440 1800 18000–56,900	01	–	–	–	–	–	–
अनुसेवक	2,550–3,200 4440–7440 1800 18000–56,900	10	03	03	03	03	01	01
योग		**66**	**29**	**24**	**24**	**24**	**11**	**11**

परिवहन चेक पोस्ट :– देहरादून सम्भाग के अंतर्गत अन्य राज्य की सीमा में निम्न स्थानों पर परिवहन चैक पोस्टें स्वीकृत है, जिनमें से वर्तमान में 06 स्थानों पर चेकपोस्टें संचालित हैं तथा शेष दो स्वीकृत चेकपोस्ट स्थापित की जानी है।

1. आशारोडी (देहरादून–सहारनपुर मार्ग)
2. कुल्हाल (देहरादून–पौंटा साहिब मार्ग)
3. भगवानपुर (रूड़की–सहारनपुर मार्ग)
4 नारसन (रूड़की–मुजफ्फरनगर मार्ग)
5. चिडियापुर (हरिद्वार–नजीबाबाद मार्ग)
6. तिमली (विकासनगर–सहारनपुर मार्ग)
7. त्यूनी (त्यूनी–रोहडूं मार्ग) स्थापित की जानी है।

इन चैक पोस्टों को राउण्ड द क्लॉक संचालन किये जाने हेतु प्रत्येक चैक पोस्ट के लिए 03 परिवहन कर अधिकारी–2, 03 कनिष्ठ सहायक 06 प्रवर्तन सिपाही के पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार इन चैकपोस्टों हेतु कुल सृजित पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**स्वीकृत वेतनमान**	**वेतन बैंड / ग्रेड वेतन**	**वेतन मैट्रिक्स**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
परिवहन कर अधिकारी श्रेणी–2	21	5,000–8,000	9300–34800 4200	35,400– 1,12,400
कनिष्ठ सहायक	21	3,050–4,590	5200–20200 2000	21,700– 69,100
प्रवर्तन सिपाही	42	2,750–4,400	5200–20200 2000	21,700– 69,100

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून का गठन

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा देहरादून, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपदों हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून का गठन किया गया है। आयुक्त गढ़वाल मण्डल इसके अध्यक्ष हैं तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2017 से श्री राजपाल सिंह,468 आवास विकास कालोनी, रूड़की, हरिद्वार एवं श्री अनिल डबराल, 141 किशननगर, देहरादून गैर सरकारी सदस्य नामित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, पौड़ी

संगठन की स्थापना :– चार सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में से पौडी सम्भाग का कार्यालय, निकट कोषागार, पौडी में स्थापित है।

संगठन का ढांचा :– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौडी सम्भाग के अंतर्गत पौडी गढवाल, चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपद सम्मिलित है। वर्तमान में पौडी सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, का कार्यालय सिम्मल चौड, कोटद्वार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग का कार्यालय कालेश्वर बद्रीनाथ रोड, कर्णप्रयाग एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग का कार्यालय गुलाबराय, बद्रीनाथ रोड, रूद्रप्रयाग में स्थापित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत वेतमान / वेतन बैंड / ग्रैड वेतन / वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पद			
		पौड़ी	कोटद्वार	रुद्रप्रयाग	कर्णप्रयाग
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000–15,200	01	–	–	–
	15600–39100				
	6600				
	67,700–2,08,700				
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000–13,500	02	01	01	01
	15600–39100				
	5400				
	56,100–1,77,500				

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	– 15600–39100 5400 56,100–1,77,500	01	01	01	01
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7,450–11,500 9,300–34,800 4800 47,600–1,51,100	02	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी–1	6,500–10,500 9300–34800 4600 44,800–1,42,400	01	01	01	01
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500–10,5000 9300–34800 4200 35,400–1,12,400	02	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी–2	5,000–8,000 9300–34800 4200 35,400–1,12,400	02	01	01	01
प्रशासनिक अधिकारी	5,500–9,000 9300–34800 4600 44,800–1,42,400	02	01	01	01
लेखाकार	5,500–9,000 9300–34800 4200 35,400–1,12,400	01	01	01	01
सहायक लेखाकार	4,500–7,000 5200–20,200 2800 29,200–92,300	01	–	–	–
वैयक्तिक सहायक	4,000–6,000 5200–20,200 2800 29,200–92,300	01	–	–	–
मुख्य सहायक	4,500–7,000 5200–20,200 4200 35,400–1,12,400	04	02	02	02
वरिष्ठ सहायक	4,000–6,000 5200–20,200 2800 29,200–92,300	05	02	02	02

कनिष्ठ सहायक	3,050–4,590 5200–20,200 2000 21,700–69,100	06	03	03	03
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590 5200–20,200 2400 25,500–81,100	01	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3,050–4,590 5200–20,200 1900 19,900–63,200	02	01	01	01
प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400 5200–20,200 2000 21,700–69,100	06	04	04	04
दफतरी	2,550–3,200 4440–7440 1800 18,000–56900	01	–	–	–
अनुसेवक	2,550–3,200 4440–7440 1800 18000–56900	06	03	03	03
योग		**47**	**24**	**24**	**24**

परिवहन चेक पोस्ट :– पौड़ी सम्भाग के अंतर्गत उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर कोटद्वार –नजीमाबाद मार्ग पर कौडिया नामक स्थान पर चैकपोस्ट स्थापित है, इस चैकपोस्ट पर राउण्ड द क्लॉक संचालन किये जाने के लिए 03 परिवहन कर अधिकारी–2, 03 कनिष्ठ सहायक 06 प्रवर्तन सिपाही के पद स्वीकृत हैं।

अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	वेतन मैट्रिक्स
1	2	3	4	5
परिवहन कर अधिकारी, श्रेणी–2	03	5,000–8,000	9300–34800 4200	35,400–1,12,400
कनिष्ठ सहायक	03	3,050–4,590	5200–20200 2000	21,700–69,100
प्रवर्तन सिपाही	06	2,750–4,400	5200–20200 2000	21,700–69,100

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी का गठन :– मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पौड़ी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपदों हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी का गठन किया गया है। आयुक्त गढ़वाल मण्डल इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2017 से श्री विक्रान्त रावत, ग्राम च्वीचा, थाना मौहल्ला, पौडी गढवाल एवं श्री राकेश कुमार डिमरी, (राकुडी) c/o होटल स्वास्तिक H.N.B. नगर कर्णप्रयाग, चमोली गैर सरकारी सदस्य नामित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, हल्द्वानी

संगठन की स्थापना :– चार सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में से नैनीताल सम्भाग का कार्यालय कुसुम खेडा, हल्द्वानी में स्थापित है।

संगठन का ढांचा :– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग के अंतर्गत नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत जनपद सम्मिलित है। हल्द्वानी सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंहनगर, का कार्यालय कचहरी परिसर, रूद्रपुर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चम्पावत का कार्यालय पीलीभीत रोड, टनकपुर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, काशीपुर एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय रामनगर मे स्थापित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत वेतमान/ वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/ वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पद				
		हल्द्वानी	उधमसिंहनगर	टनकपुर	काशीपुर	रामनगर
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000–15,200 15600–39100 6600 67,700–2,08,700	01	–	–	–	–
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000–13,500 15600–39100 5400 56,100–1,77,500	02	02	01	01	01

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	– 15600–39100 5400 56,100–1,77,500	01	01	01	–	–
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7,450–11,500 9,300–34,800 4800 47,600–1,51,100	02	01	01	–	–
परिवहन कर अधिकारी–1	6,500–10,500 9300–34800 4600 44,800–1,42,400	01	01	01	01	01
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500–10,500 9300–34800 4200 35,400–1,12,400	02	01	01	01	01
परिवहन कर अधिकारी–2	5,000–8,000 9300–34800 4200 35,400–1,12,400	02	02	01	–	–
प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000 9300–34800 4600 44,800–1,42,400	02	01	01	–	–
सहायक अभियोक्ता	5500–9000 9300–34800 4200 35,400–1,12,400	01	–	–	–	–
लेखाकार	5,500–9,000 9300–34,800 4200 35,400–1,12,400	01	01	01	–	–
सहायक लेखाकार	4,500–7,000 5200–20,200 2800 29,200–92,300	01	–	–	01	01
वैयक्तिक सहायक	4,000–6,000 5200–20,200 2800 29,200–92,300	01	–	–	–	–
मुख्य सहायक	4,500–7,000 5200–20,200 4200 35,400–1,12,400	04	02	02	–	–
वरिष्ठ सहायक	4,000–6,000 5200–20,200 2800 29,200–92,300	06	03	02	01	01

कनिष्ठ सहायक	3,050–4,590 5200–20,200 2000 21,700–69,100	07	04	03	01	01
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590 5200–20,200 2400 25,500–81,100	01	01	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3,050–4,590 5200–20,200 1900 19,900–63,200	02	01	01	01	01 आउटसोर्स
प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400 5200–20,200 2000 21,700–69,100	06	05	04	02	03
दफतरी	2,550–3,200 4440–7440 1800 18,000–56,900	01	–	–	–	–
अनुसेवक	2,550–3,200 4440–7440 1800 18,000–56,900	07	03	03	01	01 आउटसोर्स
योग		**51** **(कनिष्ठ सहायक के 09 पद चैकपोस्ट हेतु स्वीकृत)**	**29** **(कनिष्ठ सहायक के 15 पद चैकपोस्ट हेतु स्वीकृत)**	**24** **(कनिष्ठ सहायक के 09 पद चैकपोस्ट हेतु स्वीकृत)**	11	**12**

<u>परिवहन चेक पोस्ट</u> :– हल्द्वानी सम्भाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य तथा नेपाल देश की सीमा के निम्न 11 स्थानों पर परिवहन चैक पोस्टें स्वीकृत है, जिनमें से वर्तमान में 04 चेकपोस्टें संचालित हैं तथा शेष 07 स्वीकृत चेकपोस्ट स्थापित की जानी है।

1– रूदपुर (उधमसिंहनगर–रामपुर मार्ग)

2– काशीपुर (मुरादाबाद मार्ग)

3– पुलभट्टा (हल्द्वानी–बरेली मार्ग)

4– दोराहा (काशीपुर–रामपुर मार्ग)

5– बाजपुर (बाजपुर–स्वार–रामपुर मार्ग) स्थापित की जानी है।

6– जसपुर (काशीपुर–अफजलगढ–धामपुर मार्ग) स्थापित की जानी है।

7– मझौला (खटीमा–पीलीभीत मार्ग)

8— नादेही (काशीपुर—धामपुर) स्थापित की जानी है।

9— सितारंगज (सितारगंज—पीलीभीत) स्थापित की जानी है।

10— मेलाघाट (खटीमा—मेलाघाट—पूरनपुर मार्ग) स्थापित की जानी है।

11— बनबसा (बनबसा—नेपाल बॉर्डर)

इन चैक पोस्टों को राउण्ड द क्लॉक संचालन किये जाने हेतु प्रत्येक चैक पोस्ट के लिए 03 परिवहन कर अधिकारी—2, 03 कनिष्ठ सहायक 06 प्रवर्तन सिपाही के पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार इन चैकपोस्टों हेतु कुल सृजित पदों का विवरण निम्नवत् हैं :—

अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	वेतन मैट्रिक्स
1	2	3	4	5
परिवहन कर अधिकारी श्रेणी—2	33	5,000—8,000	9300—34800 4200	35,400—1,12,400
कनिष्ठ सहायक	33	3,050—4,590	5200—20200 2000	21,700—69,100
प्रवर्तन सिपाही	66	2,750—4,400	5200—20200 2000	21,700—69,100

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी का गठन

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—88 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी, हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी का गठन किया गया है। आयुक्त कुमायूँ मण्डल इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2017 से श्री रविन्द्र कर्नाटक, ग्राम सिलौटीपन्त, नौकुचियाताल, नैनीताल एवं श्री दयाशंकर जोशी, ग्राम व पोस्ट हरिपुरा, बाजपुर उधमसिंहनगर गैर सरकारी सदस्य नामित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्ग त मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, अल्मोडा

संगठन की स्थापना :— चार सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में से अल्मोडा सम्भाग का कार्यालय लोधिया बाजार, अल्मोडा में स्थापित है।

<u>संगठन का ढांचा</u> :– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा सम्भाग के अंतर्गत अल्मोडा, बागेश्वर, एवं पिथौरागढ़, जनपद सम्मिलित है। अल्मोडा सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़, का कार्यालय एंचोली पिथौरागढ़ में, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय बागेश्वर का कार्यालय कांडा रोड, बागेश्वर एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रानीखेत, अल्मोड़ा में स्थापित है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोडा सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत वेतमान / वेतन बैंड/ ग्रैड वेतन / वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पद			
		अल्मोडा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	रानीखेत
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10,000–15,200	01	–	–	–
	15,600–39100				
	6600				
	67,700–2,08,700				
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8,000–13,500	02	01	01	01
	15,600–39100				
	5400				
	56,100–1,77,500				
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	–	01	01	01	–
	15,600–39100				
	5400				
	56,100–1,77,500				
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7,450–11,500	02	01	01	–
	9,300–34,800				
	4800				
	47,800–1,51,100				
परिवहन कर अधिकारी –1	6,500–10,500	01	01	01	01
	9300–34800				
	4200				
	35,400–1,12,400				
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6,500–10,500	02	01	01	01
	9300–34800				
	4200				
	35,400–1,12,400				
परिवहन कर अधिकारी –2	5,000–8,000	02	01	01	–
	9300–34800				
	4200				
	35,400–1,12,400				
प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	02	01	01	–
	9300–39800				
	4600				
	44,800–1,42,400				

लेखाकार	5,000–8,000 9300–8000 4200 35,400–1,12,400	01	01	01	–
सहायक लेखाकार	4,500–7,000 5200–20200 2800 29,200–92,300	01	–	–	01
वैयक्तिक सहायक	4,000–6,000 5200–20200 2800 29,200–92,300	01	–	–	–
मुख्य सहायक	4,500–7,000 5200–20200 4200 35,400–1,12,400	04	02	02	–
वरिष्ठ सहायक	4,000–6,000 5200:20200 2800 29,200–92,300	05	02	02	01
कनिष्ठ सहायक	3,050–4,590 5200–20200 2000 21,700–69,100	06	03	03	01
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590 5200–20200 2400 25,500–81,100	01	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3,050–4,590 5200–20200 1900 19,900–63,200	02	01	01	01 आउटसोर्स
प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400 5200:20200 2000 21,700–69,100	06	04	04	03
अनुसेवक	2,550–3,200 4440–7440 1800 18,000–56,000	06	03	03	01 आउटसोर्स
योग		**46**	**24**	**24**	**12**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोडा का गठन

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अल्मोडा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोड़ा का गठन किया गया है। आयुक्त कुॅमायू मण्डल इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में इसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2017 से श्री हरीश सिंह नागरकोटी, ग्राम खडायत, पोस्ट सिमलकोट, पिथौरागढ़ एंव श्री ललित चन्द्र पाण्डे, ग्राम व पोस्ट अभ्याडी, रानीखेत, जिला अल्मोडा गैर सरकारी सदस्य नामित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी अल्मोड़ा इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के कार्य :–

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अंतर्गत स्थापित चारों सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों एवं उनके अधीन स्थापित उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों के मुख्य कार्य निम्नवत हैं :–

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन प्रदत्त कार्य ।

(2) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अधीन प्रदत्त कार्य।

(3) उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन प्रदत्त कार्य।

(4) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।

(5) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।

(6) मोटर वाहनों से कर वसूली एवं अनुश्रवण।

(7) मोटर यान चलाने हेतु चालक अनुज्ञप्ति देना, मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति देना, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण करना, परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देना।

(8) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य।

(9) सम्भाग के क्षेत्रान्तर्गत अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करने हेतु मार्ग सर्वेक्षण करना, मार्ग निर्धारित करना ।

(10) सम्भाग के क्षेत्रान्तर्गत विधिक व्यवस्थानुसार मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी के परमिट जारी करना, उनका नवीकरण करना, अस्थायी परमिट देना।

(11) माल यानों के राष्ट्रीय परमिट देना व उनका नवीकरण करना।

(12) मार्गों पर संचालित वाहनों की सघन चैकिंग करना, अवैध संचालन रोकना, वाहनों से करों की वसूली करना, वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों की चैकिंग कर प्रदूषण पर नियंत्रण करना, नियमानुसार न चलने वाले, करापवंचन करने वाले मोटर यानों का चालान कर उन्हें बन्द करना।

(13) चालान से सम्बन्धित वादों, न्यायालय में दायर याचिकाओं की प्रभावी पैरवी करना।

(14) उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों पर नियंत्रण।

(15) सम्भाग का बजट सम्बन्धी कार्य करना।

(16) राजस्व वसूली, प्रवर्तन एवं राजस्व प्राप्ति के आकड़ों की समीक्षा एवं उनका प्रेषण।

(17) आडिट आपत्तियों का उत्तर प्रेषित करना।

(18) सम्भाग/उपसम्भाग के अधीन समस्त स्टाफ, फील्ड स्टाफ पर नियंत्रण बनाये रखना एवं उनके कार्य की समीक्षा करना।

(19) सम्भाग के अधीन कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति आदि सम्बन्धी कार्य।

<u>कार्य का संचालन :–</u>

कार्य विषय के आधार पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में निम्न शाखाओं में कार्य विभाजित है :–

1– सामान्य प्रशासन शाखा,
2– रजिस्ट्रीकरण, कर एवं अतिरिक्त कर शाखा,
3– अनुज्ञप्ति शाखा,
4– प्रवर्तन शाखा,
5– लेखा शाखा,
6– कैश शाखा,
7– परमिट शाखा,

प्रत्येक शाखा में यथा आवश्यक़ मुख्य सहायक, प्रवर सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं लेखा सम्बन्धी कार्य के लिये लेखाकार, सहायक लेखाकार, अन्य सहायक तैनात हैं। उप सम्भागीय कार्यालयों में भी तदानुसार कार्य संचालन किया जाता है।

राज्य परिवहन अपील अधिनियम के समक्ष अपील :–

मोटरयान अधिनयम 1988 के अध्याय–5 परिवहन यानों का नियंत्रण के अधीन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा –

(क) परमिट देने से इन्कार करने या दिये गये परमिट पर लगायी गई किसी शर्त से; या

(ख) परमिट के प्रति संहरण या निलम्बन से या उसकी शर्तों में दिये गये किसी परिवर्तन से; या

(ग) धारा–82 के अधीन परमिट का अन्तरण करने से इन्कार करने से; या

(घ) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार या ऐसे प्रतिहस्तान्तरण पर लगायी गयी किसी शर्त से; या

(ड.) परमिट के नवीकरण से इन्कार करने से; या

(च) धारा 83 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने से या किसी अन्य विहित आदेश से– व्यथित कोई व्यक्ति राज्य परिवहन अपील के समक्ष अपील कर सकता है, उत्तराखयड राज्य में राज्य परिवहन अपील अधिकरण सी–1 लेन संख्या–1 शास्त्रीनगर, देहरादून में अवस्थित है।

कार्यालय समय एवं कार्य प्रणाली :–

सम्भाग के अंतर्गत स्थापित सभी कार्यालयों में कार्य अवधि प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे निर्धारित है। कार्यालय में आने वाली आम जनता के कार्य को सुलभ एवं पारदर्शिता के साथ समय से सम्पादित करने हेतु कार्यालयों में आवश्यक औपचारिकताएं सम्बन्धी सूचनाएं मार्गदर्शन के लिए सूचना पट्ट पर प्रदर्शित हैं। लाइसेंस पंजीयन, हस्तान्तण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट सम्बन्धी कार्यों की जानकारी हेतु कार्यालय स्तर पर पम्पलेट छपवाकर जनता को उपलब्ध कराये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति को आवश्यतानुसार समूल्य फार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु पटल निर्धारित हैं। यदि किसी कर्मी को कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी से कोई शिकायत है तो वह

कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं अथवा इस हेतु कार्यालय में लगी शिकायत एवं सुझाव पेटिका का उपयोग कर सकते हैं। सभी कार्यालयों में शिकायत एवं सुझाव पेटिका स्थापित है जो कार्यालयाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है।

संलग्न अभिलेख।

संख्या–690 / 59 / स0परि0 / कैम्प22001

पी.सी0शर्मा ,
सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड
देहरादून।

देहरादून दिनांक 25 जून 2001

विषयः– परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के पुर्नगठन का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के फलस्वरूप परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संगठनात्मक ढ़ाचें जिसका विवरण निम्नवत् है, पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– परिवहन आयुक्त संगठन के कुल पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	संगठन के लिये कुल स्वीकृत पद
1	2	3	4
1	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	1
2	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18300	1
3	उप परिवहन आयुक्त	12000–16500	3
4	सहायक परिवहन आयुक्त	10000–15200	1
5	वित्त नियंत्रक /वरिष्ठ लेखाधिकारी	संवर्गानुसार	1
6	संभागीय परिवहन अधिकारी	10000–15200	3
7	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	8000–13500	14
8	यात्री कर अधिकारी	6500–10500	3
9	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	1
10	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500	1
11	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	5500–10500	3
12	सहायक संभागीय परिवहन निरीक्षक (प्राविधिक)	5000–8000	7
13	यात्रीकर अधीक्षक	5000–8000	43
14	सहायक अभियोक्ता परिवहन	5500–9000	1
15	लेखाकार	5000–8000	4
16	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर / आशुलिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	5000–8000 4000–6000	11
17	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड –1	6500–10500	1
18	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड –2	5000–8000	2
19	मुख्य लिपिक	4500–7000	3
20	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4500–700	21
21	वरिष्ठ सहायक लिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	60
22	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	69
23	लेखा लिपिक	4000–6000	8

24	प्रर्वतन चालक	3050–4590	18
25	प्रर्वतन प्रवेक्षक	3050–4590	10
26	दफ्तरी	2610–3540	3
27	चपरासी/चौकीदार/ सफाईकार	2550–3200	54
28	सम्प्रेक्षक	5000–8000	1
29	प्रर्वतन सिपाही	2750–4400	111
योगः–			**459**

2– उक्त के अर्न्तगत कुल 79 पद परिवहन आयुक्त कार्यालय के लिये सम्मिलित किये गये है। जिनका विवरण संलग्नक–2 में दिया गया है परिवहन आयुक्त कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिये 7 अनुभागों की स्थापना की स्वीकृति संलग्नक–3 में दी जा रही है।

3– संभाग /क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में पदों का विवरण संलग्नक–5 में दिया जा रहा हैै। संभाग/क्षेत्रीय कार्योलयों हेतु कुल सृजित पदों का आमेलन उक्त क्रमांक –1 में दिये गये विवरण में सम्मिलित कर लिया गया है।

4– परिवहन आयुक्त विभाग के कर सग्रंह केन्द्रों का पुर्नगठन कर कुल 12 कर सग्रंह केन्द्रो के सम्बन्ध में विवरण संलग्नक–4 में दिया जा रहा है। इन केन्द्रो के लिये आवश्यक स्टाफ का आमेलन क्रमांक–1 पर दिये गये विवरण के अर्न्तगत सम्मिलित कर लिया गया है।

5– प्रस्तावगत पद आवश्यकतानुसार ही भरे जाये। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रर्वतन सिपाहियों की व्यवस्था व्यापार कर तथा परिवहन विभाग की चौकियों के लिये संयुक्त रूप से किये जाने पर विचार कर लिया जाये तथा चौकियों के संचालन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रर्यवेक्षण हेतु यथोशक्ति अन्तर विभागीय समन्वय की व्यवस्था भी की जाये।

6– पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

7– पदों की भर्ती/पदोन्नति आदि में नये दिशा–निर्देशों तक पूर्व प्रचलित विभागीय नियमावली आदि ही प्रभावी रहेगी।

8– परिवहन आयुक्त कार्यालय का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार! भवदीय

पी0 सी0 शर्मा
सचिव

संख्या–690/59/स0परि0/कैम्प/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
3– पुर्नगठन आयुक्त , उत्तराखण्ड , लखनऊ।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल कुमाऊ/गढ़वाल।
5– अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड , कैम्प –देहरादून।
6– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
8– पर्यटन परिवहन शाखा।
9– गार्ड फाइल। आज्ञा से

पी0 सी0 शर्मा
सचिव

संलग्नक –2
परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के कार्यालय के लिये प्रस्तावित पदों का विवरणः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	उप परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं अपर परिवहन आयुक्त कार्यालय के पूर्व से स्वीकृत पदों का समायोजन करने के बाद उपलब्ध पद	परिवहन आयुक्त कार्यालय के स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पद	कुल पद	भर्ती का स्त्रोत
1	2	3	4	5	6	7
1	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	—	1	1	शासन स्तर पर
2	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18,300	1	—	1	विभागीय पदोन्नति
3	उप0 परि0 आयु0	12,000–16,500	1	2	3	तदैव
4	सहा0परि0आयु0	10,000–15,200	—	1	1	तदैव
5	स0स0प0अ0 प्राविधिक	8000–13500	—	1	1	तदैव
6	रा0स0प0मुख्यालय	8000–13500	—	1	1	पदोन्नति/सीधी भर्ती से
7	वित्त नि0/वरि0 लेखा अधिकारी	संवर्गानुसार	—	1	1	वित्त सेवा
8	स0 लेखाधिकारी	6500–10500	1	—	1	वित्त सेवा
9	सहा0अभि0 परिवहन	5500–9000	2	—	1	सीधी भर्ती से
10	का0अधी0ग्रेड–1	6500–10500	—	1	1	विभागीय पदोन्नति से
11	का0अधी0ग्रेड–2	5000–8000	**1	—	1	तदैव
12	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5000–8000	1	1	2	तदैव
13	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	1	5	6	सीधी भर्ती से
14	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4500–7000	1	5	6	पदोन्नति से
15	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	3	3	6	पदोन्नति से
16	कनिष्ट लिपिक कम डेटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	5	7	12	यथा सम्भव छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में सीधी भर्ती से
17	लेखाकार प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति से	5000–8000	1	—	1	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति से
18	लेखा/लिपिक	4000–6000	—	1	1	तदैव यथा सम्भव

	चालक / प्र0चालक	3050–4590	1	8	9	छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में
19	प्रवर्तन पर्यवेक्षक प्रवर्तन सिपाही	3050–4590 2750–4400	– –	1 9	1 9	पदोन्नति सीधी भर्ती से सीधी भर्ती पदोन्नति से
20	चपरासी–चौकीदार–सफाईकार	2550–3200	4	8	12	छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में
21	सम्प्रेक्षक	5000–8000	1	–	1	प्रतिनियुक्ति सीधी भर्ती से
योग			**24**	**55**	**79**	

** पूर्व में दो पद स्वीकृत थे किन्तु एक पद को अपग्रेड करके नया कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1 कर दिया है।

पी0सी0 शर्मा
सचिव परिवहन उत्तराखण्ड

संलग्नक–3
परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड कार्यालय के लिये प्रस्तावित अनुभागों एवं उनके लिये प्रस्तावित पदों का विवरण

	अनुभाग	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	वरिष्ठ सहायक	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ट लिपिक	लेखाकार	लेखा लिपिक	सम्प्रेक्षक	सहायक अभियोक्ता परिवहन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	एसटीए	–	–	1	1	2	–	–	–	–
2	अधिष्ठान / सर्तकता सामान्य प्रशासन	1	1	1	2	3	–	–	–	–
3	कर / रूल्स	–	–	1	1	2	–	–	–	–
4	प्रवर्तन	–	–	1	1	2	–	–	–	–
5	संख्या एवं सेन्ट्रल पूल	–	–	1	1	2	–	–	–	–
6	लेखा	–	–	–	–	–	1	1	1	–
7	विधि एव न्यायाधिकरण	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	योग	**1**	**1**	**6**	**6**	**12**	**1**	**1**	**1**	**1**

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकारियों की संख्या के अनुरूप तथा मुख्यालय पर प्रर्वतन दल की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित पद भी स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैः–

1– आशुलिपिक वेतनमान 5,000–8,000	2 पद
2– आशुलिपिक वेतनमान 4,000–6,000	6 पद
3– चालक/प्रर्वतन चालक	9 पद
4– प्रर्वतन, प्रर्यवेक्षक	1 पद
5– प्रर्वतन सिपाही	9 पद
6– चपरासी/चौकीदार/सफाईकार	12 पद

पी0सी0 शर्मा
सचिव परिवहन
उत्तराखण्ड शासन

संलग्नक–4
कर सग्रंह केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव।

(प्रत्येक कर सग्रंह केन्द्र पर 4 यात्रीकर अधीक्षक, 4 अधीक्षक, 4 कनिष्ट लिपिक, 6 प्रर्वतन सिपाही एवं 1 चपरासी का मानक निर्धारित था, जबकि उत्तराखण्ड में प्रत्येक कर सग्रंह केन्द्र पर 3 यात्री कर अधीक्षक, 3 कनिष्ट लिपिक, 6 प्रर्वतन सिपाही एवं 1 चपरासी का मानक रखा गया है।)

क्र0स0	कर सग्रंह केन्द्रों का नाम	पूर्व स्वीकृत पद	प्रस्तावित पद	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	कुल्हालडी0डभ0एस0			
2.	मंगलौर एच.पी0एस0			
3.	आशारोड़ी डी.डिवी0			
4.	रूद्रपुर यू.एस.एच. हल्द्वानी–दिल्ली			
5.	बाजपुर यू.एस.एन.			
6.	ठाकुरद्वारा यू.एस.एन. रामनगर–काशीपुर–मुरादाबाद			
7.	चिड़ियापुर एच.डी.आर. रामनगर–काशीपुर–हरिद्वार			
8.	इकबालपुर एच.डी.आर.			
9	तिमली डी.डी.एन.			
10	पुलभट्टा			
11.	मंझोला			
12.	सितारगंज			

प्रस्तावित पद

1– यात्रीकर अधीक्षक	–	36	36
2– कनिष्ट लिपिक	–	36	36
3– सिपाही	–	72	72
4– चपरासी/सफाई कार		–	12

पी0सी0 शर्मा
सचिव परिवहन
उत्तराखण्ड शासन

संलग्नक– 5
संभागीय कार्यालयों के लिये प्रस्तावित पदों का विवरण–

क0 सं0	पदनाम	पूर्व से स्वीकृत पद	पुनर्गठन के अन्तर्गत प्रस्तावित पद	संगठनों में कुल पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	संभागीय परिवहन अधिकारी	3	–	3
2	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	12	–	12
3	यात्रीकर अधिकारी	3	–	3
4	प्रशासनिक अधिकारी	–	1	1
5	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	3	–	3
6	सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6	1	7
7	यात्रीकर अधीक्षक	10	33	43
8	लेखाकार	1	2	3
9	आशुलिपिक	3	–	3
10	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–11	–	1	1
11	मुख्य लिपिक	3	–	3
12	वरिष्ट सहायक	15	–	15
13	वरिष्ठ लिपिक	54	–	54
14	कनिष्ठ लिपिक	57	–	57
15	लेखा लिपिक	7	–	7
16	चपरासी/ चौकीदार / सफाईवार	42	–	42
17	दफ्तरी	3	–	3
18	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	8	1	9
19	प्रर्वतन चालक	6	3	9
20	प्रवर्तन सिपाही	25	77	102
	योग	**261**	**119**	**380**

उपरोक्त विवरण में कर सग्रंह केन्द्र एवं प्रवर्तन दलों का विवरण भी सम्मिलित है।

पी0सी0 शर्मा
सचिव परिवहन
उत्तराखण्ड शासन

संख्या–113/परि0/545 (परि0)/2000

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2004

परिवहन अनुभाग,

विषयः– परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनॉक 25 जून 2001, जिसके द्वारा पारित विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ॉचे का पुनर्गठन किया गया था, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में वाहनों की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप परिवहन विभाग के कार्यो में बढ़ात्तरी होने से दूरस्थ जनपदों में वाहनों की चैंकिग न होने के फलस्वरूप अनाधिकृत संचालन होने और परिवहन विभाग के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, श्री राज्यपाल महोदय परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25, जून 2001 में संशोधन करते हुए, परिवहन विभाग के संगठनात्मक ढ़ॉचे का निम्नवत् पुर्नगठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– परिवहन आयुक्त कार्यालयः–

2– परिवहन आयुक्त कार्यालय में बढ़े हुए कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए क्रमशः आडिट अनुभाग, एम.आई.एस. अनुभाग प्राविधिक अनुभाग के नामों से 03 नये अनुभागों का सृजन करते हुए पूर्व में स्वीकृत पदों, जिनका उल्लेख तालिका के प्रस्तर–4 किया गया है, के अतिरिक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित अतिरिक्त पदों को आदेश निर्गत करने की तिथि से 29–02–2004 तक बशर्ते उसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पदों का विवरण–

14	पदनाम	वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत अतिरिक्त पद	वर्तमान में स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	01	—	01	
2	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18,300	01	—	01	
3	उप0 परि0 आयु0	12,000–16,500	03	—	03	
4	सहा0परि0आयु0 (प्रशासन)	10,000–15,200	01	—	01	
5	वित्त नि0/वरि0 लेखा अधिकारी	संवर्गानुसार	01	—	01	
6	रा0स0प0 अधिकारी	8000–13500	02	—	02	
7	स0 लेखाधिकारी	6500–10500	01	—	01	
8	का0अधी0ग्रेड–1	5500–9000	01	—	01	
9	सहा0अभि0 परिवहन	5500–9000	01	—	01	
10	संख्या सहायक	5000–8000	—	01	01	
11	का0अधी0ग्रेड–2	5000–8000	01	01	02	
12	सम्परीक्षक/ज्येष्ठलेखा परीक्षक	5000–8000	01	—	01	
13	लेखा परीक्षक	4000–600	—	02	02	
14	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	—	01	01	
15	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5000–8000	02	—	02	
16	आशुलिपिक कम व0 डेटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	01	05	
17	संकलनकर्ता	4000–6000	—	01	01	
18	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4500–7000	06	—	06	
19	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	01	07	
20	कनिष्ठ लिपिक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4500	12	02	14	
21	लेखाकार	5000–8000	01	—	01	
22	सहायक लेखाकार	4000–6000	—	01	01	
23	लेखा लिपिक	3050–4590	01	—	01	
24	चालक/प्रवर्तन	3050–4590	09	—	09	
25	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3050–4590	01	—	01	
26	प्रवर्तन सिपाही	2750–4400	09	—	09	
27	चपरासी/चौकीदार/सफाईकार	2550–3200	12	—	12	
	योग		**79**	**09**	**88**	

3– आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर के पूर्व में स्वीकृत 6 पदों मे से एक पद अपग्रेड कर उसके स्थान पर वैयक्तिक सहायक का पद स्वीकृत किया जा रहा है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में वाहनों की संख्या में हुई वृद्वि को देखेते हुए परिवहन सम्बन्धी कार्यो के सुचारू सम्पादन तथा जनता को निकटस्थ स्थानों पर वाहनों के पंजीयन एवं कर आदि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से अल्मोड़ा में एक नये सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की स्थापना करते हुए पूर्व से स्वीकृत संभागीय परिवहन कार्यालयों क्रमशः देहरादून, पौड़ी तथा हल्द्वानी में पूर्व में सृजित पदों का पुनर्निर्धारण करते हुए सभी चार कार्यालयों हेतु तालिका प्रस्तर–13 मे उल्लिखित अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संभागीय कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत एवं कुल प्रस्तावित पदों का विवरण –

क0 सं0	पदनाम	देहरादून		हल्द्वानी		पौडी		अल्मोडा		योग		कुल पद
		पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	0 1	03	04	0 1

2	सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी	0 2	0 2	02	02	02	0 2	—	02	06	08	02
3	यात्रीकर अधिकारी	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	0 1	03	04	0 1
4	सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	0 1	0 3	0 4	0 1
5	सहायक सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	0 1	0 3	0 4	0 1
6	यात्रीकर अधीक्षक	0 1	0 2	0 1	0 2	0 1	0 2	—	0 2	0 3	0 8	0 5
7	प्रशासनिक अधिकारी	0 1	—	—	—	—	—	—	—	0 1	—	0 1
8	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	—	0 1	0 1	0 1	—	0 1	—	0 1	0 1	0 4	0 3
9	मुख्य लिपिक	—	—	—	—	0 1	—	—	—	0 1	—	0 1
10	लेखाकार	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	0 1	0 3	04	0 1
11	लेखा लिपिक	0 2	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	0 1	0 4	0 4	—
12	आशुलिपिक	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	0 1	0 3	0 4	0 1
13	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	0 5	0 5	0 4	0 5	0 3	0 3	—	0 3	12	16	04
14	वरिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	16	12	15	0 6	0 8	06	—	0 6	39	30	09
15	कनिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	12	16	12	11	05	11	—	11	29	49	20
16	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	0 2	0 1	0 2	0 1	0 1	0 1	—	0 1	0 5	0 4	0 1
17	प्रवर्तन चालक	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	—	0 2	0 6	08	0 2
18	प्रवर्तन सिपाही	0 5	0 6	0 5	0 6	0 5	0 6	—	0 6	15	24	0 9
19	दफ्तरी	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	—	—	0 3	0 3	—
20	चपरासी	10	10	0 9	0 7	0 6	0 6	—	06	25	29	04
	योग	**65**	**65**	**61**	**51**	**42**	**48**	**—**	**47**	**168**	**211**	**55**

नोटः– 1. प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य लिपिक का पूर्व में सृजित एक–एक पद अर्थात कुल 02 पदों को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

2. वरिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर के पूर्व में सृजित कुल 39 पदों मे से उपरोक्त तालिका में दिये गये विवरणानुसार 09 पदों की तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

3. प्रर्वतन प्रर्यवेक्षक के पूर्व में स्वीकृत 05 पदों में से उपरोक्त विवरणानुसार एक पद समाप्त किया जाता है।

4. दफ्तरी के तीन पदों को मृत संदर्भ घोषित किया जाता है।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर–4 में उल्लिखित सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय बागेश्वर, टनकपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं कोटद्वारा में उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना करने तथा पूर्व में स्वीकृत उपसम्भागीय कार्यालय क्रमशः हरिद्वार, ऋषिकेश, उद्यमसिंहनगर एवं पिथौरागढ में पूर्व में सृजित पदों का पुर्ननिर्धारण निम्नवत् करते हुये नये स्वीकृत 07 कार्यालयों को सम्मिलित करते हुये निम्नवत् तालिका के प्रस्तर–15 के अनुसार अतिरिक्त पदों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 29.02.2004 तक, बशर्ते कि इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैः–

उपसंभागीय कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत एवं कुल प्रस्तावित पदों का विवरण–

क्र0 सं0	पदनाम	हरिद्वार		ऋषिकेश		उधमसिंहनगर		पिथौरागढ		नये प्रस्तावित अन्य 07 उप सम्भागों हेतु		योग कुल पद		
		पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	वर्तमान में स्वीकृत अतिरिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	02	02	02	01	01	02	01	01	–	07	06	13	07
2	यात्रीकर अधिकारी	–	01	–	01	–	01	–	01	–	07	–	11	11
3	सहा0सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक	01	01	01	01	01	01	01	01	–	07	04	11	07
4	यात्रीकर अधीक्षक	01	02	01	01	01	02	01	01	–	07	04	13	09
5	मुख्य लिपिक	01	01	01	01	–	01	–	01	–	07	02	11	09
6	लेखा लिपिक	01	01	01	01	01	01	–	01	–	07	03	11	08
7	वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	02	01	02	01	02	–	02	–	14	03	22	19
8	वरिष्ठ लिपिक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	05	04	05	03	04	04	01	03	–	21	15	35	20
9	कनिष्ठ लिपिक कम व. डाटा एन्ट्री आपरेटर	05	06	05	05	04	06	02	05	–	35	16	57	41
10	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	01	01	01	01	01	01	01	01	–	07	04	11	07
11	प्रवर्तन चालक		01	01	01	01	01	01	01	–	07	03	11	08
12	प्रवर्तन सिपाही	04	05	04	04	04	05	03	04	–	28	15	46	31
13	चपरासी	06	03	06	03	03	03	02	03	–	21	17	33	16
	योग	28	30	29	25	22	30	13	25	–	175	92	285	193

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में स्थापित 12 चेकपोस्टो के अतिरिक्त कोडियाला (कोटद्वार–साहिबाबाद मार्ग), नदेही (धामपुर–काष्शीपुर मार्ग), जसपुर (धामपुर–अुजलगढ़द्य– काशीपुर मार्ग) , दौराहा (काशीपुर–रामपुर मार्ग), धोबीघाट (खटीमा–गेलाघाट–पुरनपुर मार्ग), बनवसा (बनबसा– नेपाल मार्ग), त्यूनी(हिमाचल प्रदेश की सीमा पर) अर्थात कुल 7 स्थानो पर अतिरिक्त चेकपोस्ट स्थापित करने हेतु निम्नलिखित पदो को उनके सम्मुख उल्लिखित वेतनमानों में आदेश निर्गत करने तिथि से 29.02.2004 तक बशर्ते कि इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पूर्व में स्वीकृत अतिरिक्त पद	वर्तमान में स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	यात्रीकर अधिकारी	6500–10500	–	04	04	
2	यात्रीकर अधीक्षक	5000–8000	36	21	57	
3	कनिष्ठ लिपिक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	12	45	57	

4	प्रवर्तन सिपाही	2750–4400	72	42	114	
	योग		120	112	232	

उपरोक्त पदो के पदाारको को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मॅहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य होगे, देय होगें।

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्वि के रूप में माने जायेगे। तकनीकी पदों के अतिरिक्त सूह ग व घ के यथासम्भव सरप्लस मूल/छटंनीशुदा कार्मिकों से समायोजन द्वारा भरे जायेगे और इसके द्वारा दो को भरा जाना सम्भव न होने पर ही सीधी भर्ती से पदों को भरा जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्त वर्ष, 2003–2004 के आय–व्यय मे अनुभाग संख्या 24 के लेखालिपिक –3055–सड़क परिवहन–00–आयोजनेत्तर–001 निदेशन तथा प्रशासन –00 परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान–00 के अर्न्तगत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्वशासकीय संख्या–2928/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक 25 फरवरी 2004 में स उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव

संख्या– परि0/545(परि0) /2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाडॅ मण्डल नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड ।
4. अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड , देहरादून ।
5 वित्त संसाधन अनुभाग–3
6. नियोजन प्रकोष्ठ अनुभाग।
7. एमआई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय केन्द्र, देहरादून।
8. वर्ड बुक।

आज्ञा से

गोविन्द वल्लभ ओली,
उपसचिव

कार्यालय परिवहन आयुक्त , उत्तराखण्ड
228 मोहित नगर, देहरादून।

संख्या 2207 / स्थापना / एक–1 / 2004 दिनांक 03–03–2004

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।

विषयः– <u>परिवहन विभाग के ढ़ाचे के पुनर्गठन के अन्तर्गत सृजित पदों की स्वीकृति बनाये जाने के सम्बन्ध मे।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 113 / परि0 / 545(परि0) / 2003 दिनांक 26–02–2004 के अर्न्तगत परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठन करते हुये अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार उक्त स्वीकृति दिनांक 29.02.2004 तक के लिये ही प्रदान की गयी है। जिनकी निरन्तरता बनाये रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त नवसृजित पदों की स्वीकृति / निरन्तरता आगामी अवधि के लिये बढ़ाने का कष्ट कर, ताकि नये ढ़ाचे के अनुसार कार्यालयों के सृजन आदि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून

संख्या–171/3...1/स0परि0/कैम्प/200–2001

दिनांक देहरादून 12 जनवरी 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998, के नियम–55 के उपनियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या –10 सन् 1897) की धारा –21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन् 1988) की धार–68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–1491–टी/30–4–135289 दिनांक 15 मई 1997 का अतिक्रमण करके राज्यपाल उक्त धारा–68 की उपधारा (3) में विर्निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य के लिये राज्य परिवहन प्राधिकरण का निम्न प्रकार गठन करते हैः–

राज्य परिवहन प्राधिकरण

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
राज्य सरकार के न्याय विभाग में सचिव द्वारा निर्दिष्ट	
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी राज्य सरकार	सदस्य

आज्ञा से

पी0 सी0 शर्मा
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून
संख्या–440/3...7/स0परि0/–2002
दिनांक देहरादून 6 सितम्बर 2002

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) व (2) के साथ पठित उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–55 के उपनियम (8) व उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा 86 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं शासकीय अधिसूचना संख्याः–171/3–7/स0परि0/कैम्प/2000–2000 दिनांक 12 जनवरी 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल राज्य परिवहन प्राधिकरण में निम्न सदस्यों के तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड ।
2. श्री कुशलानन्द जोशी, 60 विजय कालोनी, देहरादून।

आज्ञा से

एन.एस. नपलच्याल
सचिव, परिवहन।

संख्या–440/3...7/स0परि0/–2002/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अग्रेंजी अनुवाद सहित सयुंक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग को अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

एन.एस. नपलच्याल
सचिव, परिवहन।

संख्या–440/3...7/स0परि0/–2002/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
2. विधि सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायॅ/गढ़वाल।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड ।
7. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
8. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
9. श्री कुशलानन्द जोशी, 60 विजय कालोनी, देहरादून।
10. परिवहन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से

एन.एस. नपलच्याल
सचिव, परिवहन।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून

संख्या–183/3...7/स0परि0/कैम्प/–2000–2001
दिनांक देहरादून 16 जनवरी 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य के लिये वाहनों के परमिट सम्बन्धी कार्यो के निस्तारण हेतु शासन द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–55 के उपनियम–7 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य निष्पादित करने हेतु एतत्द्वारा नामित किया जाता है।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव

संख्या–183/3...7/स0परि0/कैम्प/–2000–2001

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री राजेन्द्र तिवारी, उपपरिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. पर्यटन–परिवहन अनुभाग।
7. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री को माननीय परिवहन राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या–353/IX/246/–2006
दिनांक देहरादून 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या–183/3–7/परि0/कैम्प/2000–2001 दिनांक 16 जनवरी 2001, को अधिक्रमित करके उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली , 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त के नियम 55 के उपनियम (7) के अधीन श्री टी0पी0 कुण्डलिया, अपर परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव, के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–353(i)/ix/246/–2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री टी0पी0 कुण्डलिया, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री को माननीय परिवहन राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

वी0 राम
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून
संख्या–507/3...7/स0परि0/कैम्प/–2000–2001
दिनांक देहरादून 18 अप्रैल, 2001
अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान, (अनूपूरक) नियमावली, 1989 के नियम–8 के खण्ड (ग) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या–59, सन् 1989) की धारा–68 की उपधारा–(1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना सरकारी अधिसूचना संख्या–716/30–4–135/80, दिनॉक 27 मार्च 1998 का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित सदस्य है, अपने–अपने संभागो और क्षेत्रों में जो प्रत्येक के सामने क्रमशः स्तम्भ–4 और 5 में उल्लिखित है, शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये तात्कालिक प्रभाव से गठन करते हैः–

अनुसूची

क0 सं0	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य	सम्भाग का नाम	क्षेत्रफल
1	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. उप परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड सदस्य 3. शासन द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	देहरादून	उत्तरकाशी टिहरी देहरादून जिले
2	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. उप परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड सदस्य 3. शासन द्वारा नामित	पौडी	पौडी चमोली रूद्रप्रयाग हरिद्वार जिले
3	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण काठगोदाम	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. उप परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड सदस्य 3. शासन द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	कुमायू सम्भाग	नैनीताल अल्मोडा पिथोरागढ चम्पावत उधमसिंहनगर बागेश्वर जिले

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव, परिवहन

संख्या–507 /3...7/स0परि0/कैम्प/2001

प्रतिलिपि–अग्रेंजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड को प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड , सचिवालय को अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव, परिवहन

संख्या– /3...7/स0परि0/कैम्प/2001

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढवाल एवं कुमायूँ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड ।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री जी उत्तराखण्ड ।
7. विधि सचिव, उत्तराखण्ड ।
8.. पर्यटन परिवहन अनुभाग।

आज्ञा से

पी0सी0 शर्मा
सचिव, परिवहन

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या– 439/3...7/स0परि0/–20002
दिनांक देहरादून 6 सितम्बर 2002

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन् 1988) की धारा 68 की की उपधारा (1) व (2) के साथ पठित उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 56 (8) व उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधि0 सं0 29/2000 की धारा 86 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं सरकारी अधिसूचना संख्या– 712/3–7/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 09 जुलाई 2001 को संशोधित करते हुये श्री राज्यपाल श्री सहदेव पुण्डीर, ग्राम सुद्धोवाला, चकराता रोड़, देहरादून के स्थान पर श्री अब्बल सिंह नेगी नालापानी रोड़, देहरादून को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव परिवहन

संख्या–439/3...7/स0परि0/कैम्प/2001

प्रतिलिपि–अग्रेंजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग, को` अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव, परिवहन

संख्या– 439/3...7/स0परि0/2002 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी , उत्तराचल।
2. विधि सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।जिलाधिकारी देहरादून/टिहरी/हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
7. विधि सचिव, उत्तराखण्ड ।निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
8. परिवहन अनुभाग , उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री सहदेव पुण्डीर, ग्राम–सुद्धोवाला, चकराता रोड़, देहरादून।
10. श्री अब्बल सिंह नेगी, नालापानी रोड़, देहरादून।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव, परिवहन

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या 851/246 IX/2005
देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2005

अधिसूचना/संशोधन

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) व (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान (अनुपूरकर नियमावली 1989 के नियम 56 के उपनियम (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उप परिवहन आयुक्त का पद रिक्त होन के फलस्वरूप, अधिसूचना संख्या–507/3–7/स0परि0/कैम्प/2001, दिनांक 18 अप्रैल 2001 में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री ब्रजेश नवानी, दून विहार, राजा रोड़, देहरादून, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, काठगोदाम (कुमायूँ संभाग) में श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरस्वरूप सिंह जयपुर, उद्यमसिंहनगर को तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–851/246–IX 2005, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजेकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना सरकारी गजट के माह अगस्त 2005 के अंक में प्रकाशित कर इसकी 250–250 प्रतियां परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, परिवहन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

जी0बी0 ओली
संयुक्त सचिव

संख्या–851/246–IX 2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड !
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, को अपन मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड ।
5. अपर परिवहन आयुक्त, देहरादून।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

जी0बी0 ओली
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या 11/अ.स./परि0/2002
देहरादून दिनांक 19 सितम्बर 2002

अधिसूचना

उत्तराखण्ड में संभागीय परिवहन प्राधिकरणों के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या–507/3–7/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 18 अप्रैल 2001, अधिसूचना संख्या 11/3–7/ स0परि02कैम्प/2001 दिनांक 18 अप्रैल 2001 दिनांक 9 जुलाई 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल मोटर वाहन अधिनियम–1988 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या 319/परि0/2002 दिनांक 14 अगस्त 2002 का अतिक्रमण करते हुये श्री एच0बी0 तिवारी, कालाढूगी चौराहा, हल्द्वानी जिला नैनीताल के स्थान पर श्री विजय शाह निवासी आनन्द कुटीर तल्लीताल, नैनीताल को संभागीय परिवहन प्राधिकरण काठगोदाम (कुमायूँ संभाग) के लिये एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव

संख्या–11/अ.स.स0परि0/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–अग्रेंजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, उत्तराखण्ड को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के परिवहन विभाग, को अतिशीघ्र भेजी जाये।

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
सचिव, परिवहन

संख्या–11/अ.स.स0परि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/ कुमाऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड , देहरादून।

सरकारी गजट उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून बुधवार 04 जून 2003 ई0

जयेष्ठ 14, 1825 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन विभाग

संख्या 09/परि0/2003

देहरादून 4 जून 2003

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) व (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 56 के उपनियम (8) व उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 86 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं शासकीय अधिसूचना सं0–751/सचि0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 24 जुलाई 2001 को संशोधित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय श्री महावीर सिंह के स्थान पर श्री शिव सिंह रावत, द्वीप सिनेमा, मानपुर, कोटद्वार को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी के लिये एक गैर सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

एन0 एस0 नपलच्याल
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या 621/IX/परि0/2005
देहरादून दिनांक 31 मई, 2005
अधिसूचना

राज्य साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 उत्तर प्रदेश मोटरयान (अनुपूरक) नियमावली, 1989 के नियम 8 के खण्ड (ग) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और परिवहन विभाग अधिसूचना संख्या 507/3–7/ स0परि0/कैम्प/2001, दिनांक 18 अप्रैल 2001 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये नीचे अनुसूची के स्तम्भ –2 में उल्लिखित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का जिसके सामने स्तम्भ–3 में उल्लिखित सदस्य है, अपने संभाग और क्षेत्र में जो क्रमशः स्तम्भ –4 और 5 में उल्लिखित है, शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये तात्कालिक प्रभाव से गठन करते हैः–

अनुसूची

क0 सं0	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य	सम्भाग का नाम	क्षेत्रफल
1	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून	1. आयुक्त कुमायू मण्डल अध्यक्ष 2. अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड सदस्य 3. श्री ललित असवाल पुत्र श्री प्रताप सिंह ग्राम एवं पो0 गनियां घोली रानीखेत गैर सरकारी सदस्य	अल्मोडा सम्भाग	अल्मोडा बागेश्वर एवं पिथौरागढ जिलें।

आज्ञा से

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 621/IX/246/परि0/2005 तद्दिनांक।

अधिसूचना की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड को प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय

जी0 बी0 ओली
उपसचिव

संख्या – 621/IX/246/परि0/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त , उत्तराखण्ड , देहरादून।
2. मण्डलायुक्त,गढ़वाल एवं कुमायूँ पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
7. विधि सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. पर्यटन/परिवहन अनुभाग।

आज्ञा से

जी0बी0 ओली
उपसचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या 419/IX/246/2006
देहरादून दिनांक 22 मई, 2006
अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा –68 की उपधारा (1) और (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत) के नियम 56 के उपनियम 8 (दो) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या– 851/246/IX/2005, दिनांक 29 अगस्त 2005 के क्रम में श्री लखपत सिंह भण्डारी पुत्र स्व0 गजपाल सिंह भण्डारी, सदस्य जिला पंचायत, पौड़ी (श्रीकोट) उत्तराखण्ड राज्य संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–419(i)/IX/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के माह मई 2006 में प्रकाशित कर उसकी 250–250 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड एवं परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

वी0 राम
अनुसचिव,

संख्या–419(iii)/IX/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड ।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. परिवहन आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड ।
7. सम्बन्धित महानुभाव।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

वी0 राम
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–03
संख्या– 419/XXVII/(3)/2005
देहरादून दिनांक 13 सितम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञापन

प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति (1997–1999) द्वारा 14 वें प्रतिवेदन तथा 16 वें प्रतिवेदन खण्ड 1 व 2 के माध्यम से सम्बन्धित संवर्गों/विभागों के विषय में की गयी संस्तुतियों के क्रम में, केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयो के आधार पर, कि जिन पदों पर केन्द्र के पद से पद की समकक्षता दिनांक 18 जनवरी 1986, से स्थापित की गयी थी, केनद्र सरकार मं ऐसे पदों के वेतनमानों में संशोधन किये जाने पर राज्य सरकार भी तद्नुसार विचार करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा लेखाकारों संवर्ग के वेतनमानों को संशोधित कर दिया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में जिन विभागो अथवा संगठनों में नियमित लेखा/लेखा परीक्षा सवंर्ग गठित है। दिनांक 01 अप्रैल 2001 से पुनरीक्षित/उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0 सं0	वर्तमान पदनाम	01.01.1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान	01.04.2001 से संशोधित पदनाम	01.04.2001 से संशोधित वेतनमान
1	सहायक लेखाकार	रू0 4000–100–6000	सहायक लेखाकार	रू0 4500–125–7000
2	लेखाकार	रू0 5000–150–8000	लेखाकार	रू0 5500–175–9000
3	सहायक लेखाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी तथा सचिवालय हेतु मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	रू0 6500–200–10500	सहायक लेखाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी तथा सचिवालय हेतु मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	रू07450–225–11500
4	लेखा परीक्षक	रू0 4000–100–6000	लेखा परीक्षक	रू0 4500–125–7000
5	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5000–150–8000	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5500–175–9000
6	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	रू0 5500–175–9000	सहायक लेखाधिकारी परीक्षा अधिकारी	रू06500–200–10500
7	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 (वरिष्ठ वेतनमान)	रू0 6500–200–10,500	सहायक लेखाधिकारी परीक्षा अधिकारी	रू07450–225–11500
8	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2	रू0 6500–200–10500	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2	रू07500–250–12000

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि जिन प्रकरणों में दिनांक 01.01.1996 से लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग को संशोधित वेतनमान प्रदान किये गये है, तत्सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के समबन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही 01.04.2001 से उक्त संवर्गों हेतु संशोधित वेतनमान लागू किया जाय।

राधा रतूडी
सचिव, वित्त।

संख्या– 419(1)/xxvii(3)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड , देहरादून।
3– वरिष्ठ तकनीकी, निदेशक,, एनआईसी, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह
अपर सचिव वित्त।

संख्या–1335/IX/610/2006

प्रेषक,

श्रीमान राजीव चन्द्र जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

परिवहन अनुभाग देहरादून दिनांक 07 मार्च 2006

विषयः– वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के क्रम में लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों के वेतनमानों में 01.04.2001 से संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति 1997 –99 की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या– 419/XXVII (3)/2005 दिनांक 13.09.2005 के अनुक्रम में राज्य के परिवहन विभाग के लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के निम्न पदों हेतु दिनांक 01.01.1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमानो को दिनांक 01 अप्रैल 2001 से निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0स0	पदनाम	01.01.96 से लागू सामान्य पुनरीक्षित पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	01.04.2001 से लागू सेशोधित वेतनमान (रूपये में)
1.	लेखाकार	5000–150–8000	5500–175–9000
2.	सहायक लेखाकार	4000–100–6000	4500–125–7000
3.	लेखा परीक्षक	4000–100–6000	4500–125–7000
4.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5000–150–8000	5500–175–9000

उपरोक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानो में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम सग्रंह खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण उसके साथ पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्दर की धनराशि उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य करते हुये उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन की धनराशि का समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों से कर लिया जायेगा। उपरोक्तानुसार सम्बन्धित पदधारक को मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा, अर्थात वह दिनांक 01 अप्रैल 2001 अथवा वर्तमान वेतनमान में किसी अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है। उक्त अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारियों द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से विकल्प दिया गया है। विकल्प देने की अंतिम तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथ से 90 दिन की अवधि तक होगी।

3– दिनांक 01 अप्रैल 2001 से दिनांक 31.10.2005 तक का देय अवशेष सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा और उक्त खाता न होने की स्थिति में इसका भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जायेगा । जो अधिकारी/कर्मचारी इस अवधि में सेवानिवृत हो गये है उन्हे उक्त अवधि के अवशेष का भुगतान नकद किया जायेगा।

4–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 186A/ix/2006 दिनांक 02 मार्च 2006 द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

राजीव चन्द जोशी
अपर सचिव

संख्या– /ix//2006 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. वित्त अनुभाग–2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

वी0 राम
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 709/IX/246/2007
देहरादून दिनांक 12 सितम्बर, 2007

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 55 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में श्री जतिन्दर पाल सिंह चढ्ढ़ा पुत्र श्री हरचरण सिंह चढ्ढ़ा, सन्त निवास, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या /IX/ /2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या–709/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं नैनीताल उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आइ0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 33/IX/246/2008
देहरादून दिनांक 29 फरवरी, 2008

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या– 353/IX/246/2006 दिनांक 28–04–2006 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 55 के उपनियम (7) के अधीन श्री विनोद शर्मा, अपर सचिव, परिवहन एवं अपर परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0 रामास्वामी
सचिव

संख्या– 33/IX/246/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. श्री विनोद शर्मा, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 782/IX/228/2007
देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर 2007

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी में श्री जसपाल सिंह नेगी पुत्र श्री गौर सिंह नेगी, निकट विकास भवन, पौड़ी तथा श्री उमेश त्रिपाठी पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, स्टेशन रोड़, कोटद्वार को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या –782/IX/228/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या–782/IX/228/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड ।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–01
संख्या–770/ix/246/2007
देहरादून दिनांक 8 नवम्बर 2007

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम 8 के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राजयपाल संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा मे श्री श्याम नारायण पाण्डे, पुत्र श्री यतीन्दर प्रसाद पाण्डे, निवासी– ग्राम नया संगरौली, पो0ओ0 जयंती, जिला अल्मोड़ा को को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या –770/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या–770/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड ।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग–1
संख्या 708/IX/246/2007
देहरादून दिनांक 12 सितम्बर 2007

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राजयपाल संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री आनन्द प्रकाश नौटियाल, कौलागढ़, टपकेश्वर रोड़, देहरादून को तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी में श्री राजेन्द्र सिंह बोरा, ग्राम चीनपुर, पो0 –हरिपुर नायक, हल्दू, हल्द्वानी, नैनीताल को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0रामास्वामी
सचिव

संख्या –708/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गरिमा रौंकली
उप सचिव

संख्या –708/IX/246/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड ।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

5. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित महानुभाव।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग
संख्या–72/XXI/2008
देहरादून दिनांक 23 जनवरी 2008

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है है कि सरदार सन्त सिंह को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। सरदार सन्त सिंह को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य होगीः–

1– प्रतिमाह मानदेयः – रू0 8000/– (नियत)

2. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु ड्राइवर सहित एक स्टाफ कार। (पेट्रोल 150 लीटर प्रतिमाह से अनधिक)

3– कार्यालय एवं आवास पर एक–एक टेलीफोन।

4– वैयक्तिक सहायक–1 (विभागीय रूप से अनुउपलब्ध होने पर रू0 6000/– प्रतिमाह नियत वेतन पर Co-terminus basis पर)।

5– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 (विभाग द्वारा)

6– पदीय दायित्वों के लिये राज्य के अन्दर रेल यात्राा करने पर उपलब्ध उच्चतम् श्रेणी में एक बर्थ।

7– पदीय दायित्वों के लिए राज्य के अन्दर सड़क मार्ग से भ्रमण करने पर वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति।

8– पदीय दायित्वों के लिए राज्य के अन्दर सड़क मार्ग से भ्रमण करने पर वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति।

9– पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु की गयी यात्राओं पर दैनिक भत्ता–शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप।

10– एक निःशुल्क गनर की सुविधा।

11– राज्य सरकार के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा, परिचर्या और उपचार।

12– आवासीय भत्ता रू0 5000/– प्रतिमाह।

13– पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी राज्य के अन्दर यात्राओं में शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप सर्किट हाऊस एवं अन्य निरीक्षण भवनों में ठहरने की सुविधा।

2– पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रदेश से बाहर की यात्राओं का अनुमोदन विभागीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।

.2.

3– स्टाफ सम्बन्धित परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मानदेय, वाहन, कार्यालय व्यय, स्टाफ, यात्राओं आदि पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग/परिषद द्वारा वहन किया जायेगा, जिससे उन्हें नियुक्त किया गया है।

भास्करानन्द
अपर सचिव

संख्या –72/XXI/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, समसत मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, परिवहन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सम्बन्ध में अग्रेत्तर समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित महानुभाव द्वारा सम्बन्धित सचिव।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्स कोषाधिकारी, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

ओमकार सिंह
अनुसचिव

संख्या 213/IX/543/2008

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 05 अगस्त 2008

विषयः– परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे मे मिनिस्टीरियल संवर्ग का पुर्नगठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग क्रमशः 419/XXVII (3)/2005 दिनांक 13–09–2005 व संख्या 76/XXVII (7)/2006 दिनांक 03–06–2006 तथा संख्या 110/419/XX VII (7)/2006 दिनांक 29–06–2006 के क्रम में स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या 690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 25 जून 2001 एवं शासनादेश संख्या 113परि0/545 (परि0)/2003 दिनांक 26 फरवरी 2004 द्वारा परिवहन विभाग में मिनिस्टीरियल संवर्ग में सृजित कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, मुख्य सहायक (पूर्व में वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर), प्रवर सहायक (पूर्व में वरिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा एन्ट्री आपरेटर) तथा कनिष्ठ सहायक (पूर्व में कनिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा एन्ट्री आपरेटर) के कुल सृजित 311 पदों का श्री राजयपाल महोदय निम्नवत् पुनगर्ठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	सम्भागीय उपसम्भागीय परिवहन हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	चैकपोस्टों हेतु	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	01	–	–	01
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	5000–9000	04	04	–	08
3	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	5000–8000	07	15	–	22
4	मुख्य सहायक	4500–7000	09	69	–	78
5	प्रवर सहायक	4000–6000	09	84	–	93
6	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	14	38	57	109
	योग		**44**	**210**	**57**	**311**

2– लिपिकीय सवंर्ग में उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संगत सेवा नियमों में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व निर्गत आदेशों में उक्त मदों के नाम व संख्या भी उक्तवत संशोधित समझी जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1113/XXX VIII (7)/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

एस0 रामास्वामी
सचिव

संख्या 213/IX/543/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–3/7
5. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड,सचिवालय केन्द्र, देहरादून।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

गरिमा रौकली
उपसचिव

संख्या 358/IX/543/2008

प्रेषक,

विनोद शर्मा

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 01 दिसम्बर 2008

विषयः– **परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढ़ाचे मे आशुलिपिक एवं लेखा संवर्ग का स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पुनर्गठन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 110/XX VII(7)/2006 दिनांक 29–06–2006 के क्रम में स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या 690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 25 जून 2001 एवं शासनादेश संख्या 113परि0/545 (परि0)/2003 दिनांक 26 फरवरी 2004 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संगठनात्मक ढ़ाचे में आशुलिपिक एवं लेखा संवर्ग का निम्नवत पुनर्गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–110/XXVII (7)/2006 दिनांक 29–06–2006 के क्रम में उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तर पर पदों का अनुपातिक प्रतिशत 50ः 30ः 15ः 5 रखते हुये निम्नवत पुनर्गठन किया जाता हैः–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान रू0 में	परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	सम्भागीय उपसम्भागीय परिवहन हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	6500–10500	01	–	01
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	5500–9000	02	–	02
3	आशुलिपिक ग्रेड–1	5000–8000	03	–	03
4	आशुलिपिक ग्रेड–2	4000–6000	02	04	06
	योग		**08**	**04**	**12**

.2.

4– लेखा संवर्ग में अब लेखालिपिक पदनाम समाप्त किये जाने के फलस्वरूप विभाग मे लेखालिपिक के पूर्व स्वीकृत पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाता है। यदि इस पद पर कोई कार्मिक वत्रमान में कार्रूरत है, तो उन्हे सहा0 लेखाकार के पद पर समायेाजित किये जाने की कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा सवंर्ग 80:20 के अनुपात में करते हुये निम्नवत पुनर्गठित किया जाता है–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान रू0 में	परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	सम्भागीय उपसम्भागीय परिवहन हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	लेखाकार	5500–9000	03	15	18
2	सहायक लेखाकार	4500–7000	–	04	04
3	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5500–9000	02	–	02
4	लेखा परीक्षक	4500–7000	01	–	01
	योग		**06**	**19**	**25**

5– आशुलिपिक संवर्ग तथा लेखा संवर्ग में उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संगत नियमों में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त पदों की अर्हता आदि भी वित्त विभाग के द्वारा इस हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायेगी।
6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या संख्या 1625/XXVII (7)/2008 दिनांक 12–11–2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

विनोद शर्मा
अपर सचिव

संख्या 358/IX/543/2008 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–7
5. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव

शासनादेश संख्या –395/XXX VII (7)/2008 का सलग्नक–1

वर्तमान वेतनमान			दिनांक 01.01.2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढ़ांचा	
क्रमांक	वर्तमान वेतनमान दिनांक 01.01.2006 के पूर्व	वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	सादृश्य बैंड वेतन बैंड
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
17	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
20	14300–450–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैंड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
8 रामबाग, कांवली, देहरादून।

संख्या–3313/सा0प्र0/दो–3/2008 दिनांक 29 दिसम्बर, 2008

कार्यालयादेश

वर्तमान में कई विभागीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु उपकरणों की आपूर्ति, स्टेशनरी/फार्मों का मुद्रण, वाहनों की समयबद्ध मरम्मत आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिये नजारत अनुभाग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत और कार्य के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु तत्काल प्रभाव से परिवहन आयुक्त कार्यालय में सृजित विभिन्न अनुभागों का निम्न प्रकार पुनर्गठन करते हुये उनके मध्य कार्यों का आवंटन किया जाता है–

क्रं0 सं0	अनुभाग का नाम	मुख्य कार्य
1	अधिष्ठान	1– विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अधिष्ठान सम्बन्धी रिट याचिका, अवकाश सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।
2	सामान्य/प्रशासन/सतर्कता	1– कार्यालय के सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य। 2– चारधाम यात्रा सम्बन्धी कार्य। 3– लोक सभा/विधान सभा/पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य। 4– विभिन्न मेलों सम्बन्धी कार्य। 5– अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 6– शासन एवं विभागीय स्तर की शिकायतों का निस्तारण। 7– डाक निष्कासन सम्बन्धी कार्य।
3	नजारत अनुभाग	1– भवनों की मरम्मत, पानी–बिजली/उपस्कर की खरीद फरोख्त सम्बन्धी कार्य। 2– विभिन्न प्रकार की फार्मों/स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण, वितरण तथा स्टाक सम्बन्धी कार्य। 3– अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्दी का क्रय। 4– विभागीय वाहनों का क्रय एवं रख रखाव। 5– प्रवर्तन दलों हेतु आवश्यक संयंत्रों का क्रय एवं रख रखाव। 6– समस्त बैठकों की व्यवस्था करना। 7– कार्यालय के चौकीदार, अनुसेवक, सफाई कर्मी तथा पानी बिजली से सम्बन्धित कर्मियों की डयूटी पर नियंत्रण। 8– विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर/मशीनों के क्रय एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्य।
4	एस0टी0ए0 अनुभाग	1– विभिन्न प्रकार के परमिट जारी/नवीनीकरण एवं सम्बन्धित कार्य। 2– अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार। 3– मार्गों का निर्धारण/राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्य। 4– बस अडडों का निर्माण/स्थापना सम्बन्धी कार्य। 5– नगर बस सेवा सम्बन्धी कार्य। 6– परमिट सम्बन्धी रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य।

		7– विभिन्न नगरों में यातायात व्यवस्था सम्बन्धी काय। 8– परिवहन निगम से पत्र व्यवहार। 9– यात्री/मालभाडे की दरों का निर्धारण। 10– विधान सभा से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों का प्रेषण एवं संकलन।
5	लेखा/आडिट/सेन्टरपूल/नियोजन	1– आडिट सम्बन्धी समस्त कार्य 2– बजट एवं आय व्ययक सम्बन्धी कार्य। 3– पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी कार्य। 4– सेन्टर पूल में प्राप्त ड्राफ्टों का कोषागार में भुगतान एवं रख रखाव 5– सेन्टर पूल की क्लीयरेन्स हाउस बैठकों में प्रतिभाग करना। 6– विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूली सम्बन्धी कार्य। 7– जीपीएफ/सेवा पुस्तिका सम्बन्धी कार्य। 8– नये भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य। 9– विभाग में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनायें। 10– अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन आदि सम्बन्धी कार्य। 11– दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का वितरण सम्बन्धी कार्य।
6	टीआर (कर/रूल्स एवं पंजीयन)	1– मोटरयान अधिनियम/केन्द्रीय मोटरयान नियमावली विषयक निर्देशों का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी अपीलें। 2– कर पंजीयन सम्बन्धी अपीलें। 3– राज्य मोटरयान नियमावली का प्रख्यापन, समय–समय पर संशोधन के प्रस्ताव आदि तैयार कराया जाना। 4– राज्य कराधान अधिनियम/नियमावली में संशोधन सम्बन्धी कार्य। 5– कर परिहार सम्बन्धी मामलें। 6– मोटरयान दुर्घटनाओं सम्बन्धी बैठकों की तैयारी, दुर्घटनाओं में प्रदान की जाने वाली राहत राशि सम्बन्धी कार्य।
7	प्राविधिक अनुभाग	1– नई लॉच होने वाले वाहनों के पंजीयन अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 2– एलपीजी/सीएनजी किट अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 3– मोटर गैराज/प्रदूषण जॉच केन्द्र/चालक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य। 4– अन्य विभागों की सरकारी वाहनों के निष्प्रयोज्य एवं मरम्मत स्वीकृति सम्बन्धी कार्य। 5– चालक लाईसेन्स सम्बन्धी अपीलें।
8	प्रवर्तन अनुभाग	1– प्रवर्तन दलों के कार्यों की समीक्षा। 2– स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों सम्बन्धी कार्य। 3– राष्ट्रीय/राज्य सडक सुरक्षा परिषद सम्बन्धी बैठकों से सम्बन्धित कार्य 4– राज्य में चलाये जाने वाले विशेष चैकिंग अभियानों सम्बन्धी कार्य एवं प्रस्ताव। 5– चैकिंग से सम्बन्धित मासिक विवरण/विश्लेषण।

		6– पुलिस, प्रशासन एवं टास्क फोर्स से प्राप्त सूचनाओं का संकलन। 7– राज्य स्तर पर प्रवर्तन के आधार पर की गयी अनुशंसाओं का ब्यौरा। 8– समाचार पत्रों में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समाचारों का संकलन।
9	विधि एवं न्यायाधिकरण	मा0 न्यायालयों में विभाग के विरूद्ध दायर मामलों में विभागीय पक्ष रखे जाने विषयक कार्य।
10	एमआईएस	1– विभिन्न प्रकार के विवरण पत्रों का संकलन एवं शासन/उच्चाधिकारियों को प्रेषण। 2– मासिक समीक्षा बैठकों का एजेण्डा तैयार करना। 3– परिवहन विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को अध्यावधिक करना।
11	आर0टी0आई0	सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य।
12	सांख्यिकी सेल	राज्य के परिवहन विभाग से सम्बन्धित स्टेटमेन्ट बनाने हेतु सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय के नेतृत्व में एक सांख्यिकी सेल का गठन किया जाता है। जिसमें प्रवर्तन/प्राविधिक/एमआईएस/अधिष्ठान /एसटीए/टीआर/लेखा अनुभाग के प्रभारी सदस्य होंगे। उक्त सेल द्वारा विभागीय कार्यकलापों के प्रचार प्रसार सम्बन्धी पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन सम्बन्धी कार्य किया जायेगा।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों के द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अन्य अतिरिक्त कार्यों का सम्पादन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्त अनुभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों की निम्नवत तैनाती करते हुये निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल नये आवंटित अनुभाग/पटल पर कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे।

क्र0सं0	अनुभाग का नाम		प्रस्तावित अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पटल
1	अधिष्ठान/सा0प्र0/सतर्कता	1	जयलाल सिंह नेगी	परिवहन कर अधिकारी–2	अनुभाग प्रभारी
		2	नवीन मैठाणी	प्रवर सहायक	अधिष्ठान
		3	हर्षमणी सेमवाल	क0सहायक	अधिष्ठान
		4	श्रीमती नीता भण्डारी	क0सहायक	सा0प्रशा0
		5	कमल कान्त सेमवाल	क0सहायक	सा0प्रशा0
		6	हीरा सिंह गुसांई	क0सहायक	डाक निष्कासन
2	नजारत	1	डी0पी0सकलानी	प्रशासनिक अधिकारी	अनुभाग प्रभारी
		2	के0के0 बिजल्वाण	क0सहायक	–
		3	संजय पुण्डीर	क0सहायक	–
3	एस0टी0ए0/विधि एवं न्यायाधिकरण	1	रमेश सिंह राणा	प्रशासनिक अधिकारी	अनुभाग प्रभारी
		2	धर्मपाल	प्रवर सहायक	एस0टी0ए0
		3	सुरेन्द्र सिंह नेगी	प्रवर सहायक	एस0टी0ए0
		4	शांति प्रसाद मैठाणी	क0सहायक	एस0टी0ए0
		5	हर्षमणी सेमवाल	क0सहायक	विधि

4	टी0टार0	1	विपिन चन्द रमोला	क0सहायक	टीआर
		2	नन्द किशोर लोहिया	क0सहायक	टीआर
5	प्राविधिक/प्रवर्तन/एमआईएस	1	हीरा सिंह बर्गली	प्रशासनिक अधिकारी	अनुभाग प्रभारी
		2	प्रमोद नौडियाल	प्रवर सहायक	प्रवर्तन
		3	गिरीश चन्द	क0सहायक	प्राविधिक/एमआईएस
		4	यशवीर सिंह बिष्ट	क0सहायक	प्राविधिक
6	लेखा/सेन्टर पूल/आडिट/नियेाजन	1	अमर सिंह	व0लेखाधिकारी	–
		2	विजय सिंह रावत	स0लेखाधिकारी	–
		3	शूरवीर सिंह भण्डारी	लेखाकार	–
		4	मोहनलाल	प्रवर सहायक	सेन्टर पूल
		5	सुरेश कोटनाला	क0सहायक	लेखा
		6	नरेन्द्र सिंह नेगी	क0सहायक	आडिट/नियोजन
7	आर0टी0आई0	1	सोन सिंह सजवाण	ओएसडी	–
		2	मुकेश नेगी	क0सहायक	आरटीआई
8	टी0सी0 कैम्प	1	नरेश संगल	वैयक्तिक सहायक	
		2	उमेश चन्द्र	क0सहायक	टीसी कैम्प/कम्प्यूटर
9	एटीसी कैम्प	1	मनीष चन्द्रा	क0सहायक	कम्प्यूटर एवं विधि अनुभाग में भी सहायक होंगे।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
2– मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी।
3– समस्त कार्मिकों को अनुपालानार्थ।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–484/ix/246/4/2009
देहरादून दिनांक 03 नवम्बर 2009

अधिसूचना

राज्यपाल मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री विजेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री यूएस भण्डारी, 05 गांधी चौक, मसूरी, देहरादून को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या– 484/ix/246/4/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित िकइस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियां परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–500/ix/246/2009
देहरादून दिनांक 11 नवम्बर 2009

अधिसूचना

राज्यपाल मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी में श्री हरविन्दर सिंह चडढा पुत्र श्री संथोक सिंह चडढा 5/93, भोटिया पडाव, नैनीताल रोड, हल्द्वानी को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से

उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या– 500/ix/246/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियां परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या–443/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांक 09 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय– **विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में प्रदेश के मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान रू0 5000–8000) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान रू0 5500–9000) जिनकी दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड–2 में समान ग्रेड पे रू0 4200 हो गयी है, का आमेलन करते हुये आमेलित पद का पदनाम 'प्रशासनिक अधिकारी' तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 में ग्रेड पे रू0 4200 यथावत रहेगी।

2– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद प्रोन्नति का पद है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू0 6500–10500) को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड पे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 तथा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 के समान रू0 4200 हो गयी है। अतः वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के वेतनमान रू0 6500–10500 को दिनांक 01.01.2006 से रू0 7450–11500 में उच्चीकृत करते हुये पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 में ग्रेड पे रू0 4200 के स्थान पर रू0 4600 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उपरोक्तानुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे पर लिये गये निर्णय के अनुरूप संगत सेवा नियमावली में पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में भी आवश्यक संशोधन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव

संख्या– 443(1)/xxvii(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– निदेशक एनआईसी सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण्डेय
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या– 183/xxx(2)/2010
देहरादून दिनांक 11 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्टीरियल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

क्रं0सं0	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1	कनिष्ठ सहायक	35 %	32%
2	प्रवर सहायक	30%	30%
3	मुख्य सहायक	25%	18%
4	प्रशासनिक अधिकारी	10%	20%

2– जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्टीरियल कर्मी हो, वहॉ पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा तथा पूर्व से सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाप्त नही किया जायेगा। इस प्रकार से अनुमन्य लाभ दिनांक 01 जनवरी 2010 से नोशनल रूप से दिया जायेगा।

3– कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदो ंके सम्बन्ध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुये विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

शत्रुध्न सिंह
प्रमुख
सचिव।

संख्या– 183(1)/xxx(2)/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायू मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
अपर सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 38/अधि0/6–2/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010

कार्यालयादेश

तत्काल प्रभाव से परिवहन आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन निम्न प्रकार से करते हुये निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी नये आवंटित अनुभागों में कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करें–

क्र0 सं0	अनुभाग का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पदनाम
1	सा0प्र0/अधिष्ठान/टीआर/नियोजन/कम्प्यूटर	डी0पी0 सकलानी	प्रशासनिक अधिकारी
		नरेश संगल	प्रशासनिक अधिकारी
		नवीन मैठाणी	मुख्य सहायक
		प्रमोद नौडियाल	मुख्य सहायक
		विपिन रमोला	प्रवर सहायक
		यशवीर सिंह बिष्ट	प्रवर सहायक
		विनोद पाठक	क0सहायक
		श्रीमती बीना	क0सहायक
		श्रीमती नीरा लोहनी	क0सहायक
2	एस0टी0ए0	रमेश सिंह राणा	प्रशासनिक अधिकारी
		नन्द किशोर लोहिया	क0सहायक
		शान्ति प्रसाद मैठाणी	क0सहायक
		मनीष चन्द्रा	क0सहायक
3	प्राविधिक/प्रवर्तन/एमआइएस	हीरा सिंह बर्गली	प्रशासनिक अधिकारी
		गिरीश चन्द्र	प्रवर सहायक
		धर्मपाल	मुख्य सहायक
		उमेश चन्द	प्रवर सहायक
4	विधि एवं न्यायाधिकरण आरटीआई	हर्षमणी सेमवाल	सहायक अभियोक्ता
		मुकेश नेगी	क0सहायक
5	लेखा, सेन्ट्रल पूल एवं ऑडिट	विजय सिंह रावत	सहायक लेखाधिकारी
		महेन्द्र कुमार	लेखाकार
		मोहन लाल	मुख्य सहायक
		सुधीर राणा	क0सहायक
		कमलकान्त सेमवाल	क0सहायक
		श्रीमती नीता भण्डारी	क0सहायक

2– सा0प्र0/अधि0/टीआर/नियोजन/कम्प्यूटर अनुभागों में 02 प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किये गये है। उक्त दोनो में वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग प्रभारी होंगे।

3– समस्त अनुभाग प्रभारी अपने अनुभागों में तैनात किये गये कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन/आवंटन का प्रस्ताव 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

4– उपरोक्त के अतिरिक्त एक ही प्रकार के कार्य भिन्न–भिन्न अनुभागों में सम्पादित न हो और कार्यों में अपेक्षित गति प्रदान करने के उददेश्य से विभिन्न अनुभागों के मध्य कार्यों का आवंटन निम्नवत किया जाता है। समस्त अनुभागों द्वारा उन्हे आवंटित कार्य के अनुरूपक कार्य का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रम सं0	अनुभाग का नाम	आवंटित मुख्य कार्य
1	अधिष्ठान/ सामान्य प्रशासन	1– प्रवर्तन कर्मी को छोडकर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– प्रवर्तन कर्मियों के अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3– अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य। 4–उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 5– शासन एवं विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण। 6– कार्यालय के सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य। 7– चार धाम यात्रा सम्बन्धी कार्य। 8– लोक सभा/विधानसभा/पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य। 9– विभिन्न मेलों सम्बन्धी कार्य। 10– डाक निष्काषन सम्बन्धी कार्यं 11– फर्नीचर/स्टेशनरी आदि का क्रय एवं अनुरक्षण। 12– भवनों की मरम्मत, पानी/बिजली/उपस्कर की खरीद फरोख्त सम्बन्धी कार्य।
2	एस0टी0ए0 अनुभाग	1– विभिन्न प्रकार के परमिट जारी/नवीनीकरण सम्बन्धित कार्य। 2– अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार। 3– मार्गों का निर्धारण/राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्य। 4– बस अडडों का निर्माण/स्थापना सम्बन्धी कार्य। 5– नगर बस सेवा सम्बन्धी कार्य। 6– परमिट सम्बन्धी रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य। 7– विभिन्न नगरों में यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। 8– परिवहन निगम से पत्र व्यवहार। 9– यात्री/माल भाडे की दरों का निर्धारण। 10– परमिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 11– विधानसभा से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों का प्रेषण एवं संकलन।
3	लेखा/ऑडिट/सेन्ट्रल पूल	1– ऑडिट सम्बन्धी समस्त कार्य। 2– बजट एवं आय व्ययक सम्बन्धी कार्य। 3– पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी कार्य। 4– सेन्ट्रल पूल में प्राप्त ड्राफ्टों का कोषागार में भुगतान एवं रख रखाव।

		5– सेन्ट्रल पूल की क्लीयरेन्स हाउस बैठकों में प्रतिभाग करना। 6– विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूली सम्बन्धी कार्य। 7– जीपीएफ/सेवा पुस्तिका सम्बन्धी कार्य। 8– अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन आदि सम्बन्धी कार्य। 9– दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण सम्बन्धी कार्य। 10– लेखा/बजट/आडिट सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
4	टी0आर0 (कर/रूल्स एवं पंजीयन)	1– मोटर यान अधिनियम/केन्द्रीय मोटरयान नियमावली विषयक निर्देशों का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी कार्य। 2– कर पंजीयन सम्बन्धी अपीलें। 3– राज्य मोटरयान नियमावली का प्रख्यापन, समय–समय पर संशोधन के प्रस्ताव आदि तैयार कराया जाना। 4– राज्य कराधान अधिनियम/नियमावली में संशोधन सम्बन्धी कार्य। 5– कर परिहार सम्बन्धी मामलें। 6– मोटरयान दुर्घटनाओं सम्बन्धी बैठकों की तैयारी, दुर्घटनाओं में प्रदान की जाने वाली राहत राशि सम्बन्धी कार्य। 7– अनुभाग सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
5	प्राविधिक अनुभाग	1– नई लॉच होने वाली वाहनों के पंजीयन अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 2– एलपीजी/सीएनजी किट अनुमोदन सम्बन्धी कार्य। 3– मोटर गैराज/प्रदूषण जॉच केन्द्र/चालक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य। 4– अन्य विभागों की सरकारी वाहनों के निष्प्रयोज्य एवं मरम्मत स्वीकृति सम्बन्धी कार्य। 5– चालक लाईसेन्स सम्बन्धी अपीलें। 6– लाईसेन्स/फिटनेस/गैराज/प्रशिक्षण संस्थान आदि कार्य सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
6	प्रवर्तन अनुभाग	1– प्रवर्तन दलों के कार्यों की समीक्षा। 2– प्रवर्तन कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्य एवं प्रवर्तन कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टियों का रख रखाव। 3– प्रवर्तन कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण। 4– स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों सम्बन्धी कार्य। 5– राष्ट्रीय/राज्य सडक सुरक्षा परिषद सम्बन्धी बैठकों से सम्बन्धित कार्य। 6– राज्य में चलाये जाने वाले विशेष चैकिंग अभियानों सम्बन्धी कार्य एवं प्रस्ताव। 7– चैकिंग से सम्बन्धित मासिक विवरण/विश्लेषण। 8– पुलिस, प्रशासन एवं टास्क फोर्स से प्राप्त सूचनाओं का

		संकलन। 9– राज्य स्तर पर प्रवर्तन के आधार पर की गयी अनुशंसाओं का ब्यौरा। 10– समाचार पत्रों में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समाचारों का संकलन। 11– प्रवर्तन सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण। 12– अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्दी का क्रय। 13– विभागीय वाहनों का क्रय एवं रख रखाव। 14– प्रवर्तन दलों हेतु आवश्यक संयंत्रों का क्रय एवं रख रखाव।
7	विधि एवं न्यायाधिकरण	मा0 न्यायालयों में विभाग के विरूद्ध दायर मामलों में विभागीय पक्ष रखे जाने विषयक कार्य। 2– मा0 न्यायालय सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
8	एमआईएस	1– विभिन्न अनुभागों से संकलित विवरण प्राप्त कर उन्हें एकरूप में संकलन एवं शासन/उच्चाधिकारियों को प्रेषण। 2– मासिक समीक्षा बैठकों का एजेण्डा तैयार करना। 3– परिवहन विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं को अध्यावधिक करना।
9	आरटीआई	सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2– सूचना के अधिकारी सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।
10	कम्प्यूटर	विभाग में कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य एवं एनआईसी के साथ समन्वय। 2– कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव।
11	नियोजन	1– नये भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य। 2– विभाग में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनायें। 3– योजना सम्बन्धी विवरण पत्रों का संकलन एवं प्रेषण।

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

संख्या– 38/अधि0/6–2/2010, समदिनांकित्।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2– मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी।
3– समस्त कर्मचारी।
4– निर्देश पत्रावली।

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–299/ix/246/2010
देहरादून दिनांक 30 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 55 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में श्री राकेश गोयल, नियर शिवमूर्ति, जस्साराम रोड, हरिद्वार को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0 रामास्वामी
सचिव।

संख्या–299/ix/246/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रूडकी जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर सचिव।

संख्या–299/ix/246/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
2– समस्त जिलाधिकारी, गढवाल मण्डल।
3– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1674/xxx(2)/2010
देहरादून दिनांक 23–11–2010

दिनांक 05 अक्टूबर, 2010 को प्रख्यापित ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010'' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।

4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

6– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

7– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।

8– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।

9– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी (हरिद्वार) को नियमावली की प्रति संलग्न करते हुये इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियॉ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह हंयाकी
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1674/xxx(2)/2010
देहरादून दिनांक 23–11–2010
अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन किसी पद या सेवा में चयन द्वारा पदोन्नति के लिये लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2 यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली या ततसमय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) 'सरकार' से उत्तराखण्ड को राज्य सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) 'पद' या 'सेवा' से संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोई पद या सेवा अभिप्रेत है।

अर्हकारी सेवा में शिथिलाकरण 4 यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिये, यथास्थिति निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोडकर ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते है।

परन्तु यह कि किसी कार्मिक को पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलता पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिये अनुमन्य होगी;

परन्तु यह और कि पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का लाभ पूर्व में जिन कार्मिकों को अनुमन्य हो चुका हो उसे पुनः उक्त लाभ अनुमन्य नही होगा।

दिलीप कुमार कोटिया
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–515/ix/228/2010
देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 55 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य परिवहन प्राधिकरण में श्री हरीश पन्त पुत्र स्व0 श्री जयदत्त पंत, निवासी साईं कालोनी, जिला अल्मोडा को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर सचिव।

संख्या–515/ix/228/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–516/ix/228/2010
देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून में श्री ईश्वर सिंह नेगी पुत्र श्री पूरन सिंह नेगी ग्राम चरगाड पोस्ट गडिगांव पटटी घुडदौडस्यूं तहसील चौबटटाखाल जिला पौडी को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर सचिव।

संख्या–516/ix/228/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

संख्या–516/ix/228/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मण्डलायुक्त कुमाऊ/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6– सम्बन्धित महानुभाव।
7– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
8– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–515/ix/228/2010
देहरादून दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी में श्री राजकुमार पोरी पुत्र श्री बच्चन लाल पोरी निवासी त्यागी भवन विकास मार्ग, पौडी को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर सचिव।

संख्या– /ix/ /2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

संख्या–515/ix/228/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मण्डलायुक्त कुमाऊ/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6– सम्बन्धित महानुभाव।
7– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
8– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–05/ix/2011
देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (दो) तथा उपनियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी में श्री राजीव शाह निवासी ग्राम तल्ली बमौरी, बच्चीनगर, हल्द्वानी जनपद नैनीताल को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव।

संख्या–05/ix/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर सचिव।

संख्या–05/ix/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मण्डलायुक्त कुमाऊ/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6– सम्बन्धित महानुभाव।
7– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
8– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर सचिव।

संख्या–114/ix/543/10/2011

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 25 अप्रैल, 2011

विषय– परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठन।

महोदय,

परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–213/ix/543/2008 दिनांक 05–08–2008 के द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन करते हुये संशोधित किया गया था। कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–183/xxx(2)/2010 दिनांक 11–02–2010 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के निर्देश दिये गये है एवं जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कर्मी हो वहॉ पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– अतः सहायक परिवहन आयुक्त के पत्र सं0–14/अधि0/एक–1/2010–11 दिनांक 18–01–2011 के क्रम में परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–213/ix/543/2008 दिनांक 05–08–2008 को संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11–02–2010 के प्राविधान के अनुसार परिवहन विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुये निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– परिवहन आयुक्त कार्यालय

क0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01
2	प्रशासनिक अधिकारी	11	20%	08
3	मुख्य सहायक	09	18%	08
4	प्रवर सहायक	09	30%	13
5	कनिष्ठ सहायक	14	32%	14
	योग	44		44

2– सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	–	–	15
2	प्रशासनिक अधिकारी	19	20%	39
3	मुख्य सहायक	69	18%	48
4	प्रवर सहायक	84	30%	80
5	कनिष्ठ सहायक	95	32%	85
	योग	267		267

2– पुनर्गठन के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित होने वाले पद किसी भी कार्यालय में 01 से अधिक नही रखे जायेंगे।

3– उक्त पुनर्गठित 267 पदों में चैकपोस्टों हेतु स्वीकृत कनिष्ठ सहायक के 57 पद भी सम्मिलित है।

4– शासनादेश सं0–213/ix/543/2008 दिनांक 05–07–2008 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव।

संख्या–114/ix/543/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

गरिमा रौकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–170/xxx(2)/2011
देहरादून दिनांक 01–06–2011
अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विधमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुये यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदो पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2 इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नही होंगे।

परिभाषायें 3 जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''संविधान'' से ''भारत का संविधान'' अभिप्रेत है।

(ख) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ग) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(घ) ''लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग'' से राज्य सरकार के नियन्त्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत है जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्त हो।

(ङ) ''अधीनस्थ पदों'' से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्ही पदों पर की गयी सेवा अभिप्रेत है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारी 4 (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–

संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) प्रशासनिक अधिकारी–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) मुख्य सहायक–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) प्रवर सहायक–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5 नियम 2 के अध्यधीन रहते हुये राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहॉ–जहॉ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक/मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, वहॉ–वहॉ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–255/अधिष्ठान/छः–2/2011 दिनांक 25 अक्टूबर 2011

कार्यालयादेश

परिवहन आयुक्त महोदय के आदेश सं0–115/अधि0/छः–2/2010 दिनांक 13–12–2010 के क्रम में कार्यालय आदेश सं0–128/अधि0/छः–2/2010 दिनांक 15–01–2011 के द्वारा अनुभाग में तैनात कार्मिकों के मध्य कार्य विभाजन किया गया था। परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा मौखिक रूप से यह निर्देश दिये गये है कि सम्बन्धित आदेश में कर्मचारियों के आवंटन कार्य विभाजन एवं उनके कार्यों, दायित्व के सम्बन्ध में तदनुसार कार्य सम्पादन नहीं किया जा रहा है। महोदय द्वारा प्रत्येक कार्मिक को पटल से सम्बन्धित पूर्ण दायित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुये अधोहस्ताक्षरी के नियंत्रण में निम्नवत कार्य विभाजन किया जाता है–

1– श्री हीरा सिंह बर्गली, प्रशासनिक अधिकारी

1– समूह 'क' व 'ख' के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानियुक्ति/पदोन्नति/उपार्जित/चिकित्सा अवकाश/स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण।
2– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का निस्तारण।
3– शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण वी0आई0पी0 एवं मुख्यमंत्री संदर्भ।
4– उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

2– श्री नवीन चन्द्र मैठाणी, मुख्य सहायक

1– समूह 'ग' व 'घ' वर्ग के कर्मचारियों (प्रवर्तन संवर्ग के कार्मिकों को छोडकर) के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं उपार्जित/चिकित्सा अवकाश से सम्बन्धित कार्य।
2– विभिन्न मेलों एवं यात्रा सम्बन्धी कार्य।
3– अधिष्ठान/सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना।
4– सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी पत्राचार एवं निर्देश।
5– उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

3– श्री धर्मपाल मुख्य सहायक

1– नजारत सम्बन्धी समस्त कार्य यथा स्थायी स्टाक रजिस्टर का रख रखाव/कार्यालय की आवश्यकतानुसार समस्त क्रय एवं वितरण।
2– प्रवर्तन कर्मियों की वर्दी आदि का क्रय व वितरण।
3– समूल्य विक्रित विभागीय फार्मों के मुद्रण एवं वितरण सम्बन्धी समस्त कार्य।
4– समूह 'घ' प्रवर्तन संवर्ग के समस्त कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं उपार्जित/चिकित्सा अवकाश से सम्बन्धित कार्य।
5– उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

4— <u>श्री मोहनलाल, मुख्य सहायक</u>

1— नजारत सम्बन्धी समस्त कार्य में श्री धर्मपाल, मुख्य सहायक को सहयोग प्रदान करना।

2— शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण वी0आई0पी0 एवं मुख्यमंत्री संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।

3— मुख्यालय के प्रवर्तन चालकों/सिपाहियों की डयूटी का निर्धारण।

4— उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

5— <u>श्रीमती नीरा लोहनी, प्रवर सहायक</u>

1— समूह 'घ' (प्रवर्तन संवर्ग को छोडकर) के समस्त कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।

2— मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी।

3— अस्थायी/पैरेसेविल स्टाक रजिस्टर का रख रखाव तथा स्टेशनरी आदि का क्रय व वितरण।

4— सडक सुरक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य/निर्देश एवं विवरणों का संकलन।

5— अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पत्राचार।

6— कार्यालय के सफाई व्यवस्था, रख रखाव से सम्बन्धित कार्मिकों के कार्य पर नियंत्रण।

7— उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

6— <u>श्री जितेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रवर सहायक</u>

1— दैनिक प्राप्त डाक का इण्डैक्स एवं दैनिक डाक निष्कासन का कार्य।

2— उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

यह भी निर्देश दिये जाते है कि समस्त कार्मिक पत्रावलियों के निस्तारण में आपस में सामंजस्य बनाये रखेंगे। यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश अवकाश पर रहता है तो उसके पटल से सम्बन्धित कार्य तदनुसार उनके सहायक द्वारा किया जायेगा।

डी0पी0 सकलानी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
मुख्यालय।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ

1— वैयक्ति सहायक, परिवहन आयुक्त को परिवहन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।

2— मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

3— उपरोक्त कार्मिकों के अनुपालनार्थ।

डी0पी0 सकलानी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
मुख्यालय।

संख्या– 38/ix-1-2012/651/2011

प्रेषक,

इन्दुधर बौडाई
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18 जून 2012

विषय–**प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति की संस्तुतियों के क्रम में परिवहन कर अधिकारी–1 के वेतनमान का पुनरीक्षण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–374/अधि0/दो–1/2011 दिनांक 09–11–2011 के क्रम में प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 483/गगअपप(7)/द्विप्रति/2010 दिनांक 12–03–2010 के संदर्भ में परिवहन आयुक्त संगठन के परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक 01–01–2006 से पूर्व सृजित पद वेतनमान रू0 6500–10500 पुनरीक्षित संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200 को पूर्व वेतनमान रू0 7450–11500 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600 में उच्चीकृत/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्तानुसार वेतन निर्धारण वि0वि0 के शासनादेश सं0–67/xxvii(7)40(2)/2012 दिनांक 13–04–2011 में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासकीय संख्या–197/xxvii(7)/2012 दिनांक 13 जून 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

इन्दुधर बौडाई
अपर सचिव।

संख्या– ix–1–2012/651/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

नवीन सिंह तडागी
उप सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–2220 / सा0प्रशा0 / छः–3 / 2012 दिनांक 23 जून 2012

सेवा में,

1– सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून / हल्द्वानी / पौड़ी / अल्मोड़ा।

2– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिको / हरिद्वार / कोटद्वार / रूद्रपयाग / कर्णप्रयाग / उत्तरकाशी / टिहरी / पिथौरागढ / बागेश्वर / टनकपुर / उधमसिंहनगर।

विषय– **प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति की संस्तुतियों के क्रम में परिवहन कर अधिकारी–1 के वेतनमान का पुनरीक्षण।**

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–38 / ix–1–2012 / 651 / 2011 दिनांक 18 जून 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न) जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा परिवहन आयुक्त संगठन के परिवहन कर अधिकारी–1 के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व सृजित पद वेतनमान रू0 6500–10500 पुनरीक्षित संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200 को पूर्व वेतनमान 7450–11500 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600 में उच्चीकृत / संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त शासनादेश की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त।

सुनीता सिंह
प्रभारी उप परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या–2220(1) / सा0प्र0 / दो–1 / 2012 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5– अधिष्ठान पत्रावली।
6– सम्बन्धित पत्रावली।

सुनीता सिंह
प्रभारी उप परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–416/ix–1/246/2012
देहरादून दिनांक 07 अगस्त 2012
अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 56 के उपनियम (8) के खण्ड (एक) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों में नामित निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0 सं0	नामित सदस्यों का विवरण	प्राधिकरण का नाम
1	श्री राकेश गोयल, नियर शिवमूर्ति जस्सा राम रोड हरिद्वार	राज्य परिवहन प्राधिकरण–सदस्य
2	श्री हरीश पन्त पुत्र स्व0 जयदत्त पंत सांई कालोनी जिला अल्मोड़ा	राज्य परिवहन प्राधिकरण–सदस्य
3	श्री विजेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री यू0एस0 भण्डारी 05 गांधी चौक, मसूरी, देहरादून	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून–सदस्य
4	श्री ईश्वर सिंह नेगी पुत्र श्री पूरन सिंह नेगी ग्राम चरगाड पो0 गडिगांव पटटी घुडदौडस्यूं तहसील चौबटटाखाल जिला पौड़ी	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून/पौडी–सदस्य
5	श्री राजकुमार पोरी पुत्र श्री बच्चन लाल पोरी, निवासी त्यागी भवन विकास मार्ग, पौड़ी	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी–सदस्य
6	श्री हरविन्दर सिंह चडढा पुत्र श्री संतोक सिंह चडढा, 5/93 भोटिया पड़ाव, नैनीताल रोड, हल्द्वानी	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी–सदस्य
7	श्री राजीव शाह निवासी ग्राम तल्ली बमौरी बच्चीनगर, हल्द्वानी जिला नैनीताल	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी–सदस्य
8	श्री श्याम नारायण पाण्डे पुत्र श्री यतीन्द्र प्रसाद पाण्डे निवासी ग्राम नया संगरौली, पो0 जयन्ती जिला अल्मोडा	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोडा–सदस्य

संख्या–416(1)/ix-1/246/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग 4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट में प्रकाशित कर इसकी 50–50 प्रतियां परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड एवं परिवहन अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

नवीन सिंह तडागी
उप सचिव।

संख्या–416(1)/ix-1/246/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
2– मण्डलायुक्त गढवाल/कुमाऊ उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
5– सम्बन्धित महानुभाव।
6– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

नवीन सिंह तडागी
उप सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–2786/अधिष्ठान/छः–2/2011 दिनांक 18 अगस्त 2012

कार्यालयादेश

परिवहन आयुक्त महोदय के आदेश सं0–421/अधि0/छः–2/2012 दिनांक 06–08–2012 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के निर्देशन में अधिष्ठान/सामान्य प्रशासन अनुभाग में तैनात कार्मिकों को पटल से सम्बन्धित कार्य विभाजन निम्नवत किया जाता है–

1– श्री हीरा सिंह बर्गली, प्रशासनिक अधिकारी

1– समूह 'क' व 'ख' के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानियुक्ति /पदोन्नति/उपार्जित /चिकित्सा अवकाश/स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण।
2– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का निस्तारण।
3– शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरणों का निस्तारण।
4– अनुभाग से सम्बन्धित लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना।
5– उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

2– श्री धर्मपाल मुख्य सहायक

1– नजारत के कार्यों के साथ साथ अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी कार्य एवं श्री विनोद पाठक, प्रवर सहायक को आवंटित कार्य में सहयोग प्रदान करना।
2– उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

3– श्री शान्ति प्रसाद मैठाणी, प्रवर सहायक

1– समूह 'ग' वर्ग के कर्मचारियों (यथा परिवहन कर अधिकारी–2, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक के साथ साथ प्रवर्तन पर्यवेक्षक) के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं उपार्जित/चिकित्सा अवकाश से सम्बन्धित कार्य।
2– विभिन्न मेलों एवं यात्रा सम्बन्धी कार्य।
3– अनुभाग से सम्बन्धित लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
4– उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

4– श्री विनोद पाठक, प्रवर सहायक

1– सतर्कता सम्बन्धी कार्य के साथ साथ समूह 'ग' कनिष्ठ सहायक व समूह 'घ' वर्ग कर्मचारियों (प्रवर्तन चालक व प्रवर्तन सिपाही सहित) के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं उपार्जित/चिकित्सा अवकाश से सम्बन्धित कार्य।
2– अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।

3— सामान्य निर्वाचन पत्राचार एवं निर्देश।

4— उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

5— <u>श्री जितेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रवर सहायक</u>

1— दैनिक प्राप्त डाक का इण्डैक्स एवं दैनिक डाक निष्कासन का कार्य।

2— उच्च अधिकारियों/अनुभाग प्रभारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन।

यह भी निर्देश दिये जाते है कि समस्त कार्मिक पत्रावलियों के निस्तारण में आपस में सामंजस्य बनाये रखेंगे। यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश अवकाश पर रहता है तो उसके पटल से सम्बन्धित कार्य तदनुसार उनके सहायक द्वारा किया जायेगा।

आर0एस0 राना
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
मुख्यालय।

<u>संख्या— 2786/सा0प्रशा0/छः—2/2012 समदिनांकित</u>

प्रतिलिपि—

1— मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

2— उपरोक्त कार्मिकों को इस निर्देश के साथ कि वे तत्काल अपने पटल से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी कर्मचारी को अपने कार्य सम्पादन में कोई असुविधा हो तो प्रशासनिक अधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी से सहयोग प्राप्त कर सकते है।

आर0एस0 राना
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
मुख्यालय।

संख्या– 02/ix/58/2013

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 01 जनवरी 2013

विषय–**परिवहन विभाग के अन्तर्गत नये सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय एवं प्रवर्तन कार्यालय हेतु पदों का सृजन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के जनपद देहरादून के विकासनगर, जनपद हरिद्वार के रूड़की तथा जनपद उधमसिंहनगर के काशीपुर तहसीलों में वाहनों की बढोत्तरी तथा उक्त स्थानों के साथ साथ जनपद नैनीताल, चकराता तथा रूड़की में प्रवर्तन कार्य को और प्रभावी बनाने हेतु परिवहन विभाग उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे के गठन के अन्तर्गत निम्नानुसार पदो के सृजन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर, काशीपुर, रूडकी (03)

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैण्ड	पदों की संख्या
1	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन)	वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	03
2	सम्भागीय निरीक्षक (प्रा0)	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	03
3	सहायक लेखाकार	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	03
4	प्रवर सहायक	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2400	03
5	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1900	03
6	अनुसेवक	आउटसोर्सिंग/संविदा के आधार पर	03
		कुल	18

प्रवर्तन कार्यालय हेतु यथा चकराता, रूड़की, नैनीताल (03 कार्यालय)

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैण्ड	पदों की संख्या
1	परिवहन कर अधिकारी–प्रथम	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 5400	03
2	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1900	03

3	प्रवर्तन सिपाही	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1800	06
4	चालक	आउटसोर्सिंग/संविदा के आधार पर	03
		कुल	15
		कुल योग	**33 पद**

2– उपरोक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य हो, देय होंगे।

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे। तकनीकी पदों के अतिरिक्त समूह ग व घ के पदों को यथासम्भव सरप्लस मूल/छटनी शुदा कार्मिकों से समायोजन द्वारा भरे जायेंगे और इसके द्वारा पदों को भरा जाना सम्भव न होने पर ही सीधी भर्ती से पदों को भरा जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्यय में अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 3050–सड़क परिवहन–00–आयोजनेत्तर–001 –निदेशन तथा प्रशासन–03–परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान–00–के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या 1013/xvii/वित्त अनुभाग–7/2012 दिनांक 31–12–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या–02/ix/58/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा रोड, देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्तीय डाटा सेन्टर 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नवीन सिंह तडागी,
उपसचिव।

प्रेषक, संख्या–371/xxxvii(7)27(2)/2013

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनः दिनांक 16 जनवरी, 2013

विषय–उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वार सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	कनिष्ठ सहायक	रू 5200–20200 ग्रेड पे 1900	कनिष्ठ सहायक	रू 5200–20200 ग्रेड पे 2000
2	प्रवर सहायक	रू 5200–20200 ग्रेड पे 3400	वरिष्ठ सहायक	रू 5200–20200 ग्रेड पे 2800
3	मुख्य सहायक	रू 5200–20200 ग्रेड पे 4200	प्रधान सहायक	रू 5200–20200 ग्रेड पे 4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	रू 5200–20200 ग्रेड पे 4600	प्रशासनिक अधिकारी	रू 5200–20200 ग्रेड पे 4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू 5200–20200 ग्रेड पे 1900	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू 5200–20200 ग्रेड पे 4800
6		–	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रू 5200–20200 ग्रेड पे 5400

2– कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान रू0 67000–3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर–79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जायेगा।

3– लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हतांए तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4– उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–04–2013 से अनुमन्य होगा।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 373(1)/xxvii(7)27(2)/2011 तददिनांकः–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11– निदेशक एनआईसी सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /सा0प्रशा0/छः–2/2012 दिनांक 31 जनवरी 2013

कार्यालयादेश

एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से मुख्यालय के निम्नलिखित कार्मिकों के अनुभाग परिवर्तित करते हुये उन्हे निर्देश दिये जाते है कि वे आवंटित अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे–

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	पदनाम	तैनाती अनुभाग	आवंटित अनुभाग
1	श्री हर्षमणी सेमवाल	मुख्य सहायक	एस0टी0ए0	अधिष्ठान
2	श्री जितेन्द्र बिष्ट	मुख्य सहायक	अधिष्ठान	एस0टी0ए0
3	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	कनिष्ठ सहायक	–	अधिष्ठान

2– श्री हर्षमणी सेमवाल अधिष्ठान अनुभाग से सम्बन्धित कार्य के साथ साथ विधि अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का निस्तारण पूर्ववत करते रहेंगे।

नितेश कुमार झा
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

संख्या–52(1)/सा0प्रशा0/छः–2/2012 समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2– समस्त अनुभाग प्रभारी।
3– सम्बन्धित कार्मिक।
4– अधिष्ठान पत्रावली।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

नितेश कुमार झा
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

प्रेषक, संख्या–406/xxxvii(7)27(2)/2011

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनः दिनांक 08 फरवरी, 2013

विषय–उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–371/xxxvii(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी 2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–04–2013 से अनुमन्य किया गया है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त लाभ दिनांक 01–04–2013 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या–371/xxxvii(7)27(2)/2013 दिनांक 16–01–2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–602 / अधिष्ठान / छः–2 / 2013 दिनांक 22 जुलाई 2013

कार्यालयादेश

परिवहन आयुक्त कार्यालय में कार्य के सुचारू रूप से सम्पादन के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से विभिन्न अनुभागों का पुनर्गठन करते हुये निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित अनुभागों में तैनात किया जाता है–

क्र0 सं0	अनुभाग का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का नाम
1	टी0आर0 / एम0आई0एस0 / नजारत	श्री धर्मपाल, प्रशा0 अधिकारी
		श्री गिरीश चन्द, प्रधान सहायक
		श्री सुधीर राणा, वरिष्ठ सहायक
2	प्रवर्तन / प्राविधिक / आडिट	श्री प्रमोद नौडियाल, प्रशा0 अधिकारी
		श्री महेन्द्र कुमार, लेखाकार
		श्री उमेश चन्द्र, प्रधान सहायक
		श्री कमलकान्त सेमवाल, व0 सहायक
3	नियोजन / कम्प्यूटर / अधिष्ठान / सा0प्रशा0	श्री नरेश संगल, प्रशा0 अधिकारी
		श्री नवीन मैठाणी, प्रशा0 अधिकारी
		श्री विपिन रमोला, प्रधान सहायक
		श्री शान्ति प्रसाद मैठाणी, व0 सहायक
		श्रीमती नीरा लोहनी, व0 सहायक
		श्रीमती बीना, व0 सहायक
		श्रीमती ज्योति, पी0आर0डी0 टंकक
4	एस0टी0ए0 / विधि	श्री हर्षमणी सेमवाल, प्रधान सहायक
		श्री जितेन्द्र बिष्ट, प्रधान सहायक
		श्री विनोद पाठक, व0 सहायक
		श्री मनीष चन्द्रा, क0 सहायक
		श्री बीरबल, पी0आर0डी0 टंकक
5	लेखा / रोकड	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, लेखाकार

2– श्रीमती नीता भण्डारी, व0सहायक, पूर्ववत आर0टी0आई0 अनुभाग के कार्यों के साथ साथ एसटीए अनुभाग में भी सम्बद्ध रहेगी।

3– उपरोक्तानुसार अनुभागों में तैनात अनुभाग प्रभारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ कार्य आवंटन करते हुये एक सप्ताह के भीतर कार्य आवंटन आदेश पर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे और तदनुसार समस्त कार्मिकों द्वारा कार्य का सम्पादन किया जायेगा।

राजीव कुमार मेहरा
सहायक परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या– 602 / अधिष्ठान / छः–2 / 2013 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

2– समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी।

राजीव कुमार मेहरा
सहायक परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /सा0प्रशा0/छः–2/2012 दिनांक 06 अगस्त 2013

कार्यालयादेश

तत्काल प्रभाव से परिवहन आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन निम्न प्रकार करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वे नये आवंटित अनुभागों में कार्य सम्पादन सुनिश्चित करेंगे–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का अनुभाग	आवंटित अनुभाग
1	2	3	4	5
1	श्री प्रमोद नौडियाल	प्रशासनिक अधिकारी	टी0आर0	प्रभारी प्रवर्तन/प्राविधिक/आडिट अनुभाग
2	श्री विपिन रमोला	मुख्य सहायक	प्रवर्तन/प्राविधिक	टी0आर0/नियोजन अनुभाग
3	श्री गिरीश चन्द्र	प्रवर सहायक	प्राविधिक/एम0आई0एस0	एम0आई0एस0/टी0आर0/नियोजन अनुभाग
4	श्री विनोद पाठक	प्रवर सहायक	टी0आर0/सतर्कता	अधिष्ठान/सामान्य प्रशासन/सतर्कता अनुभाग
5	श्री शान्ति प्रसाद मैठाणी	प्रवर सहायक	एस0टी0ए0	अधिष्ठान/सामान्य प्रशासन
6	श्री सुधीर राणा	कनिष्ठ सहायक	आडिट	प्रवर्तन/प्राविधिक/आडिट अनुभाग

2– श्रीमती नीरा लोहनी, प्रवर सहायक जो वर्तमान में एस0टी0ए0 अनुभाग में मौखिक निर्देशानुसार कार्यरत है पूर्ववत कार्य करती रहेंगी।

3– कार्यालयादेश सं0–38/अधि0/छः–2/2010 दिनांक 26–03–2010 के अन्तर्गत प्राविधिक अनुभाग को आवंटित नई लांच होने वाली वाहनों के पंजीयन अनुमोदन सम्बन्धी कार्य को प्राविधिक से टी0आर0 अनुभाग को आवंटित किया जाता है।

सम्बन्धित अनुभाग प्रभारियों को निर्देश दिये जाते है कि वे तत्काल सम्बन्धितों के कार्य आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

संख्या–421(1)/सा0प्रशा0/छः–2/2012 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2– सम्बन्धित अनुभाग प्रभारी।
3– सम्बन्धित कार्मिक।
4– अधिष्ठान पत्रावली।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–682/ix-1/58/2013
देहरादून दिनांक 08–08–2013
अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का तालिका के स्तम्भ 4 में अंकित क्षेत्रीय सीमा विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

तालिका

क0सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय सृजन से पूर्व उप सम्भाग	प्रस्तावित क्षेत्र
1	2	3	4
1	काशीपुर	उधमसिंहनगर (रूद्रपुर)	तहसील काशीपुर तथा उसकी सीमा से लगी जसपुर तहसील एवं बाजपुर तहसील
2	उधमसिंहनगर (रूद्रपुर)	–	तहसील गदरपुर किच्छा सितारगंज, खटीमा
3	रूडकी	हरिद्वार	तहसील रूडकी लक्सर
4	हरिद्वार	–	तहसील हरिद्वार
5	विकासनगर	देहरादून	विकासनगर, कालसी, चकराता, त्यूनी तहसील
6	ऋषिकेश	देहरादून	नरेन्द्रनगर प्रखण्ड (जनपद टिहरी) यमकेश्वर ब्लॉक (जनपद पौडी), ऋषिकेश तहसील डोईवाला विकासखण्ड
7	देहरादून	–	तहसील देहरादून मसूरी
8	कोटद्वार	पौडी	तहसील कोटद्वार लैन्सडोन, यमकेश्वर एवं सतपुली
9	पौडी	–	पौडी, थलीसैंण, धुमाकोट, श्रीनगर, चौबटटाखाल

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव

संख्या– 682(1)/ix–1/58/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी

परिशिष्ट भाग 4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 100 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

चन्द्रशेखर भटट
अपर सचिव।

संख्या– 682(1)/ix–1/58/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मण्डलायुक्त कुमाऊ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/पौडी/उधमसिंहनगर।
5– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक देहरादून/हरिद्वार/पौडी/उधमसिंहनगर।
6– प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
7– समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

चन्द्रशेखर भटट
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–948/ix/2013/246/2004
देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2013
अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 56 के उपनियम (8) (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड में श्री देवेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश, निवासी भगवानपुर हरिद्वार तथा श्री शरदकान्त पुत्र श्री चन्द्रकान्त निवासी 162ए सोनालीपुरम रूडकी हरिद्वार को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या–948/ix/2013/246/2004 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

नवीन सिंह तडागी
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–949 / ix / 2013 / 246 / 2004
देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2013
अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उपनियम (8) (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून में श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, 345 विवेक विहार हरिद्वार तथा श्री रमेश बुटोला पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह बुटोला 144 / 11 नेशविला रोड देहरादून को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या–949 / ix / 2013 / 246 / 2004 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

नवीन सिंह तडागी
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–950 / ix / 2013 / 246 / 2004
देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2013
अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0–59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उपनियम (8) (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोडा में श्री शेर सिंह लटवाल पुत्र श्री हिम्मत सिंह लटवाल ग्राम हरिपुरा छोई तहसील रामनगर जिला नैनीताल तथा श्री रवि शर्मा पुत्र श्री हरिकृष्ण शर्मा निवासी 401 / 8 हीरा नगर तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी में श्री मनीष छाबडा पुत्र श्री योगराज निवासी ए–41 आवास विकास रूद्रपुर तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी में डॉ0 प्रमोद कुमार उनियाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उनियाल टी–34 प्रोफेसर कालोनी बादशाहीथौल टिहरी गढवाल को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 700 / सा0प्रशा0 / छः–2 / 2014 दिनांक 03 जनवरी 2014

कार्यालयादेश

इस कार्यालय के पूर्व निर्गत कार्यालयादेश संख्या–668 / सा0प्रशा0 / छः–2 / 2013 दिनांक 12–12–2013 एवं कार्यालयादेश संख्या–676 / सा0प्रशा0 / छः–2 / 2013 दिनांक 30–12–2013 के क्रम में निम्नलिखित कार्मिकों को निर्देशि किया जाता है तिक वे अग्रिम आदेशों तक अपने कार्य के साथ–साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुभागों में अनुभाग प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगेः–

क0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	अनुभाग का नाम
1	श्री पवन कुमार	आशुलिपिक ग्रेड–1	ऑडिट अनुभाग
2	श्रीमती मीनाक्षी नैथानी	आशुलिपिक ग्रेड–2	एस0टी0ए0 अनुभाग
3	कु0 अंजना	–तदैव	नियोजन / कम्प्यूटर अनुभाग

राजीव कुमार मेहरा
सहायक परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या–700(1) / सा0प्रशा0 / छः–2 / 2014 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2– समस्त अनुभाग प्रभारी।
3– सम्बन्धित कार्मिक।
4– अधिष्ठान पत्रावली।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।
6– गार्ड फाइल।

राजीव कुमार मेहरा
सहायक परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या– 44 / xxvii(7)27(8)/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2014

विषय–**प्रदेश के राजकीय वाहन चालक सेवा संवर्ग के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0–588 / xxvii(7)27(3) / 2013 दिनांक 01 जुलाई 2013 द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य की गयी थी। शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के वाहन चालकों के सेवा संवर्ग की 05 ग्रेडों में विभाजित सम्बन्धी लागू व्यवस्था के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत संशोधित रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2– वाहन चालकों को 04 श्रेणियों में सीधी भर्ती के पद ग्रेड वेतन रू0 1900 से क्रमशः 09 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2400, 15 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2800, 18 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4200, 20 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– पदोन्नति की स्थिति में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर 12 में पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

4– उपरोक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /अधिष्ठान/छः–163/2014 दिनांक 18 फरवरी 2014

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–2249/xvii/(2)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2010 एवं उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, देहरादून के पत्र सं0–सी–1602/एचएससीके/रामहिआ/2013–14 दिनांक 17 अगस्त 2013 के क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन से बचाव हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है–

क्र0 सं0	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पदनाम
1	श्रीमती नीता भण्डारी	वरिष्ठ सहायक	अध्यक्ष
2	श्री कमलकान्त सेमवाल	वरिष्ठ सहायक	सदस्य
3	श्री विनोद चन्द्र पाठक	वरिष्ठ सहायक	सदस्य
4	श्रीमती नीरा लोहनी	वरिष्ठ सहायक	सदस्य
5	श्रीमती बीना	वरिष्ठ सहायक	सदस्य

श्री हर्षमणी सेमवाल, प्रधान सहायक उक्त समिति को विधि सम्बन्धी प्रकरणों में सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

चन्द्रशेखर भटट
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या– 541(1)/अधि0/छः–163/2013–14 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र सं0–2249/xvii(2)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2010 के क्रम में।
2– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, देहरादून।
3– समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्य।
5– गार्ड फाईल।

चन्द्रशेखर भटट
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–2646 / अधिष्ठान / 2–200 / 2014 दिनांक 16 अगस्त 2014

कार्यालयादेश

सु0भ्र0उ0ज0 (सतर्कता) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–280 / xlIII–14–38(06)04 दिनांक 10–07–2014 के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रखने के उददेश्य से सतर्कता अधिकारी नामित करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में परिवहन विभाग में निम्न प्रकार सतर्कता अधिकारी नामित किये जाते है–

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	नामित सतर्कता अधिकारी
1	परिवहन आयुक्त कार्यालय	अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
2	सम्भागीय परिवहन कार्यालय	सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी
3	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय	सम्बन्धित उप सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
4	चैकपोस्ट	सम्बन्धित चैकपोस्ट के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर सचिव, सु0भ्र0उ0ज0 (सतर्कता) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त चैकपोस्ट प्रभारी परिवहन चैकपोस्ट, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

संख्या– 479/ix-1/27/2014

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
परिवहन आयुक्त कार्यालय,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 07 नवम्बर 2014

विषय–**वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–176/अधि0–प्रवर्तन/दो–130/2013 दिनांक 18 जून 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वाहन चालकों की पदोन्नति हेतु संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31–01–2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार वाहन चालकों को 04 श्रेणियों में सीधी भर्ती के पद ग्रेड वेतन रू0 1900 से क्रमशः 09 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2400, 15 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2800, 18 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4200 एवं 20 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4600 के अनुसार निर्धारित कर तदनुसार पदोन्नति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

बृजेश कुमार
संत
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–153 / xxx(2) / 2015–3(2) / 2010
देहरादून, दिनांक 09–04–2015।

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ''उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(ड़) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 3(ड़) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(ड़) ''अधीनस्थ पदों'' से कनिष्ठ सहायक प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।	3(ड़) ''अधीनस्थ पदों'' से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

नियम 4 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि	4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारणः– **4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–** मौलिक रूप से

का निर्धारणः–

नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(2) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रधान सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रवर सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(5) वरिष्ठ सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 5 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहॉ–जहॉ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक/मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहॉ–वहॉ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।	5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहॉ–जहॉ पदनाम, कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, वहॉ–वहॉ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

पी0एस0जंगपांगी,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 860 / सा0प्रशा0 / छः–2 / 2015 दिनांक 27 जून 2015

कार्यालयादेश

तत्काल प्रभाव से मुख्यालय में निम्न कार्मिकों का पटर उनके नामों के सम्मुख दर्शाये गये अनुभाग में करते हुये उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आवंटित अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करें, यदि किसी कार्मिक के पटल से सम्बन्धित कार्य लम्बित हो तो अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत करें :–

क0सं0	कार्मिक का नाम सर्व श्री	पदनाम	अनुभाग
1	गिरीश चन्द्र	प्रधान सहायक	एम0आई0एस0 / टी0आर0
2	मनीष चन्द्रा	वरिष्ठ सहायक	प्राविधिक / प्रवर्तन
3	तनुजा जोशी	कनिष्ठ सहायक	सामान्य प्रशासन / डाक निष्कासन
4	प्रवीन उनियाल	''–''	नजारत
5	आशीष सकलानी	''–''	ऑडिट
6	भीम सिंह बर्त्वाल	''–''	प्राविधिक / प्रवर्तन
7	महेश कुमार	''–''	राज्य परिवहन प्राधिकरा

ह0 /
एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

संख्या–860(1) / सा0प्रशा0 / छः–2 / 2015 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2– समस्त अनुभाग प्रभारी।
3– सम्बन्धित कार्मिक।
4– व्यक्तिगत पत्रावली।
5– गार्ड फाइल।

सुनीता सिंह
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
मुख्यालय।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–264 / XXX(2) 2015–3(6) / 2012
देहरादून दिनांक 17–08–2015।
अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में अग्रेतर संशोधन के दृष्टिगत निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 के नियम 4 में एक परन्तुक और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्–

''परन्तु, यह भी कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथा स्थिति निम्नतर पद या पदों पर पदोन्नति के लिये यथास्थिति परिवीक्षा अवधि को छोड़कर ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियन्त्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर शिथिलीकरण कर सकेंगे।''

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव।

संख्या–560 / 2016 / ix–543 / 2015

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
कार्यालय सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 अगस्त, 2016

विषय– परिवहन विभाग उत्तराखण्ड के मिनिस्ट्रियल संवर्ग संरचनात्मक ढॉचे का संशोधित स्टाफिग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 834 / ix–1 / (2015) 543 / 2010–टी0सी0, दिनांक 11 नवम्बर, 2015 द्वारा (परिवहन आयुक्त संवर्ग हेतु 44 पद एवं सम्भागीय संवर्ग 273 सृजित पदों) स्टाफिंग पैर्टन लागू किया गया था। वर्तमान में कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 90 / xxx(2) / 2016–30(51)15, दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर कनिष्ठ सहायक 32 प्रतिशत, वरिष्ठ सहायक 28 प्रतिशत, प्रधान सहायक 18 प्रतिशत, प्रशासनिक अधिकारी 08 प्रतिशत, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 08 प्रतिशत एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 06 प्रतिशत सृजित पदों के आधार पर रखें जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– अतः अपर परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या 224 / अधि0 / एक–1 / 2016, दिनांक 30 जुलाई, 2016 के क्रम में परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या 834 / ix-1 / (2015) 543 / 2010 टी0सी0 दिनांक 11 नवम्बर, 2015 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2016 के प्राविधानों के अनुसार परिवहन विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग स्टाफिंग पैटर्न में संशोधित करते हुए निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार पनुर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु प्रस्तावित 44 पदों का विवरणः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में कुल स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिग पैटर्न का प्रतिशत	विहित प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या	शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2016 के अनुसार संशोधित स्आफिंग पैटर्न के आधार पर सृजित पद

1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100, ग्रेड वेतन 5400	01	06	2.64	03
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800, ग्रेड वेतन 8400	04	8	3.52	03
3	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800, ग्रेड वेतन 4600	04	8	3.52	04
4	मुख्य सहायक	9300–20200, ग्रेड वेतन 4200	08	18	7.92	08
5	प्रवर सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	13	28	12.32	12
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200, ग्रेड वेतन 2000	14	32	14.08	14

(ख) सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय हेतु प्रस्तावित 273 पदों का विवरणः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में कुल स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिग पैटर्न का प्रतिशत	विहित प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या	शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2016 के अनुसार संशोधित स्आफिंग पैटर्न के आधार पर सृजित पद
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100, ग्रेड वेतन 5400	05	06	16.38	16
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800, ग्रेड वेतन 8400	27	8	21.84	22
3	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800, ग्रेड वेतन 4600	27	8	21.84	22

4	मुख्य सहायक	9300—20200, ग्रेड वेतन 4200	49	18	49.14	49
5	प्रवर सहायक	5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	77	28	76.44	77
6	कनिष्ठ सहायक	5200—20200, ग्रेड वेतन 2000	88	32	87.36	87

4— शासनादेश संख्या —834 / ix-1 / (2015) 543 / 2010 —टी0सी0, दिनांक 1 नवम्बर, 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

सी0एस0 नपलच्याल
सचिव।

संख्या / 2016 / IX-543 / 2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2— आयुक्त गढवाल / कुमाऊ मण्डल।
3— समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4— निर्देशक कोषागार उत्तराखण्ड।
5— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6— कार्मिक अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन।
7— एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड (सचिवालय परिसर) देहरादून।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द्र जोशी
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /ix-1 /2016/73/2015
देहरादून दिनांक 20–10–2016
कार्यालय आदेश

आयुक्त परिवहन उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 332/अधिष्ठान/दो–207/2016 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के क्रम में परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय में गठित '' राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल STRAM '' हेतु सृजित निःसंवर्गीय सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन 5400 तथा सहायक निदेशक, आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण के पदों पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् कर्मिकों को दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक की अवधि हेतु नियुक्ति/तैनाती प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम
01	श्री नरेश संगल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
02	श्री हीरा सिंह बर्गली, परिवहन कर अधिकारी–1

2. संबंधित कार्मिकों के वेतन का आहरण परिवहन विभाग के अधिष्ठान के सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत वहन/आहरित किया जायेगा।
3. संबंधित कार्मिकों द्वारा तत्काल उक्त पद पर योगदान देना सुनिश्चित किया जाय।

सी0एस0 नपलच्याल
सचिव।

संख्या 1185/ IX-1/2016/73/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
3– निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।

आज्ञा से

चिरंजी लाल
अनु सचिव

संख्या– 1330 / ix-1 / 2016 / 83 / 2016

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 25 नवम्बर, 2016

विषय– जनपद नैनीताल के रामनगर एवं जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान पर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय का गठन हेतु पदों का सृजन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक् के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद नैनीताल एवं अल्मोड़ा में वाहनों की वृद्धि के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्यो को अधिक प्रभावशाली रूप से सम्पादित किये जाने एवं जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक, विचारोंपरान्त जनपद नैनीताल के रामनगर एवं जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान पर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के गठन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	पदनाम / वेतनमान	प्रति कार्यालय पद	कुल पद
01	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) 15,600–39,100GP 5,400	01	02
02	परिवहन कर अधिकारी–श्रेणी–1 9,300–34,800GP 4,600	01	02
03	सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) 9,300–34,800GP 4,200	01	02
04	सहायक लेखाकार 5,200–20,200GP 2,800	01	02
05	वरिष्ठ सहायक 5,200–20,200GP 2,800	01	02
06	कनिष्ठ सहायक 5,200–20,200GP 2,000	01	02
07	प्रवर्तन पर्यवेक्षक 5,200–20,200GP 2,400	01	02
08	प्रवर्तन सिपाही 5,200–20,200GP 2,000	03	06
09	अनुसेवक आउटसोर्सिंग	01	02
10	चालक आउटसोर्सिंग	01	02
	योग–	12	24

2— उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय रामनगर का कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र; रामनगर तहसील और विकास खण्ड, अल्मोड़ा की सल्ट और भिक्यासैंण तहसीलें, पौड़ी की धुमाकोट तहसील, नैनीताल का बेतालघाट विकास खण्ड एवं उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय रानीखेत का कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत, द्वारहाट एवं चौखुटिया होंगें।

3— उक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित अस्थाई पदों का सृजन दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक स्वीकृत है।

4— संबंधित पदधारकों को समय पर स्वीकृत भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्यय में अनुदान संख्या — 24 के लेखाशीर्षक — 3050 — सड़क परिवहन — 00 — आयोजनेत्तर —001—निदेशक तथा प्रशासन—03—परिवहन संबंधी अधिष्ठान—00—के अर्न्तगत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय पर संख्या 701/XVII/वित्त अनुभाग—2/2016 दिनॉक 25 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

सी0एस0 नपलच्याल
सचिव।

संख्या 1330(5)/ IX-1/2016/08(13)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्ड़ग, माजरा देहरादून।
2— आयुक्त कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3— जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4— सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी,नैनीताल/अल्मोड़ा।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
6— कार्मिक अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन।
7— वित्त अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन।
8— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द्र जोशी
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–348 / XXX(2) 2016–03(02)का0–2 / 2010
देहरादून, दिनांक 22–12–2016।

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ''उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015'' में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

''उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण(संशोधन) नियमावली, 2016''

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 के 4 (1) का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 के नियम 4 के उपनियम 4(1) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	**4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से ''अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता'' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह हयॉकी
प्रभारी सचिव।

संख्या– 10 / ix-1 / 2016

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय– परिवहन आयुक्त संगठन के सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों को संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक) के पदों में संविलीन किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में शासन द्वारा विचारोपरान्त परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत सृजित सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों को संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों में संविलीन करने का निर्णय लिया गया है। इस संविलीनीकरण के फलस्वरूप सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों पर कार्यरत नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मी भी संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) हो जायेगें। पहले से कार्यरत संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) एवं इस आदेश के फलस्वरूप सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक) बने कार्मिकों की वरिष्ठता अलग से निर्धारित की जायेगी।

2– संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–213 की उपधारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 443 (ई0) दिनांक 12 जून, 1989 के अनुसार अर्हता निर्धारित करते हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जायेगी।

3– उपरोक्तानुसार सुसंगत सेवा नियमावली में संशोधन यथा समय कर लिया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1202 / xxvii(7) दिनांक 30.12.2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

सी0एस0 नपलच्याल
सचिव।

संख्या– 127 / ix-1 / 2017 / 73 / 2015

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 01 मार्च, 2017

विषय– राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल (STRAM) हेतु सहायक निदेशक के 02 निःसंर्वीय पदों के निरन्तरता विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कार्यालय आदेश संख्या–1185 / ix-1 / 2016 / 73 / 2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 एवं अपने पत्र संख्या– 38 / अधि0 / दो–07 / 2017, दिनांक 02 फरवरी, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में गठित '' राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल (STRAM)'' हेतु सृजित निःसंर्वीय सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 तथा सहायक निदेशक, आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 के सृजित02 पद के सापेक्ष श्री नरेश संगल तथा श्री हीरा सिंह बर्गली को सहायक निदेशक के पद पर की गयी तैनाती की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च, 2017 से दिनांक 28–02–2018 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– शासनादेश संख्या–759 / ix-1 / 201 / 73 / 2015 दिनांक 29 अगस्त, 2016 के अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

4– यह आदेश वित्त विभाग से प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

सी0एस0 नपलच्याल
सचिव।

संख्या (1) / IX-1 / 2016 / 08(13) / 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्ड़ग, माजरा देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2 / 7 उत्तराखण्ड शासन।
4– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द्र जोशी
उप सचिव।

संख्या / IX-1 / 2016– तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द्र जोशी
उप सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 135 / अधि0 / दो–188 / 2017 दिनांक 10 जनवरी, 2017

संख्या / IX-1 / 2016– तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– संबंधित कार्मिक।
6– अधिष्ठान पत्रावली।
7– गार्ड फाईल।

सुनीता सिंह
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 16 / ix-1 / 2012–344 / 2010

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 मई, 2012

विषय– परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत सहायक अभियोक्ता परिवहन के एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–341 / अधि0 / एक–1 / 2010, दिनांक 29 नवम्बर, 2010 तथा परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या– 690 / 59 / स0परि0 / कैम्प / 2001 दिनांक 25.06.2001 के क्रम मे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–690 / 59 / स0परि0 / कैम्प / 2011 दिनांक 25 जून, 2001 तथा संख्या–113 परि / 545 परि0 / 2003 दिनांक 26–02–2004 द्वारा सृजित सहायक अभियोक्ता परिवहन के 01 पद का विभाग में लम्बित वादों के दृष्टिगत पर्याप्त न होने के फलस्वरूप 01 अतिरिक्त अस्थाई पद (पूर्व वेतनमान रू0 5500–9000) पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 में आदेश जारी करने की तिथि से 28 फरवरी, 2013 तक की अवधि के लिए, बशर्ते कि इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पद सृजन के फलस्वरूप सहायक अभियोक्ता परिवहन के कुल 02 पद सृजित होगें जिनमें एक पद गढ़वाल सम्भाग तथा एक पद कुमाऊॅ सम्भाग हेतु सृजित होगा।

3– उक्त पद धारक को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये मंहगाई एवं अन्य भत्ते देय होगें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–342 / XXVII(2) / 2012 दिनांक 03 मई,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये गये हैं।

भवदीय

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या– 232 / ix-1 / 543(2010) / 2016

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
परिवहन आयुक्त कार्यालय
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 07 अप्रैल, 2016

विषय– परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत सृजित आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–358 / IX / 543 / 2008, दिनांकः01. 12.2008 द्वारा परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु सृजित 08 पदों एवं संभागीय / उपसंभागीय कार्यालय हेतु स्वीकृत 04 पद कुल 12 आशुलिपिक पदों का अनुपातिक प्रतिशत के आधार पर स्आफिंग पैटर्न लागू किया गया था। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–875 / XXVII(7) / न0प्रति0 / 11, दिनांकः 08 मार्च, 2011 एवं कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–963 / XXX(2) / 2011, दिनांकः 25.07.2011 के अनुसार चार स्तरीय ढॉचे के सीान पर पदों को 50:35:15 के अनुपात में विभाजित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संगठनात्मक ढॉचे में आशुलिपिक संवर्ग का निम्नवत पुनगर्ठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	पदनाम / वेतनमान	परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु स्वीकृत 08 पदों का आनुपातिक प्रतिशत	संभागीय / उप संभागीय कार्यालय हेतु स्वीकृत 04 पदों का आनुपातिक प्रतिशत
1	2	3	4
1–	वैयक्तिक अधिकारी रूपये–9300–34800 ग्रेड वेतन रूपये 4600	01	01
2–	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक रूपये–9300–34800 ग्रेड वेतन रूपये 4200	03	01
3–	वैयक्ति सहायक 5200–20200 ग्रेड वेतन रूपये 2800	04	02
कुल योग–		08	04

आशुलिपिक संवर्ग में उपरोक्त स्वीकृत पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संगत नियमों में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त पदों की अर्हता आदि भी वित्त विभाग के द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जाए।

2–शासनादेश संख्या–358/ix/543/2008, दिनांक 01–12–2008 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3– उक्त शासनादेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–115/XXVII(7)/2016, दिनांक 06.04.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

सी0एस0 नपलच्याल
सचिव।

संख्या (1)/ IX-1/543(2010)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्तीय डाटा सेंटर–23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड ।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द्र जोशी
उप सचिव।

प्रेषक, संख्या– 159 / ix-1 / 2016 / 73 / 2015

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 29 अगस्त, 2016

विषय– राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल (STRAM) हेतु सहायक निदेशक के 02 निःसंर्वीय पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–188 / अधिष्ठान / दो–207 / 2015, दिनांक 13–07–2015 के क्रम में परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय मे ''राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल (STRAM) के गठन हेतु 01 पद सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 तथा 01 पद सहायक निदेशक, आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 तथा 02 निःसवर्गीय पदो के सृजन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त सहायक निदेशकों की नियुक्ति, परिवहन आयुक्त कार्यालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल (STRAM) के सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जायेगी।

3–उक्त पदों की स्वीकृति पर होने वाला व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या–24 आयेजनेत्तर के लेखाशीर्षक–3055–सड़क परिवहन–001–निदेशक तथा प्रशासन–08 परिवहन संबंधी अधिष्ठान में उपलब्ध बचतों के माध्यम से वहन किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–593 / XXVII(7) / 16, दिनांक 23–08–2016 में प्राप्त सहमति निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
अपर सचिव।

संख्या (1) / IX-1 / 543(2010) / 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2– निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2
5– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द्र जोशी
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–1400/ix-1 /2016/90/2016
देहरादून, दिनांकः 17दिसम्बर, 2016
अधिसूचना

मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित रिट याचिका संख्या–295/2012 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम मे सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश की अध्यक्षता मे गठित सडक सुरक्षा समिति द्वारा पारित आदेश के क्रम में सडक सुरक्षा के संबध मे विभिन्न आदेशो का अनुपालन किया जाता रहा है। उक्त के सम्बन्ध मे शासन द्वारा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में निम्नानुसार सड़क सुरक्षा हेतु लीड एजेंसी का गठन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1–	परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2–	अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड	सदस्य
3–	वित्त नियंत्रक परिवहन आयुक्त मुख्यालय	सदस्य
4–	सहायक निदेशक सडक सुरक्षा आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण 02 पद	सदस्य
5–	लोक निर्माण विभाग के नामित अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य
6–	चिकित्सा विभाग के नामित अधिकारी सहायक निदेशक से निम्न स्तर का न हो।	सदस्य
6–	शहरी विकास विभाग के नामित अधिकारी जो सहायक निदेशक से निम्न स्तर के न हो।	
7–	पुलिस विभाग के अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य
8–	शिक्षा विभाग के नामित अधिकारी जो सहायक निदेशक से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य
9–	आबकारी विभाग के नामित अधिकारी जो सहायक निदेशक से निम्न स्तर के न हो।	सदस्य

2– उक्त सडक सुरक्षा हेतु गठित लीड एजेंसी के कार्यो के सुचारू रूप से संचालन हेतु मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के निम्नलिखित पदों पर परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढॉचे के अन्तर्गत पूर्व सृजित/स्वीकृत पदों मे से ही तैनाती किये जाने की सवीकृति प्रदान की जाती है–

(1)	प्रशासनिक अधिकारी	01 पद
(2)	प्रधान सहायक	01 पद
(3)	कनिष्ठ सहायक सह टंकण	02 पद
(4)	अनुसेवक	01 पद

उक्त लीड एजेंसी द्वारा निम्नवत कार्यो का सम्पादन किया जायेगा–
(क) सदस्य सडक सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप मे कार्य करेंगे।
(ख)सड़क सुरक्षा परिषद मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों को समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) सडक सुरक्षा से संबधित सभी स्टेक होल्डर विभागों के मध्य समन्वय सीापित कराते हुए कार्य किया जायेगा।
(घ)सडक सुरक्षा हेतु गठित लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के मामलों में अधिकार प्राप्त होगी, जो राज्य सडक सुरक्षा एवं मा0 सडक सुरक्षा समिति के निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से संबधित को निर्देश दे सकेगी।
(ड)जिला सड़क सुरक्षा समितियों के कार्यो का अनुश्रवण किया जायेगा।
(च)सड़क सुरक्षा से संबधित कार्यो के लिए बजट की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जायेगा और सड़क सुरक्षा कोष के प्रबन्धन संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
(छ)वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति के प्राविधानो का क्रियान्वयन किया जायेगा।
(ञ) सडक सुरक्षा से संबंधित अन्य समस्त कार्यो का सम्पादन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्या–1400(1)/ix-1/2016/90/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ निजी सचिव मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण, चिकित्सा विभाग, शहरी विकास, गृह, शिक्षा एवं आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त लीड एजेंसी हेतु अपने विभाग से संबंधित सक्षम अधिकारी को नामित करते हुए उक्त लीड एजेंसी के अध्यक्ष के कार्यालय में यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– संयुक्त मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को सरकारी गजट मे प्रकाशित करते हुए उक्त की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /ix-1 /2016/90/2016
देहरादून, दिनांकः 23दिसम्बर, 2016

अधिसूचना/संशोधन

अधिसूचना संख्या–1400/ ix-1 /2016/90/2016, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा हेतु लीड एजेंसी का गठन किया गया था। उक्त में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत सदस्य नामित किये जाते हैः–

1–	लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून।	सदस्य
2–	चिकित्सा विभाग, अपर निदेशक, (प्रशासन),देहरादून।	सदस्य
3–	सहायक निदेशक, शहरी विकास, देहरादून।	सदस्य
4–	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, पलिस विभाग देहरादून।	सदस्य
5–	अपर निदेशक, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, देहरादून।	सदस्य
6–	अपर आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य
7–	रोड सेफ्टी ऑफिसर–एन.एच.ए.आई. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।	सदस्य
8–	सीमा सड़क संगठन से संबंधित अधिकारी	सदस्य

2– उक्त अधिसूचना को उक्त सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय।

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्या–1179(1)/ix-1/2016/90/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ निजी सचिव मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण, चिकित्सा विभाग, शहरी विकास, गृह, शिक्षा एवं आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त लीड एजेंसी हेतु अपने विभाग से संबंधित सक्षम अधिकारी को नामित करते हुए उक्त लीड एजेंसी के अध्यक्ष के कार्यालय में यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– संयुक्त मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को सरकारी गजट मे प्रकाशित करते हुए उक्त की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– सीमा सड़क संगठन से संबंधित अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनुसचिव।

प्रेषक, संख्याः 877XXVII(7)च0श्रे0/2011

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः24 मार्च,2011

विषयः– **राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल,शासनादेश संख्याः395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कालम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान क्रमशः रू 2550–3200, रू 2610–3540, तथा रू 2650–4000, के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1 एस0, रू 4440–7400, तथा ग्रेड वेतन क्रमशः रू 1300/–, रू 1400/– एवं रू 1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 रू 5200–20200 एवं रू 1800/– के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैः–

(i) शासनादेश संख्याः283/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा रू 1900/– का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे रू 1900/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे रू 1300/–, रू 1400/– एवं रू 1650/– के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जायेगा, जहां पर ग्रेड पे रू 1800/– के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहां पर सीमा तक रू 1300/–,रू1400/– एवं रू 1650/– के पद रू 1800/– के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जाएंगे।

(iii)रू 1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध रू 1800/– ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्याः 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या 877(1)/ XXVII(7)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड,।
3– सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड,।
5– स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8– वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
10– उत्तराखण्ड, सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11– इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः 888XXVii(7)च0श्रे0/2011

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः24 मार्च,2011

विषयः– राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्याः 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 का संशोधन।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के प्रेषक में आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त के स्थान पर राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त पढ़ा जाए।

2– शासनादेश संख्याः 877/ XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या 888(1) / XXVII(7) / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड , देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड,।
3– सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड,।
5– स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8– वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
10– उत्तराखण्ड, सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11– इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः 63/XXVii(7)27(8)/2011

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः05 जुलाई,2011

विषयः– राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के विषय शासनादेश संख्याः 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के प्रस्तर–3 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर (III) में यह व्यवस्था की गयी है कि रू 1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जायेगें अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध रू 1800/– ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी। उपरोक्त विषय में विभिन्न स्त्रोतों से यह स्पष्ट होने की अपेक्षा की जा रही है कि उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल मे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध मे लागू होगी अथवा नहीं।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में की गयी व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

उपर्युक्त शासनादेश 24 मार्च,2011 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या 63(1) / XXVII(7)27(8) / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड,।
3– सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड,।
5– स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8– वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
10– उत्तराखण्ड, सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11– इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्याः 30/XXX-2/2018–30(13)2017

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड ।
3. मण्डरायुक्त,
   गढ़वाल, पौडी/कुमाऊं, नैनीताल,
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः06 फरवरी,2018

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या– 1वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्याधीन सेवाओं मे (अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा तथा मा0 उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन समस्त सेवाओं का छोड़कर) अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण को एक उचित निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) पारित किया गया है। उक्त अधिनियम के कियान्वयन हेतु विभिन्न विभागेां के स्तर पर स्थानान्तरण सत्र से पूर्व कतिपय तैयारियां की जानी आवश्यक है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपने नियंत्रणाधीन विभागों/कार्यालयों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 1 वर्ष 2018) के उपबंधो के अधीन स्थानान्तरण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने का कष्ट करेंः–

1– कार्मिक की पद स्थापना हेतु वर्गीकरणः– (धारा–4)

विभाग के नियत्रणाधीन संवर्गो के कार्मिकों को निम्नवत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायः–

1. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक किये जाने की व्यवस्था है।
2. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना मण्डल स्तर तक किये जाने की व्यवस्था है।

3. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पद स्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

2– सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हाकन और उसका प्रकटीकरणः–(धारा–5)

(1) प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, उपरोक्त बिन्दु–1 (कार्मिकों की पद स्थापना हेतु वर्गीकरण) में उपबन्धित वर्गीकरण के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से संबंधित कार्य स्थल को स्पष्ट करते हुये चिन्हाकन की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के लिए उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन सहित ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसे प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए आवश्यक होगा।

(2) प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जानी वाली तैनाती के लिय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण मानकों के अनुसार किया ाजयेगा।

(3) जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है वहां मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार जिलेवार सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जायेगा, जिसमें जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र, जहां पर सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जायेगा।

(4) जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है, उनके लिये विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जायेगा।

(5) परन्तु यह कि जो कार्य सिल 7000 फिट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

3– वार्षिक स्थानांतरण के निम्नलिखित प्रकार होंगेः–(धारा–6)

1. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण।
2. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण।
3. अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण।

4– सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरणः–(धारा–7)

ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो

चुकी हो अथवा जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हो, उन कार्मिकों की उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम में रखते हुए संबंधित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में कुल रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानांतरण हेतु चिन्हित किया जायेगा।

5— सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करना तथा पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जानाः—(धारा—9)

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुये संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर प्रदर्षित/प्रचालित किया जायेगा। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण की सूची तैयार की जाय। पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहां वह तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय।

6— दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु स्थानांतरण के मानक :— (धारा—10)

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी तैनाती के स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 3 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः सीनान्तरित किये जायेंगे।

परन्तु यह कि अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष मे एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7— दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु मानक एवं उपलब्ध तथा सम्भावित रिक्तियों की गणना करना/पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जानाः—(धारा—12)

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुये संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित/प्रचालित किया जायेगा। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहां वह तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेगे। सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्ति की सीमा तक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जाय। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय।

8— अनुरोध के आधार पर स्थानांतरणः— (धारा—13,14,17(1)(ख))

(1) अनुरोध प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिये अनुरोध मान्य नहीं होगा।

(2) सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा।

(3) अनुरोध के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए, कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित सीानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन–पत्र मांगे।

(4) पात्र कार्मकों के स्थानान्तरण पर, स्थानांतरण समिति निम्नलिखित क्रम में विचार करेगीः–

(एक) गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) की गंभीर रोगग्रस्ता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो) मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध;

(तीन) सेवारत पति–पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो,

(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध;

(पॉच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घेषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छः) दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(सात) अन्त में, सुगम क्षेत्र से दुर्गम में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

9– स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारणः– (धारा–15)

स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मई की तिथि के आधार पर की जायेगी, ऐसे सभी कार्यालय/अधिष्ठान, जहां पटल/कार्यभार परिवर्तन के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है वहां पटल/कार्यभार का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।

10– सभी विभागों द्वारा शासनस्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठनः– (धारा–16)

(1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अनय विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

(2) जनपद स्तरीय संवर्गो के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

11– स्थानान्तरण समिति द्वारा अपेक्षित कार्यवाहीः–(धारा–17)

(1) स्थानान्तरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। इसके पश्चात अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर अनुमन्य क्रम में विचार किया जायेगा। तत्पश्चात दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरणों का निस्तारण किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगाः–

(1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;

(2)समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर–प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। ''गृह जनपद'' से ऐसा गॉव/हल्का/तहसील आदि अभिप्रेत है, जिसका वह मूल निवासी है;

(3) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्मिक को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा;

(4)सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे।

12– स्थानान्तरण हेतु समय सारणीः–(धारा–23)

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत प्रत्येक सामान्य स्थानान्तरण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सिलि के मानक के अनुसार 31 मार्च तक चिन्हीकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन 1 अप्रैल तक कर लिया जाय। प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची 15 अप्रैल तक प्रकाशित/वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से 20 अप्रैल तक 10 इच्छित स्थानों के विकल्प मांगे जायेंगे। अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 30 अप्रैल तक होगी। अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 15 मई होगी तथा प्राप्त विकल्प/आवेदन पत्र का विवरण 20 मई तक वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि 25 मई से 05 जून तक होगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि 10 जून होगी। स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 02 दिन के अन्दर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार संगत अधिनियम के कतिपय प्राविधान एवं समयबद्धरूप से की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। शेष शर्ते एवं प्राविधान उत्तराखण्ड

लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) के अनुसार लागू होंगे। प्रत्येक विभाग के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र मे स्थानान्तरण हेतु तथा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्व/वर्तमान तैनाती की सही स्थिति का ऑकलन करेंगे, क्योंकि इसी आधार पर पारदर्शी स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी। अधिनियम की प्रति संलग्न की जा रही है, जिसका अनुपालन प्रत्येक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न अधिनियम का भली–भॉति अध्ययन करते हुये प्रारम्भिक स्तर उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX-2/2018–30(13)2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 839/ix-1 /246(2004)/2017
देहरादून, दिनांकः 20नवम्बर, 2017

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) की सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 56 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड मे श्री रकित वालिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वालिया, ग्राम जगजीतपुर, पो0 कनखल, जनपद हरिद्वार तथा श्री सुन्दर सिंह रावत, बी–9/7 डी बौराडी, नई टिहरी को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु गैर सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्याः (1)/iX-156(2010)/2017 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद–हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या 63(1)/ XXVII(7)27(8)/2011 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड,।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
5– सम्बन्धित महानुभाव।
6– सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7– एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /ix-1 /246(2004)/2017
देहरादून, दिनांकः 20नवम्बर, 2017

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) की सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन निम्नानुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु गैर सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क0सं0	प्राधिकरण का नाम	नामित व्यक्ति का नाम एवं पता
1.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा।	1– श्री हरीश सिंह नागरकोटी, ग्राम खड़ायत पो0 सिमलकोट, अल्मोड़ा। 2– श्री ललित चन्द्र पाण्डे, ग्राम व पो0 अभ्याडी, रानीखेत, अल्मोड़ा।
2.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौडी गढवाल।	1– श्री विक्रांत रावत, ग्राम–च्वींचा, थाना मौहल्ला पौडी गढ़वाल। 2– श्री राकेश कुमार डिमरी (राकुडी),c/o होटल स्वास्तिक, H.N.B. नगर कर्णप्रयाग, चमोली।
3.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी।	1– श्री रविन्द्र कर्नाटक, ग्राम सिलौटीपंत नैकुचियाताल, नैनीताल। 2– श्री दया किशोर जोशी, ग्राम एवं पो0 हरिपुरा बाजपुर ऊधमसिंह नगर।
4.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।	1– श्री राजपाल सिंह, 468 आवास विकास कालोनी रूडकी, हरिद्वार। 2– श्री अनिल डबराल, 141 किशननगर देहरादून।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या 838(1)/ iX-1/56(2010)/2017
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड,।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।

5— सम्बन्धित महानुभाव।
6— समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तराखण्ड।
7— संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन साम्रगी राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद—हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट—4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग—1 उत्तराखण्ड शासन, को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8— एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /110(2016)/ix-1/2017
देहरादून, दिनांकः 21दिसम्बर, 2017

अधिसूचना/शुद्धि पत्र

शासन की अधिसूचना संख्या– 839/ix-1/246(2004)/2017, दिनांक 20.11.2017 के द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) की सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन श्री हरीश सिंह नागरकोटी को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु गैर सरकारी सदस्य नामित किया गया है।

2– उक्त अधिसूचना में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा में नामित गैर सरकारी सदस्य श्री हरीश सिंह नागरकोटी का पता '' ग्राम खड़ायत पो0 सिमलकोट, अल्मोडा'' के स्थान पर '' ग्राम खड़ायत पो0 सिमलकोट, पिथौरागढ़'' पढ़ा जाय।

3– उक्त अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2017 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या 904/110(2016)/ix-1/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त कुमाऊॅ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड,।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
5– सम्बन्धित महानुभाव।
6– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तराखण्ड।
7– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की हरिद्वार।
8– एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– अधि0/दो–29/2018 दिनांकः28 मार्च,2018

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017 की धारा–5 में विहित प्राविधानानुसार परिवहन आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम कार्यालयों/चैकपोस्टों का चिन्हांकन निम्नवत किया जाता हैः–

क्र0सं0	जनपद का नाम	क्षेत्र में स्थापित कार्यालय एवं चैकपोस्ट का नाम	
		सुगम	दुर्गम
1	देहरादून	1– परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून। 2– सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून। 3–उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर 4–उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश। 5– चैकपोस्ट, आशारोडी। 6– चैकपोस्ट, कुल्हाल। 7– चैकपोस्ट, तिमली।	1– प्रवर्तन दल, चकराता (तहसील–विकासनगर,कालसी,चकराता,त्यूनी)
2	हरिद्वार	1–उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार। 2–उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रूडकी। 3– चैकपोस्ट, चिडियापुर। 4– चैकपोस्ट, नारसन। 5– चैकपोस्ट, गोवर्द्धनपुर। 6– चैकपोस्ट, भगवानपुर।	–
3	टिहरी	–	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी।
4	उत्तरकाशी	–	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी।
5	पौडी	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार। 2– चैकपोस्ट, कौडिया।	1– सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौडी। 2– प्रवर्तन दल, कोटद्वार (तहसील–कोटद्वार, लैन्सडाउन, यमकेश्वर एवं सतपुली)
6	रूद्रप्रयाग	–	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रूद्रप्रयाग
7	चमोली	–	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग।
8	नैनीताल	1– सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी। 2–उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर।	1– प्रवर्तन दल, नैनीताल (तहसील–नैनीताल,धारी,कोश्यांकुटौली, रामगढ़ तथा ओखलकांडा भीमताल एवं कोटाबाग विकासखण्ड) 2– प्रवर्तन दल, रामनगर

			(तहसील–रामनगर,विकासखण्ड सल्ट, भिकियासैंण, बेतालघाट)
9	उधमसिंहनगर	1–उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, काशीपुर। 2–उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंहनगर। 3– चैकपोस्ट, काशीपुर। 4– चैकपोस्ट, रूद्रपुर। 5– चैकपोस्ट, दोराहा (बाजपुर)। 6– चैकपोस्ट, मंझौला। 7– चैकपोस्ट, पुलभट्टा।	–
10	चम्पावत	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर। 2– चैकपोस्ट, बनबसा।	1– प्रवर्तन दल, टनकपुर (तहसील–चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णगिरी एवं बाराकोट)
11	अल्मोडा	–	1– सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोडा। 2– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रानीखेत।
12	बागेश्वर	–	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर।
13	पिथौरागढ़	–	1– उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ़।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप परिवहन आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या– 997(i)(1)/समदिनांकित्।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
3– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त परिवहन कर अधिकारी–1, उत्तराखण्ड।
6– समस्त प्रभारी परिवहन कर संग्रह केन्द्र, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या– 296 / ix-1 / 73(2015) / 2018

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 23 मई, 2018

विषय– राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल (STRAM) हेतु सहायक निदेशक के 02 निःसंर्वीय पदों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–759 / ix-1 / 2016 / 73 / 2015, दिनांक 29 अगस्त, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय में '' राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन अनुसंधान एवं आधुनिकीकरण सैल (STRAM)'' के गठन हेतु 01 पद सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 तथा 01 पद सहायक निदेशक, आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400, कुल 02 निःसंवर्गीय पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–759 / ix-1 / 2016 / 73 / 2015, दिनांक 29 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा उक्त सैल में सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा एवं सहयक निदेशक आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण के 01–01 पद सृजित किये गये थे, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सृजित पदों को समाप्त किया जाता है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या / IX-1 / 34 / 2018 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2 / 7
5– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।